Tuesday, 22 March, 1966

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF

3rd
LOK SABHA DEBATES

[चौदहवां सत्र]

Fourteenth Session

सत्यमेव जयते

Preserving Unit
18-6-92

[खंड 52 में अंक 21 से 30 तक हैं]

[Vol. LII contains Nos. 21 to 30]

लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT

NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 25—मंगलवार, 22 मार्च, 1966/1 चैत्र, 1888 (शक)

No. 25 *Tuesday, March* 22, 1966/*Chaitra* 1, 1888 (*Saka*)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*ता० प्र० संख्या *S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
683	राशनिंग विभाग में पद	Posts in Rationing Department .	5241–43
684	डंकन स्ट्रैटन एण्ड कम्पनी	Duncan Stratton and Co. .	5243–45
685	मछली उत्पादन	Fish Production . . .	5245–46
686	हल्दिया बन्दरगाह के लिये विदेशी मुद्रा	Foreign Exchange for Haldia Port	5246–48
687	देश में उपभोग के लिये चीनी की आवश्यकता	Requirements of Sugar for Domestic Consumption . . .	5248–51
688	मंडियों में अनाज का आना	Market arrivals of Foodgrains .	5251–53
689	दिल्ली में सहकारी उपभोक्ता भण्डार	Consumers' Co-operative Stores in Delhi	5253–56
690	मोरावा विमानों के पुर्जों का अयात	Import of Parts for Morava Aircraft	5256–58
691	मतों की गिनती	Counting of Votes . . .	5258

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S.Q. Nos.			
692	राज्यों में सहकारी संस्थाएं	Co-operative Institutions in States	5259
693	ब्रह्मपुत्र नौपरिवहन मार्ग	Brahmaputra Navigation Route	5259
694	फसल बीमा का व्यय	Cost of Crop Insurance . .	5259–60
695	दिल्ली में खाद्यान्नों के दाम	Prices of Foodgrains in Delhi .	5260
696	वनमहोत्सव अभियान	Vanamahotsava Campaign .	5260–61
697	राजस्थान में पर्यटन केन्द्र	Tourist Centres in Rajasthan .	5261
698	बकिंघम नहर परियोजना	Buckingham Canal Project .	5261
699	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था के कर्मचारी	Employees of I.A.R.I. . .	5261–62
700	चारा (फीड एंड फौड़र) संसाधनों का विकास	Development of Food and Fodder Resources . . .	5262

---

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

1—41 Lok Sabha/66

ता० प्र० संख्या S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
701	इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल का नोटिस	Strike Notice by I.A.C. Workers	5263
702	थाइलैंड से चावल	Rice from Thailand . .	5263
703	चुनाव खर्च	Election Expenses . . .	5263
704	भारतीय खाद्य निगम का कार्य-संचालन	Working of Food Corporation of India	5264
705	भारत में दुर्भिक्ष सम्बन्धी सहायता के विषय में विश्व सम्मेलन	World Conference for Indian Famine Relief . . .	5264
706	आसाम के जिलों को विमान सेवा मिला	Linking of Districts in Assam by Air	5264–65
707	सिंचित क्षेत्रों में उर्वरकों का प्रयोग	Use of Fertilizers in Irrigated Areas	5265
708	पश्चिम जर्मनी से अनाज की सहायता	Food Aid from West Germany .	5265
709	मैदा निकला आटा	'Resultant' Atta . . .	5266
710	भारतीय जहाजरानी निगम के लिये मालवाहक जहाज	Cargo Ships for Shipping Corporation of India . . .	5266
711	राजस्थान में खाद्यान्नों का जमा होना	Accumulation of Foodgrains in Rajasthan	5266–67
712	फार्म ऋण	Farm Credit .	5267
अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.			
2515	वन क्षेत्र	Area Under Forests . . .	5267
2516	केरल में भुखमरी से मृत्यु	Starvation Deaths in Kerala .	5267–68
2517	ग्राम्य ऋण की स्थिति	Position of Rural Credit . .	5268–69
2518	केरल में बन्दरगाहों पर माल उतारने की सुविधायें	Unloading Facilities at Ports in Kerala	5269
2519	केरल में समाहार	Procurement in Kerala .	5269–70
2520	टेपिओका का उत्पादन	Production of Tapioca . .	5270
2521	पंचायत संस्था के सम्बन्ध में सन्थानम समिति का प्रतिवेदन	Santhanam Committee Report on Panchayat Institution .	5270–71
2522	अखबारी कागज का उत्पादन	Production of Newsprint .	5271
2523	दिल्ली-काबुल विमान सेवा	Delhi-Kabul Air Service . .	5271–72
2524	बहादुरगढ़ और केन्द्रीय सचिवालय के बीच बस सेवा	Bahadurgarh Central Sectt. Bus Service	5272
2525	महाराष्ट्र में भू-संरक्षण	Soil Conservation in Maharashtra	5273
2526	क्रालर ट्रैक्टरों का आयात	Import of Crawler Tractors .	5273
2527	महाराष्ट्र में सड़क सम्बन्धी योजनायें	Roads Schemes in Maharashtra	5273

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2528	धान की फसलों की हानि का अनुमान	Assessment of Damage to Paddy Crops	5274
2530	वन विज्ञान सम्बन्धी शिक्षा	Forestry Education . . .	5274
2531	गन्ना विकास परिषद	Sugarcane Development Council	5274
2532	सामुदायिक विकास और पंचायती राज सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुसंधान की राष्ट्रीय परिषद	National Council of Study and Research on C.D. and P.R. .	5275
2533	उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय	Agricultural University in U. P.	5275
2534	नलकूप	Tube-wells	5276
2535	बम्बई बन्दरगाह में गोदी श्रमिकों की हड़ताल	Strike by Dock Labour at Bombay Port	5276–77
2536	बंबई पत्तन में न उठाया गया माल	Uncleared Cargo at Bombay Port	5277
2537	अन्तर्राज्य बस मार्ग	Inter-State Bus Routes . .	5277–78
2538	कलकत्ता-डिब्रूगढ़ नदी-मार्ग	Calcutta-Dibrugarh River Route	5278
2539	केन्द्रीय जल तथा परिवहन बोर्ड	Central Water and Transport Board	5278–79
2540	घोड़ों, गायों तथा खच्चरों की नस्ल बढ़ाने के फार्म	Breeding Farms for Horses, Cows and Mules	5279
2541	सहायक भोजन के रूप में मछली	Fish as Subsidiary Food .	5979
2542	उत्तम बीजों का सम्भरण	Supply of Improved Seeds	5280
2543	दुग्धशाला परियोजना	Dairy Projects . .	5280
2544	प्रत्यक खण्ड में संयुक्त खण्ड विकास अधिकारी प्रणाली	Joint B.D.O. System in Each Block	5280–81
2545	व्यावहारिक आहार-पोषण कार्यक्रम	Applied Nutrition Programme.	5281
2546	आन्ध्र-प्रदेश में बन्दरगाह	Ports in Andhra . .	5281–82
2548	चीनी का उत्पादन	Production of Sugar . . .	5282–83
2549	सहकारी चीनी कारखाने	Co-operative Sugar Factories .	5283–85
2550	पौधा संरक्षण योजना	Plant Protection Scheme . .	5285
2551	छोटी सिंचाई सम्बन्धी कार्यक्रम	Minor Irrigation Programmes .	5285–86
2552	भाण्डागारों का निर्माण	Construction of Warehouses .	5286
2553	सूरत के निकट मागदाल्ला पत्तन	Magdalla Port near Surat .	5286–87
2554	रबी की फसल में उत्पादन की वृद्धि	Increase in Production during *Rabi* Crop	5287
2555	किसानों के हितों की उपेक्षा	Ignoring of Interest of Farmers .	5287–88
2556	कृषि उत्पादन निगम	Agricultural Production Corporation	5288
2557	उड़ीसा में बीज खेत (फार्म)	Seed Farms in Orissa . .	5288

अता० प्र० संख्या U.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2558	उड़ीसा में नलकूप	Tube-wells in Orissa .	5288–89
2559	उड़ीसा में चावल का उत्पादन	Rice Production in Orissa .	5289
2560	उड़ीसा में संयुक्त खेती सम्बन्धी मार्गदर्शी योजनाएं	Joint Farming Pilot Schemes in Orissa	5289
2561	कृषि उपज बढ़ाने के लिये उड़ीसा को ऋण	Loan to Orissa for Farm Output	5289–90
2562	राजस्थान को केन्द्रीय सहायता	Central Assistance to Rajasthan	5290
2563	त्रिपुरा में पर्यटक केन्द्र	Tourist Centre in Tripura .	5290–91
2564	दिल्ली में कूड़ा-खाद का प्रयोग	Use of Compost in Delhi .	5291
2565	हवाई अड्डों पर शुल्क मुक्त (ड्यूटी फ्री) दूकानें	Duty Free Shops at Airports	5291
2566	आटा मिलों को गेहूं का संभरण	Supply of Wheat to Flour Mills	5292
2567	दिल्ली में राशन के डिपो का आवंटन	Allotment of Ration Depots in Delhi	5292
2568	कृषि अनुसंधान परियोजनायें	Agricultural Research Projects .	5292
2569	हिमाचल प्रदेश में भारत-जर्मन कृषि परियोजना	Indo-German Agricultural Project in Himachal Pradesh .	5292–93
2570	दिल्ली दुग्ध योजना के डिपो मैनेजर	Depot Managers of Delhi Milk Scheme	5293–94
2571	हिमाचल प्रदेश को उवरकों का संभरण	Supply of Fertilizers to Himachal Pradesh	5294
2572	मैसर्स आर० अकूजी, जाडवट एंड कं० को ऋण	Loan for M/s. R. Akoojee, Jadwet & Co.	5294–95
2573	फ्लाइंग और ग्लाइडिंग क्लब, रायपुर	Flying and Gliding Club, Raipur	5295
2574	दमदम हवाई अड्डे पर चुंगी भवन (टर्मिनल बिल्डिंग)	Dum Dum Airport Terminal Building	5295–96
2575	सहकारी क्षेत्र में उवरक कारखाने	Fertilizer Plants in Cooperative Sector	5296
2576	मैसर्स रोश प्रोडक्ट्स लिमिटेड, बम्बई के प्रबन्ध निदेशक के सेवाकरार के नवीकरण के सम्बन्ध में आवेदन पत्र	Application for renewal of Managing Director's Contract in M/s. Roche Products Limited, Bombay	5296
2577	पानीपत और यमुनानगर में चीनी मिलें	Sugar Mill at Panipat and Yamunanagar	5297
2578	भूमि को कृषि योग्य बनाना	Reclamation of Land . .	5297
2579	दिल्ली नागपुर विमान सेवा	Delhi-Nagpur Flight . . .	5298
2580	नौवहन तथा जहाज-निर्माण सम्मेलन	Conference on Shipping and Shipbuilding	5298
2581	सहकारी सदस्य शिक्षा योजना	Co-operative Member Education Scheme	5298–99

अता० प्र० संख्या U.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2582	रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली में दूध का डिपो	Milk Depot in Ramakrishna puram, New Delhi . . .	5299
2583	अनाज तथा व्यापारी फसलों वाली भूमि का क्षेत्रफल	Acreage under Food and Cash Crops	5299-5300
2584	दिल्ली में राशन में मिलने वाले आटे का मूल्य	Price of Rationed Atta in Delhi	5300
2585	दिल्ली में दूध की खपत	Consumption of Milk in Delhi .	5300
2586	फार्म उत्पादन को बढ़ाने के लिये महाराष्ट्र राज्य को सहायता	Assistance to Maharashtra State for increasing Farm Output .	5301
2587	संयुक्त खेती सम्बन्धी प्रायोगिक योजना	Joint Farming Pilot Scheme	5301
2588	महाराष्ट्र में सहकारिता आन्दोलन	Co-operative Movement in Maharashtra	5301
2589	महाराष्ट्र में कृषि फार्म	Agricultural Farm in Maharashtra	5302
2590	चावल की प्रति एकड़ पैदावार	Yield Per Acre of Rice . .	5302
2591	जापान से चावल तथा उर्वरक	Rice and Fertilizers from Japan	5302
2592	चिली से नाइट्रेट का आयात	Import of Chilean Nitrate .	5303
2593	उर्वरकों की खपत	Consumption of Fertilizers	5303
2594	मध्य प्रदेश में सूखाग्रस्त जिले	Drought-hit Districts of M.P.	5304

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना— / Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—

एयर इण्डिया द्वारा कर्मचारियों को जबरी छुट्टी और इण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन द्वारा कलकत्ता से कुछ उड़ानों का मन्सूख किया जाना / Lay off of Workers by Air India cancellation of certain flights from Calcutta by I.A.C. . 5304-05

भाषा के आधार पर पंजाब के पुनर्गठन संबंधी वक्तव्य के बारे में / Re: Statement on Reorganisation of Punjab on Linguistic Basis 5306

सभा-पटल पर रखे गये पत्र / Papers Laid on the Table 5306

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति— / Committee on Public Undertakings—

पन्द्रहवां प्रतिवेदन / Fifteenth Report . 5307

औचित्य प्रश्न के बारे में / Re: Point of Order . 5307

कार्यवाही के बारे में प्रश्न / Point re. Proceedings . 5307-10

विनियोग विधेयक, 1966—पुरःस्थापित तथा पारित / Appropriation Bill, 1966 Introduced and Passed 5310-12

2—41 L. S./66

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
अनुदानों की मांगें (रेलवे), 1966–67 तथा अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेलवे), 1965-66—	Demands for Grants (Railways), 1966-67 and Demands for Supplementary Grants (Railways, 1965-66—	
श्री अ० शं० आल्वा	Shri A. S. Alva . .	5314
श्री दी० चं० शर्मा	Shri D. C. Sharma .	5314-15
श्री काशीराम गुप्त	Shri Kashi Ram Gupta .	5315-16
श्री श्रीनारायण दास	Shri Shree Narayan Das	5316-17
श्रीमती रेणुका बड़कटकी	Shrimati Renuka Barkatki .	5317-18
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी	Dr. L. M. Singhvi .	5318-20
श्री ना० नि० पटेल	Shri N. N. Patel .	5320
श्री ज्या० प्र० ज्योतिषी	Shri J. P. Jyotishi . .	5320-21
श्री किशन पटनायक	Shri Kishen Pattanayak . .	5321-22
श्री बसुमतारी	Shri Basumatari .	5322 23
श्री दलजीत सिंह	Shri Daljit Singh .	5323-25
श्री ओंकार लाल बेरवा	Shri Onkar Lal Berwa . .	5325o27
श्री यमुना प्रसाद मंडल	Shri Yamuna Prasad Mandal .	5327-28
श्री गणपति राम	Shri Ganpati Ram	5328
श्री सरजू पाण्डेय	Shri Sarjoo Pandey	5328-29
श्री बृज बिहारी मेहरोत्रा	Shri Braj Bihari Mehrotra .	5329-30
श्री कृष्णपाल सिंह	Shri Krishnapal Singh . .	5330-31
श्री मोहन नायक	Shri Mohan Nayak	5331

लोक-सभा
LOK SABHA

मंगलवार, 22 मार्च, 1966/1 चैत्र, 1888 (शक)
Tuesday, March 22, 1966/Chaitra 1, 1888 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।**
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

राशनिंग विभाग में पद

+
*683. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नये स्थापित राशनिंग विभाग के लिये दिल्ली प्रशासन ने कितने विभिन्न वर्गों के पद बनाये हैं और वेतन तथा भत्तों के रूप में उन पर कितना मासिक खर्च होता है ;

(ख) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों तथा अन्य संगठनों से अलग अलग कितने प्रार्थनापत्र प्राप्त हुए थे ;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिये कोई रिक्त स्थान सुरक्षित रखे गये थे और यदि हां, तो इन पदों पर कितने केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी रखे गये ;

(घ) क्या इसके लिये कोई इन्टरव्यू किये गये थे और यदि नहीं, तो उम्मीदवारों को चुनने के लिये क्या कसौटी रखी गई थी ;

(ङ) क्या यह सच है कि इन पदों के लिये सभी केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के प्रार्थना-पत्रों पर विचार नहीं किया गया ; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) दिल्ली प्रशासन के राशनिंग विभाग के लिए विभिन्न वर्गों के 1,056 पद मंजूर किए गये हैं जिन पर लगभग 3 लाख रुपये प्रति मास खर्च होने का अनुमान है।

(ख) प्राप्त आवेदन-पत्रों की कुल संख्या 3,167 थी। केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों और अन्य संगठनों के कर्मचारियों के आवेदन पत्रों का कोई अलग रिकार्ड नहीं रखा गया था।

3—41 L.S./66.

(ग) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये कोई रिक्त स्थान सुरक्षित नहीं रखा गया था तथापि, अब तक राशनिंग विभाग में 160 केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं।

(घ) सरकारी कर्मचारियों का इन्टरव्यू नहीं लिया गया था। उनका चुनाव सर्विस रिकार्ड के आधार पर किया गया।

(ङ) जी हां।

(च) जिन उम्मीदवारों की गोपनीय रिपोर्टें नहीं भेजी गयी थीं उनपर विचार नहीं किया गया क्योंकि उनकी उपयुक्तता के बारे में निर्णय नहीं किया जा सका।

श्री दी० चं० शर्मा : माननीय उपमंत्री ने यह नहीं बताया कि कर्मचारियों की कितनी श्रेणियां हैं।

श्री गोविन्द मेनन : चार श्रेणियां हैं—श्रेणी एक, दो, तीन और चार।

श्री दी० चं० शर्मा : इन श्रेणियों में विभिन्न प्रकार के कर्मचारियों की संख्या क्या है। उनको कितना वतन मिलता है?

श्री गोविन्द मेनन : श्रेणी एक में 4 कमचारी हैं, श्रेणी दो में 48, श्रेणी तीन में 780 और श्रेणी चार में 224 कर्मचारी हैं। श्रेणी एक में अधिक वेतन है अर्थात मुख्य नियन्त्रक को आई० ए० एस० के सीनियर वेतन क्रम के अनसार और 300 रुपये अतिरिक्त मिलते हैं। तीन पदों के लिये सीनियर वेतनक्रम के अनुसार तथा 200 रुपये अतिरिक्त मिलते हैं।

अध्यक्ष महोदय : अन्य श्रेणियों के बारे में ब्यौरा बताने की आवश्यकता नहीं है।

Shri M. L. Dwivedi : The hon. Minister has said that the monthly expenditure on Rationing comes to about Rs. 3 lakhs. I want to know whether this expenditure is borne by Government or it is realised from Delhi citizens and what steps have been taken to make good tne loss in this account?

श्री गोविन्द मेनन : राशनिंग पर होने वाला खर्च उपभोक्ताओं को उठाना पड़ता है।

श्री भागवत झा आजाद : क्या इसका यह अर्थ है कि राशनिंग प्रशासन का पूरा व्यय उपभोक्ताओं को उठाना पड़ता है। क्या कुछ अधिकारी केन्द्र सरकार ने नहीं दिये हैं?

श्री गोविन्द मेनन : कुछ अधिकारी केन्द्रीय सरकार से आये हैं।

श्री स० चं० सामन्त : चुने गये अधिकारियों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कितने व्यक्ति थे?

श्री गोविन्द मेनन : इसके लिये मुझे अलग से सूचना चाहिये।

श्री सुबोध हंसदा : क्या फालतू घोषित कर दिये गये केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को कोई प्राथमिकता दी गई थी, यदि हां, तो ऐसे व्यक्तियों के आवेदन पत्रों की कुल संख्या क्या थी और उनमें से कितनों को रोजगार दिया गया?

श्री गोविन्द मेनन : अन्य मंत्रालयों के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता परन्तु जहां तक खाद्य तथा कृषि मंत्रालय का सम्बन्ध है केवल उन्हीं व्यक्तियों के आवेदन पत्र भजे गये थे जिन्हें उचित समझा गया था।

Shri Yashpal Singh : May I know the reasons for not giving a chance to those U.D.C., who have put in 15-16 years' service?

श्री गोविन्द मेनन : सेवा रिकार्ड केवल उन्हीं व्यक्तियों का भेजा गया था जिन्हें उचित समझा गया था।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या यह सच है कि अनुभवी व्यक्तियों को नहीं लिया गया है और बिल्कुल नये लोगों को रखा लिया गया है क्योंकि उनकी सिफारिश है?

श्री गोविन्द मेनन : इन पदों के लिये उचित समझे जाने वाले व्यक्तियों को ही रखा गया है।

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री (श्री चि० सुब्रम्हण्यम): दो समितियां थी— एक राजपत्रित पदों पर नियुक्ति के लिये और दूसरी अराजपत्रित पदों पर नियुक्ति के लिये। मेरे विचार में वहां कोई सिफारिश नहीं थी।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Among those recruited are there any who previously were charged or convicted of corruption? What are the reasons for taking such people?

***श्री चि० सुब्रम्हण्यम :** यह मेरी जानकारी में नहीं है।

डंकन स्ट्रैटन एण्ड कम्पनी

*684. +**श्री मधु लिमये :**
श्री किशन पटनायक :

क्या **विधि** मंत्री 4 नवम्बर, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 48 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समवाय विधि बोर्ड ने डंकन स्ट्रैटन एण्ड कम्पनी के मामलों की जांच पूरी कर ली है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ; और

(ग) श्री मूंदडा द्वारा होने वाले हस्तक्षप से हिस्सेदारों तथा जनता के हितों की रक्षा करने के लिये समवाय विधि बोर्ड का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

विधि मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन) : (क) अभी पूर्णतया पूरी नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) डंकन स्ट्रैटन ऐण्ड कम्पनी के मामलों की जांच समवाय अधिनियम की धारा 209 (4) के अन्तर्गत हो रही थी। अब तक की जांच से कोई अनियमितता प्रकट नहीं हुई है जिससे समवाय विभाग द्वारा तुरन्त कोई कार्यवाही अपक्षित हो। इसके पहले कि स्थिति की पूरी तस्वीर उभर सके, आगे जांच की आवश्यकता है—विशेषकर उन कम्पनियों के लेखे जोखे में जिनका इस कम्पनी के साथ व्यापारिक सम्बन्ध है। इस प्रकार की जांच अब प्रारम्भ की जा रही है।

Shri Madhu Limaye : I want to know whether Government's, attention has been drawn to those papers where it is revealed that Shri Mundhra had interfered in this company in an illegal manner. I can give proof of this. For example I would read one sentence. It reads "we have today paid to Commercial Combines Limited, Calcutta, a sum of Rs. 10,000 in cash under instructions from Mr. H.D.M."

The Minister of Law (Shri G. S. Pathak): Government's, attention has been drawn to so many papers and Government is investigating all of them. I can give date-wise list of names of papers.

Shri Madhu Limaye : If you allow I can place it on the Table. Sir, I raised this question about three years back and three times questions have been put on this. I want to know about the activities of Haridas Mundhra. He has 10 lakhs of sterling pounds in U.K. in the name of his wife. He is indulging in this type of activities. I want to know the cause for delay on the part of Government.

Shri G. S. Pathak : I want to say that the Income Tax Department seized the books of this Company in August, 1965. Those books were examined. Those books have not been returned as yet and would be examined further.

श्री दाजी : क्या यह सरकार की जानकारी में आया है इंगलैंड में उनकी पत्नि के नाम 10 लाख पौंड जमा है और उसमें इस कम्पनी का धन भी है; यदि हां, तो जांच के विलम्ब का क्या कारण है ?

श्री गोपाल स्वरूप पाठक : यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। क्योंकि मैं एक कम्पनी विशेष के बारे में उत्तर दे रहा था और हरिदास मूंदडा के बारे में नहीं है।

श्री दाजी : मैं ने कम्पनी का उल्लेख किया है।

अध्यक्ष महोदय : वह कम्पनी का इससे सम्बन्ध जोडते हैं।

श्री गोपाल स्वरूप पाठक : विदेशी मुद्रा सम्बन्धी नियमों के उल्लंघन का विषय मेरे मंत्रालय से सम्बन्धित नहीं है।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि 10 लाख पौंड के जमा होने के बारे में जांच के लिये जो समवाय विधि प्रशासन के उप-निदेशक और अवर सचिव जांच के लिये ब्रिटेन भजे गये थे और वहां पर इस बारे में 5 लाख रुपया व्यय किया ? क्या यह भी सच है कि ब्रिटेन के बोर्ड आफ ट्रेड ने मई, 1965 में एक रिपोर्ट दी थी। यह श्री विलियम ने भारत सरकार को दी थी। सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है और क्या एक भूतपूर्व मंत्री.....

अध्यक्ष महोदय : इतने अधिक प्रश्न इकट्ठे नहीं किये जा सकते।

श्री गोपाल स्वरूप पाठक : मैं इस बारे में पूर्व सूचना चाहता हूं कि क्या ब्रिटेन के किसी अधिकारी ने रिपोर्ट दी है या कि नहीं। मैं यह जानकारी सभा पटल पर रख सकता हूं।

श्री स० मो० बनर्जी : श्रीमान मेरा नियम संख्या 366(2) के अन्तर्गत व्यवस्था का प्रश्न है। श्री दाजी के अनुपूरक प्रश्न में डंकन स्ट्रैटन एण्ड कम्पनी का उल्लेख था। यह प्रश्न 4 नवम्बर, 1965 से चल रहा है। उस तिथि का प्रश्न संख्या 48 इसी विषय पर है।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप नियम संख्या 366 के अन्तर्गत इसे उठा रहे हैं।

श्री स० मो० बनर्जी : मुझे खेद है। गलती हो गई। यह संख्या 376 है। यह प्रश्न श्री मधु लिमये और श्री किशन पटनायक ने 4 नवम्बर, 1965 को उठाया था —(**अन्तर्बाधाएं**) .... यह प्रश्न उस के सम्बन्ध में है। माननीय मंत्री के पास पूरी जानकारी होनी चाहिये। मुझे खेद है कि माननीय मंत्री तथ्यों को छिपा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : यदि मंत्री महोदय पूर्व सूचना चाहें तो मैं उनको इसी समय उत्तर देने को बाध्य नहीं कर सकता।

श्री दाजी : श्रीमान हमें आपका संरक्षण चाहिये। मंत्री महोदय ने कहा है कि यह प्रश्न उनके मंत्रालय से सम्बन्धित नहीं है। परन्तु उनके मंत्रालय का एक उपसचिव इस कम्पनी के बारे में जांच करने के लिये इंग्लैंड गया था। यदि यह सच है तो मेरा प्रश्न उनके मंत्रालय से सम्बन्ध रखता है।

श्री गोपाल स्वरूप पाठक : उस समय समवाय विधि प्रशासन वित्त मंत्रालय के अधीन था। यह सच है कि इस विभाग के कुछ अधिकारी ब्रिटेन गये थे। मैंने कहा था कि विदेशी मुद्रा के नियमों के उल्लंघन की जांच करना आदि मेरे मंत्रालय का काम नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक है।

Shri Ram Sewak Yadav : It has been said by some hon. Members that Shri Mundhra has 1 million sterling in foreign country and an ex-Minister has got foreign exchange in foreign firms. I want to know the difficulties being experienced by Government in instituting enquiry into all this and what action is being taken in this?

Fish Production

*685. **Shrimati Savitri Nigam** +:
Shri M. L. Dwivedi :

Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development** and **Cooperation** be pleased to state :

(a) the reasons for failure in the achievement of targets of fish production during the First, Second and Third Plan periods; and

(b) the amount received by Government from various international agencies during this period and the amount actually spent out of it?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Govinda Menon) : (a) The target of production during the First Plan was fully achieved and there was a significant rise in production during the Second Plan period. There has been a further substantial rise in production in the last two years of the Third Plan, but although the final position is yet to be assessed, the indications are that there will be a shortfall from the targeted figure. The main reason for the shortfall is the non-availability of an adequate number of mechanized boats and sufficient quantities of nylon fishing twine.

(b) During the first two Plan periods, assistance received from international agencies amounted to Rs. 172·02 lakhs and Rs. 117·13 lakhs respectively and was fully utilised. During the Third Five Year Plan, the corresponding figure is Rs. 239·11 lakhs of which Rs. 238·28 lakhs are likely to be utilised.

श्रीमती सावित्री निगम : तीसरी पंच वर्षीय योजना में अन्तर्देशीय मीन क्षेत्रों तथा समुद्र मीन क्षेत्रों में कितनी पूंजी लगाई गई है और उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

श्री गोविन्द मेनन : तीसरी पंच वर्षीय योजना में अन्तर्देशीय मीनक्षेत्रों में किये गये खर्च का ब्यौरा इस प्रकार है :—

	लाख रुपये
1961 . . .	277
1962 . . .	329
1963 . . .	390
1964 . . .	459
1965 . . .	453

श्रीमती सावित्री निगम : क्या सरकार को पता है कि कई राज्यों के पास पर्याप्त संख्या में मछली पालने (fish breeders) के तालाब आदि तथा मछली पकड़ने की जालियां नहीं है और यदि उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो उन विभिन्न राज्यों के लिए जो निर्धारित लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, इन उपकरणों की व्यवस्था करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री (श्री चि० सुब्रम्हण्यम) : यंत्रीकृत नावों की व्यवस्था के बारे में ही मुख्यत: यह कमी है, हमने तीसरी पंच वर्षीय योजना में 4,000 यंत्रीकृत नावें तैयार करने का लक्ष्य निर्धारित किया था किन्तु हम केवल 1,500 तैयार कर पायेंगे क्योंक विदेशी मुद्रा की कमी के कारण हम डिजल इंजनों तथा अन्य अपेक्षित उपकरण आयात नहीं कर सके ।

श्री म० ला० द्विवेदी : क्या यह सच है कि मछली उत्पादन सन्तोषजनक नहीं है क्योंकि बहुत से लोगों को परिस्‍ ति का अनुचित लाभ उठाने दिया जाता है ?

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न, श्री भागवत झा आजाद ।

हल्दिया बन्दरगाह के लिये विदेशी मुद्रा

+
*686. **श्री भागवत झा आजाद** :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री हेम बरुआ :
श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :
श्री कर्णी सिंहजी :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हल्दिया बन्दरगाह के लिये अपेक्षित विदेशी मुद्रा जुटाने के लिये विश्व बैंक के अतिरिक्त कोई दूसरा स्त्रौत खोजने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मोटी रूपरेखा क्या है ?

परिवहन तथा उड्डयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी नहीं । विश्व बैंक से ऋण की बातचीत अभी चल रही है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री भागवत झा आजाद : क्या बातचीत में कोई कठिनाई हो रही है, और यदि नहीं, तो स्थिति क्या है और क्या विश्व बैंक से अनुदान प्राप्त करने में सरकार सफल हो गई है ?

श्री चे० मु० पुनाचा : विश्व बैंक के सामने वर्ष 1961 में पहला प्रस्ताव रखा गया था और उसके पश्चात्, कुछ प्रारम्भिक जांच-पूछ के बाद वर्ष 1963 में ऋण के लिए पहली बार औपचारिक रूप से निवेदन किया गया। 1964 में विश्व बैंक ने हम से कई प्रश्न पूछे और हमने सभी अपेक्षित सूचना उन्हें दी। नवम्बर, 1965 में विश्व बक ने एक मूल्यांकन दल भेजा और दिल्ली और कलकत्ता में उनके साथ इस सम्बन्ध में व्यापक रूप से विचार-विमर्श हुआ। उक्त दल वापस लौट गया है और इस समय वह अपना प्रतिवेदन तैयार कर रहा है जिसे वह विश्व बैंक के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

श्री भागवत झा आजाद : वर्ष 1961 से 1966 तक की अवधि में अभी तक इस मामले में केवल जांच ही चल रही है, हम यह जानना चाहते ह कि सरकार ने विश्व बैंक के अतिरिक्त किसी अन्य स्त्रोत को ढूंढने का भी प्रयास किया है अथवा वह पूर्णत: विश्व बैंक पर ही यकीन किये बठी है और क्या विश्व बैंक ने इस बात का कोई संकेत दिया है कि वह हमारी आवश्यकता के अनुसार अपेक्षित पूरी धनराशि को देने की कोशिश करेगा ?

श्री चे० मु० पुनाचा : विश्व बैंक की इस विशेष परियोजना में बहुत दिलचस्पी है और उन्होंने अपनी दिलचस्पी का प्रमाण दिया है। केवल इतना ही नहीं, कलकत्ता पत्तन के विकास के लिए उसने दो ऋण दिये है और कलकत्ता पत्तन के विकास के लिए एक और ऋण दिया है। इस लिए, इस देश की पत्तन क्षमता का विकास करने में विश्व बैंक रूचि ले रहा है, अब इस मामले पर विचार-विमर्श चल रहा है। उसने हाल ही में अपना मूल्यांकन दल यहां भेजा था और इस प्रश्न पर वह अब गंभीर रूप से विचार कर रहा है और वह अपनी जांच, परिक्षण तथा विचार-विमर्श के परिणाम के बारे में शीघ्र ही हमें सूचित कर देगा।

Shri M. L. Dwivedi : Five years have passed since this matter was taken up with the World Bank and no satisfactory result has come out so far. In view of this, may I know the efforts being made by Government of India to complete this project very soon?

श्री चे० मु० पुनाचा : अभी इस मामले को पांच वर्ष नहीं हुए हैं। औपचारिक प्रार्थनापत्र 1963 में दिया गया था और अभी 1966 की शुरूआत ही है।

श्री स० चं० सामन्त : जब मूल्यांकन दल और मंत्रालय के बीच बातचीत चल रही थी, तो समाचारपत्रों में इस आशय के समाचार प्रकाशित हो रहे थे कि वह कुछ कड़ी-शर्तें रख रहे हैं। यदि यह सच है, तो वे शर्तें क्या थीं ?

श्री चे० मु० पुनाचा : विदेशी मुद्रा की उपलब्धि और देश में बने हुए कल-पुर्जों की उपलब्धि तथा पत्तन विकास के लिए अपेक्षित अन्य वस्तुओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर व इस प्रश्न पर विभिन्न पहलुओं से विचार कर रहे हैं।

श्री सुबोध हंसदा : क्या यह सच है कि 1965 में जापान के विशेषज्ञों का एक दल हल्दिया पत्तन आया था और यदि हां, तो उनकी इस यात्रा का उद्देश्य क्या था ?

श्री चे० मु० पुनाचा : उनकी इस यात्रा का उद्देश्य केवल अध्ययन करना था।

श्री प्र० चं० बरुआ : इस समय पत्तन क्षमता में कुल कितनी कमी है और हल्दिया पत्तन की क्षमता कितनी निर्धारित की जायेगी ?

श्री० चे० मु० पुनाचा : इस समय हल्दिया में किसी उल्लेखनीय मात्रा में माल उतारा या लादा नहीं जा रहा है क्योंकि वहां इस प्रकार की कोई सुविधाएं नहीं हैं किन्तु एक बड़े पत्तन के रूप में विकसित हो जाने पर वहां 80 लाख टन तक माल लादा-उतारा जा सकेगा।

श्री हेम बरुआ : क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए कि विश्व बैंक द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता निर्धारित करने में अमरीकी सरकार के राजनैतिक रूख का काफी हद तक प्रभाव रहता है, और भारत-पाकिस्तान संघर्ष के पश्चात अमरीकी सरकार का राजनैतिक रूख हमारे हित में नहीं है, क्या सरकार को इस बात की आशंका है कि विश्व बैंक हमारी आकांक्षाओं के प्रतिकूल भी कोई निर्णय कर सकता है और यदि हां, तो क्या सरकार ने किसी अन्य स्त्रोतों से वित्तीय सहायता प्राप्त करने की संभावना का पता लगाने के बारे में प्रयास किया है ?

श्री चे० मु० पुनाचा : ये बात-चीत अब करीब-करीब अन्तिम दौर पर हैं और हम उचित यहि समझते हैं कि अन्तिम परिणाम मालूम करने के लिए प्रतिक्षा की जाये, यदि परिणाम सन्तोषजनक न निकलें, तो फिर इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए और दूसरे स्त्रोतों की खोज की जायेगी क्योंकि सरकार इस विशेष पत्तन का विकास करने में बहुत इच्छुक है।

देश में उपभोग के लिये चीनी की आवश्यकता

***687. डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में देश में खपत के लिए चीनी की अनुमानित आवश्यकता कितनी है, और देश की आवश्यकता की किस सीमा तक पूर्ति की जायेगी; और

(ख) चालू वर्ष में चीनी के निर्यात का निर्धारित लक्ष्य कितना है और उससे कितनी विदेशी मुद्रा कमाई जायेगी ?

खाद्य, कृषि, सामदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे): (क) 1965-66 की फसल में देश में खपत के लिये अनुमानित 28 लाख मीटरी टन शर्करा की आवश्यकता होगी जोकि पूर्णरूप से पूरी की जाएगी।

(ख) निर्यात के लिये 3.97 लाख मीटरी टन शर्करा की बिक्री कर दी गयी है। विश्व की मंडिओं की स्थिति के अनुसार निर्यात के लक्ष्यों में निरन्तर परिवर्तन होता रहता है। विदेशी मुद्रा की कमाई वर्ष के दौरान वास्तविक निर्यात और शर्करा के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य स्तर पर, निर्भर करेगी।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में चीनी की प्रचुरता के कारण उत्पन्न विषम तथा प्रतिकूल स्थिति को सरकार ने समझा है जिसके परिणामस्वरूप चीनी के मूल्य में गिरावट आई है और पिछले मूल्य की तुलना में इस वर्ष वह लगभग तिहाई मूल्य पर बिक रही है और क्या सरकार को उसके परिणाम तथा अब तक उठाई गई भारी हानि के बारे में पता है और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री शिन्दे : माननीय सदस्य का यह कथन सच है कि अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य इस समय सब से अधिक गिरे हुए हैं और सरकार स्थिति से पूर्णतः अवगत है। किन्तु चूंकि हमें विदेशी मुद्रा अर्जित करनी है और यह बात भी सर्व विदित है कि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में पांव जमाने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में चीनी के लिए व्यापक होड़ लगी हुई है और ऐसी स्थिति में हमें यथा संभव निर्यात करने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए, यद्यपि मूल्य कम हैं तथापि हमारे कुछ वायदे हैं और हम उस स्थिति को कायम करने के लिए भी प्रयत्नशील हैं जिससे हम भविष्य में भी अपने निर्यात जारी रख सकें।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या मंत्री महोदय इस बात को स्पष्ट करेंगे कि भारत में चीनी का वास्तविक उत्पादन मूल्य क्या है, और उसका फुटकर मूल्य क्या है और हमें क्या निर्यात-मूल्य मिलता है ? मूल्यों के बीच इस भारी अन्तर को देखते हुए, सरकार चीनी के सम्बन्ध में अपनी नीति, जिससे राष्ट्र को हानि हो रही है और देश में चीनी की कमी पड़ रही है, बदल क्यों नही लेती ?

श्री शिन्दे : उत्पादन लागत तथा निर्यात मूल्य के सम्बन्ध में स्थिति इस प्रकार है। चीनी का औसत समाहार मूल्य जिसमें मिल निकते कीमतें, रेलवे भाड़ा, तथा भारतीय चीनी मिल्स संस्था का प्रबन्ध शुल्क (हैंडलिंग चार्जेज) आदि शामिल हैं, 915 रुपये प्रति टन आयेगा जबकि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार से 350 रुपये प्रति टन का औसत मूल्य हमें प्राप्त होता है। इस प्रकार 565 रुपये प्रति टन हानि उठानी पड़ती है। चालू वर्ष में यही उसका मोटा ब्यौरा है।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : मेरा प्रश्न यह था कि ऐसी स्थिति में सरकार चीनी के सम्बन्ध में अपनी नीति क्यों नहीं बदल लेती ?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ने पहले बता दिया है कि बाजार बनाये रखने के लिये हम चीनी का निर्यात करना चाहते हैं।

श्री उ० मू० त्रिवेदी : चीनी के निर्यात व्यापार सम्बन्धी विशेष परीस्थितियों को देखते हुए, जिनसे कि उत्पादन शुल्क की भारी हानि हो रही है, और इस बात को दृष्टि में रखते हुए कि चीनी के माध्यम से हम जितनी विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहें हैं वह उस धनराशि को पूरा नहीं करती जिसे देश में उत्पादन शुल्क के रूप में कमाया जायेगा, क्या सरकार यह नहीं सोचती कि चीनी की बिक्री पर लगाये गय नियंत्रण को पूर्णतः हटा दिया जाये जिससे सब चीनी बेची जा सके और उत्पादन शुल्क वसूल करके उठाई गई हानि पूरी की जा सके ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : जहां तक निर्यात का सम्बन्ध है, वह विदेशी मुद्रा अर्जित करने की आवश्यकता पर निर्भर करता है, केवल भारत ही ऐसी स्थिति से नहीं गुजर रहा है। चीनी का निर्यात करने वाले सभी देश इस प्रकार का घाटा पूरा करते हैं और अपेक्षाकृत कम मूल्य पर अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में उसे बेचते हैं क्योंकि इस बाजार में आज खरीददारकी चलती है।

हम केवल विदेशी मुद्रा अर्जित करने के उद्देश्य से इतना घाटा उठाकर चीनी का निर्यात करते हैं।

जहां तक चीनी पर से नियंत्रण हटाने का सम्बन्ध है, वित्त मंत्री ने कहा है कि वह इस मामले पर विचार कर रहे हैं। उन्होंने एक सुझाव दिया है जिस पर मैं अवश्य विचार करुंगा। अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

श्रीमती राम दुलारी सिन्हा : क्या यह सच है कि घरेलू खपत का गलत अनुमान लगाये जाने के कारण, चीनी की कमी बहुत हो गई है जिसके फलस्वरूप कालाबाजारी चल रही है; और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्री शिन्दे : जहां तक अन्तर्देशीय खपत का सम्बन्ध है, परिस्थितियों के अधीन हमने यथा-संभव ज्यादा से ज्यादा मात्रा में चीनी बांटी है। अलबत्ता, इस बात से मैं बिलकुल सहमत हूँ कि वह देश की आवश्यकता पूरी नहीं कर पाती, लेकिन, यदि हम पिछले 5 अथवा 6

वर्षों के आंकड़ों की जांच करें तो यह पता चलेगा कि इस वर्ष चीनी की खपत कहीं अधिक है। वास्तव में, जनवरी से हमने अन्तर्देशीय खपत के लिए चीनी का कोटा 10 प्रतिशत अधिक बढ़ा दिया है। अब 2 लाख 16 हजार टन चीनी प्रति मास बांटी जाती है।

Shri Bade : It has been stated just now that the figures for internal consumption and export stand 2·16 lakh and 3·92 lakh tonnes respectively. But so far my information goes, the production of sugar amounts to the tune of 36 lakh tonnes; and if so, the reasons for not releasing the remaining quantity of sugar for domestic consumption?

श्री शिन्दे : मैंने इस सभा में बार-बार यह कहा है कि इस वर्ष चीनी का उत्पादन 33 और 34 लाख टन के बीच में होने का अनुमान है। पिछले वर्ष से बची हुई चीनी लगभग 7 लाख टन थी। घरेलू खपत के लिए हमें 28 लाख टन चीनी की आवश्यकता पड़ेगी और लगभग 4-5 लाख टन चीनी का निर्यात किया जायेगा। बाकी जो बचेगी वह आग के लिए रखी जायेगी। जैसा कि माननीय सदस्य को भी विदित है कि इस वर्ष सूखा स्थिति के कारण बागानों को भी क्षति पहुंची होगी। इसलिए आगामी वर्ष की फसल अथवा उत्पादन की मात्रा के बारे में ठीक-ठीक अनुमान नहीं लगा सकते। ऐसी स्थिति में यह जरुरी है कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में चीनी का स्टॉक हो जिससे कि आगामी वर्ष में चीनी का मिलना ही मुश्किल न हो जाये, इस प्रश्न पर श्री सेन की अध्यक्षता में जांच आयोग ने पूरी तरह विचार किया था। वास्तव में, उन्होंने यह सिफारिश की है कि नियंत्रण हटाने की दिशा में कोई कदम उठाने से पहले सरकार के पास 12 लाख टन चीनी रक्षित भंडार में होनी चाहिए।

श्री काशिनाथ पांडे : इस बात को दृष्टि में रखते हुए कि देश में चीनी का उत्पादन धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा है, और यदि हम चीनी का निर्यात करना बन्द कर दें तो इस सम्बन्ध में विश्व बाजार से हमारा सम्बन्ध बिलकुल ही टूट जायेगा और एक और बात यह है कि कारखानों में आधुनिक मशीनरी लगी हुई हैं और उन्हें फालतू कल-पुर्जों की आवश्यकता पड़ती है और उन का आयात भी किया जाना चाहिए ताकि उत्पादन में रुकावट न पड़े; इन सभी पहलुओं पर विचार करते हुए क्या चीनी का निर्यात बढ़ाना संभव है?

श्री शिन्दे : मैं समझता हूँ कि हम यथासंभव अधिकतम सीमा तक निर्यात बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील हैं, जहां तक विदेशी मुद्रा जिसकी कारखानों को अपने आयातित वस्तुओं के मूल्य चुकाने के लिए आवश्यकता पड़ती है अर्जित करने का सम्बन्ध है, हम इस समस्या को अच्छी प्रकार समझते हैं और आवश्यक कार्यवाही करते हैं।

Shri Jagdev Singh Sidhanti : After working out a correct estimate of the size of requirements of sugar for domestic consumption and export purpose, Government enters into an agreement with Millowners. I want to know whether the Millowners respect the agreement. What actually happens is the Millowners do not purchase sugarcane from the areas allotted to them for the purpose; consequently the standing sugarcane crop is lying unharvested and unsold resulting in the national loss. Export also suffers. In view of this fact, may I know the steps being taken or proposed to be taken by Government to remedy the situation?

श्री शिन्दे : जैसा कि सर्व विदित है, कारखानों का सीजन नवम्बर से लेकर अप्रैल के अन्त तक अथवा मई के प्रथम दो सप्ताह तक चलता है, ऐसी स्थिति में स्वभावतः इस सारी अवधि के दौरान फसल काटने का कार्यक्रम चालू समझा जाता है। इस लिए कुछ गन्ना तो आवश्यक रूप से अप्रैल अथवा मई में ही काटी जायेगी और कुछ फसल आगे भी काटी जायेगी। इसलिए कुछ किसानों को इस अवधि तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है, यदि कोई ऐसी कठिनाइयां हों, जिस मामले में कारखाने गन्ना लेने से इन्कार करते हैं और माननीय सदस्य मुझ उसके बारे में बतायें, तो मैं जांच करुंगा।

Shri Rameshwaranand : The point that the sugarcane will go on drying up with the onset and onslaught of hot seasons and fairly a good portion of the crop will remain standing and then, the rates will be fixed accordingly. Who may be held responsible for the loss so caused to the cultivator and the nation ? If the crop lies unharvested like this, how the farmer will be able to sow or plant the next year's crop.

मंडियों में अनाज का आना

*688. **श्री श्रीनारायण दास :** क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन महीनों में मंडियों में मुख्य अनाजों का आना बढ़ गया है; और

(ख) यदि हां, तो मूल्यों पर क्या असर पड़ा है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) जी नहीं।

(ख) चावल के थोक भावों के अखिल भारतीय सूचकांक में अक्तूबर, 1965 से फरवरी, 1966 तक निरन्तर वृद्धि होती रही है जबकि गेहूं का सूचकांक इस अवधि में न्यूनाधिक स्थिर रहा है। अक्तूबर, 1965 से फरवरी, 1966 की अवधि में मक्का को छोड़कर, मोटे अनाजों के भावों के सूचकांकों में गिरावट आयी है।

श्री श्रीनारायण दास : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस वर्ष गेहूं की अच्छी फसल होने की सम्भावना है मैं यह जानना चाहता हूं कि गेहूं पैदा करने वाले क्षेत्रों में इस समय गेहूं का क्या भाव है तथा क्या वह मंडियों में अधिक मात्रा में आ रहा है अथवा नहीं और यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं।

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री (श्री चि० सुब्रम्हण्यम) : मण्डियों में केवल वह गेहूं आयेगा जो पिछली फसल से बचा हुआ होगा। इस वर्ष की फसल अप्रैल में आयेगी। फरवरी-मार्च में काफी गेहूं आता रहा है क्योंकि हम भी बाजार में 800,000 टन से अधिक आयातित गेहूं भेज रहे हैं। इस लिये आवक म कोई गिरावट की प्रवृत्ति नहीं हुई है।

श्री श्रीनारायण दास : माननीय मंत्री ने अभी ही बताया है कि देश के विभिन्न भागों में चावल के भाव में वृद्धि होने की प्रवृत्ति रही है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस बात को ध्यान में रखत हुए क्या कार्यवाही की जा रही है कि पिछले वर्ष चावल का उत्पादन अच्छा हुआ था तथा विभिन्न बाजारों में उस के भाव को कम करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है।

श्री चि० सुब्रम्हण्यम : इस वर्ष चावल के उत्पादन पर बहुत प्रतिकल प्रभाव पडा है उसके उत्पादन में 1965-66 में लगभग 60 से 70 लाख टन की कमी होने का अनुमान है। इसलिये यह कठिनाई अवश्य ही होगी। हम दूसरे देशों से भी चावल नहीं मंगवा सकते ह क्योंकि वह वहां पर भी उपलब्ध नहीं है।

Shri Kashi Ram Gupta : The Rajasthan Government has recently removed the maxium price limit policy. As a result of that arrivals of wheat in the market have increased. So, keeping in view that this policy has failed, I would like to know whether Government will still continue this policy of fixing the maximum price limit or will remove that?

श्री चि० सुब्रम्हण्यम : अन्य राज्यों ने भी दामों की अधिकतम सीमा को समाप्त कर दिया है। इस के परिणामस्वरूप मंडियों में आवक बढ़ गई है। परन्तु अन्ततोगत्वा हमें यह निर्णय करना है कि क्या मण्डियों में आवक पर रोक होनी चाहिये अथवा नहीं।

Shri Kashi Ram Gupta : I wanted to know what decision will be taken?

Mr. Speaker : The hon. Minister has said that it is still to be decided.

Shri Sidheshwar Prasad : The Rajasthan Government has removed the maximum price limit of foodgrains and to that extent there is a spurt in the market. So, in this connection I would like to know whether the Central Government would also suggest to the State Governments to remove maximum price limit so that arrivals of foodgrains may improve?

श्री चि० सुब्रम्हण्यम : यदि मुझे ठीक तरह से स्मरण है तो एक ही राज्य ऐसा है, अर्थात् मध्य प्रदेश, जहां अधिकतम मूल्य सीमा है। वे मण्डियों की आवक के बारे में भी ध्यान रखते हैं। वे समाहार भी करते हैं। इस लिये उनपर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा तथा इस सीमा को समाप्त करने से पहल वे इस पर विचार करना चाहते हैं।

Shri Onkar Lal Berwa : The prices of foodgrains have no tendency to fall down in spite of zonal system. So, I would like to know whether Government propose to remove it so that prices may fall down to some extent?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : यह मामला विशेषज्ञ समिति को सौंपा हुआ है। जैसे ही रिपोर्ट आ जायेगी, सरकार उस पर विचार करना आरम्भ कर देगी।

Shri Gulshan : Will the hon. Minister be pleased to state whether it is a fact that some businessmen of Punjab, having large stocks of foodgrains with them, had expressed their willingness to sell their foodgrains to the deficit areas in case the Central Government desires. So, I would like to know whether Government have given thought to this thing that the stocks of foodgrains with Punjab Government may be sent to the deficit areas as the new harvest season is about to come?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : इन व्यापारियों ने यह अनाज जिलाबन्दी के समय उत्पादकों से नियंत्रित मूल्य पर खरीदा था। अब वे उसे अन्य राज्यों को अत्यधिक लाभ पर बेचना चाहते हैं। हमने उसे उचित मूल्य पर खरीदने की पेशकश की है। तब हम नियंत्रित मूल्य पर उसे अन्य राज्यों को देंगे। इस तरह वे इस का तुरन्त लाभ उठाना चाहते हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि ऐसा कहा जा रहा है कि जिलाबन्दी टूटने की सम्भावना है। अतः वे उसे बेचने की बजाय जमा कर रहे हैं।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : देश में अनाज की जमाखोरी के बारे में सरकार का क्या अनुमान है? कुछ दिन हुए हम ने पढ़ा था कि सरकार तंगी महसूस कर रही है और उन्होंने यह पता लगाया है कि अनाज काफी मात्रा में जमा है। नियंत्रण के कारण इसपर कितना प्रभाव पड़ा है?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : जब जिलाबन्दी होती है, तो अवश्य ही एक राज्य से दूसरे राज्य में अनाज नहीं ले जाया जा सकता। सिवाय गैर कानूनी तौर पर लाने ले जाने के। इसलिये बाहुल्य वाले राज्यों में व्यापारी कुछ जमाखोरी कर लेते हैं। जहां तक पंजाब का सम्बन्ध है हमने अनुमान लगाया है कि वहां पर विभिन्न व्यापारियों के पास लगभग 68,000 से 70,000 टन गेहूं है। उनके पास लगभग एक लाख टन चावल भी है। वसे ही राजस्थान में भी लगभग 50,000 से 60,000 टन चना है।

Shri Yashpal Singh : There is a distance of only three miles between Ambala district and Saharanpur district. There are no buyers of wheat in Ambala district while in Saharanpur it is not available. Can Government give reasons for that? I would like to know as to how this problem could be solved—whether with the creation of a new State or new system or otherwise?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : ऐसा जिलाबन्दी के कारण हुआ है। यह मामला विचाराधीन है।

श्री भागवत झा आजाद : क्या यह सच है, जैसा कि आज के समाचारपत्रों में बताया गया है, कि पंजाब, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा जैसे कुछ राज्यों में--मुझे सभी नाम तो याद नहीं है--अनाज भारी मात्रा में जमा है तथा व्यापारी और अन्य लोग वहां पर परेशान है कि उसका क्या किया जाये? यदि यह बात सच है तो क्या मैं जान सकता हूं कि उसे बाजार में क्यों नहीं लाया जा रहा है। क्या सरकार ने इसके कारणों का पता लगाने, और यदि सम्भव हो, तो उनका हल करने का प्रयास किया है?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : उड़ीसा की स्थिति का तो मुझे पता नहीं है। परन्तु मैं यह अवश्य मानता हूं कि पंजाब में कुछ अनाज जमा है। हम उसे उचित मूल्य पर खरीदने को तैयार हैं। परन्तु दुर्भाग्य की बात तो यह है कि ऐसा अनुमान है कि जिलाबन्दी समाप्त होने वाली है और इस लिये वे जमाखोरी कर रहे हैं ताकि वे बाद में अति लाभ उठा सकें। हम इस बारे में विचार कर रहे हैं कि क्या उस जमाखोरी को निकालना सम्भव होगा।

श्री क० ना० तिवारी : क्या यह सच है कि उत्पादकों को अच्छे दाम नहीं मिल रहे हैं और इसलिये वे इसे खाद्य निगम को नहीं बेच रहे हैं तथा बाजार में नहीं ला रहे हैं। यदि हां, तो सरकार क्या कार्यवाही करने के लिये विचार कर रही है?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : जहां हमने न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया हुआ है वहां हमने खरीद मूल्य भी 4 से 5 रुपये प्रति क्विटल बढ़ा दिया हुआ है। हम ने खरीद व्यवस्था की हुई है, उदाहरणार्थ आन्ध्र प्रदेश में, तथा वे खाद्य निगम को उसे बेच रहे हैं।

श्री दी० चं० शर्मा : क्या मैं जान सकता हूं कि माननीय मंत्री के पास प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से क्या जानकारी है ताकि वह इस सभा में सही तौर पर कह सकें कि पंजाब के पास फालतू अनाज है तथा वह उसे बेचना नहीं चाहता है? मेरे विचार से मामला इस के बिल्कुल उलट है। केन्द्रीय सरकार ने पंजाब सरकार से जितना अनाज लेने का फैसला किया था उस ने उस से अधिक दे दिया है।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : यह बात व्यापारियों के पास स्टाक होने के बारे में है न कि सरकार के पास। इस में कोई सन्देह नहीं है कि पंजाब ने अन्य राज्यों को कुछ गेहूं देना स्वीकार कर लिया था। तथा उन्होंने वह राशि दी भी थी। इस के अलावा व्यापारियों के पास कुछ स्टाक है जो उसे इस आशा से नहीं दे रहे हैं कि जिलाबन्दी समाप्त हो जायेगी तथा वे अधिक लाभ कमा सकते हैं।

Consumers' Cooperative Stores in Delhi

+
*689. **Shri M. L Dwivedi :**
Shri P. C. Borooah :
Shri Bhagwat Jha Azad :
Shri Subodh Hansda :
Shri S. C. Samanta :

Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development** and **Cooperation** be pleased to state:

(a) whether his Ministry has full control over the Consumers' Cooperati v Stores in Delhi, if not, the reasons therefor;

(b) the name of the Ministry which provides grants, loans and other financial assistance to the Consumers' Cooperative Association and the nature of assistance given to the Central Government Stores by the Centre: and

(c) whether Government has some statutory powers or otherwise there is some set procedure to check the loss accruing due to mismanagement and irregularities and lack of proper supervision of the Consumers' Cooperative Societies?

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Shyam Dhar Mishra) : (a) to (c). A statement is placed on the Table of the House.

Statement

(a) Consistent with the autonomous character of the Cooperative Societies, this Ministry has full control over the Consumer Stores in Delhi set up under the Centrally sponsored scheme. Over the Central Government Employees' Cooperative Stores in Delhi, control is exercised by the Ministry of Home Affairs.

(b) (1) The Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation provides financial assistance to Consumer Stores set up under the Centrally sponsored scheme. Financial assistance to the Central Government Employees' Stores is provided by the Ministry of Home Affairs.

(2) Pattern of assistance for the primary stores, wholesale stores and their federations under the Centrally sponsored scheme is as below:—

Wholesale Stores

1. Share capial contribution on matching basis.	Rs. One lakh.
2. Loans and grants for godowns and trucks (75% loan and 25% subsidy).	Rs. One lakh.
3. Subsidy for managerial expenses etc. .	Rs. 10,000 (spread over a period of 3 to 5 years).

Primary Stores/Branches

1. Share capital on a matching basis . .	Rs. 2,500.
2. Managerial subsidy etc. . . .	Rs. 2,000 (spread over a period of 3 to 5 years).

State Federation

1. Share capital contribution on matching basis.	Rs. Two lakhs.
2. Managerial subsidy . .	Rs. One lakh (spread over a period of 3 to 5 years).

(c) The Registrar of Cooperative Societies has been vested with statutory powers of control, supervision, audit etc.

Shri M. L. Dwivedi : About two, two and a half or three years ago or near about that the Gur which was purchased from Muzaffarnagar at the rate of Rs. 20 or 25 per maund was sold by the Delhi Cooperative at Rs. 62 a maund. An assurance was given to institute an enquiry in the matter. So, I want to know the results of that enquiry and punishment given to the defaulters?

Shri Shyam Dhar Mishra : This question was asked earlier in this House and it was told that an enquiry is going on. This matter has been referred to the Court of Law.

Shri M. L. Dwivedi : Some anomalies have been noticed regarding accounts and stocks etc. in the Co-operative Stores under his Ministry. So, may I know whether his Ministry is doing any thing to improve the situation and if so, what steps are being taken?

Shri Shyam Dhar Mishra : No complaint has so far been received against the Central-sponsored Consumers Stores, wholesale and retail. They are also supervised and audited every year. Nothing has been proved during auditing also. We will certainly make an enquiry in case the hon. Member has any complaint to make against any particular store.

Shri Bhagwat Jha Azad : Can the Ministry tell us on the basis of what has been done so far in the Consumers Cooperative Association in Delhi State? Whether they have a plan to develop it in Delhi State? If so, the nature thereof?

Shri Shyam Dhar Mishra : A Central Consumers Cooperative Stores Scheme was introduced about two or two and a half years ago and anothe scheme was chalked out simultaneously to set up about 200 Consumers' Cooperative Stores which has been completed now. We want to increase the number of stores as much as possible during Fourth Five Year Plan and include 20 per cent families of Delhi in them. We also want that 10 to 20 per cent whole sale business be done through these stores.

श्री प्र० चं० बरुग्रा : वितरण में बताया गया है कि दिल्ली में उपभोक्ता भण्डारों पर पूरा नियंत्रण रखने का काम खाद्य तथा कृषि मंत्रालय का है जबकि दिल्ली स्थित केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता भण्डारों पर गृह-कार्य मंत्रालय नियंत्रण रखता है। इस तरह दो प्रकार का नियंत्रण होने के क्या कारण हैं? क्या मैं जान सकता हूं कि क्या स्टोरों में हानि तथा जब से वे खुले हैं तब से उनमें कोई लाभ न होने का यही कारण है ?

Shri Shyam Dhar Mishra : There are two types of schemes. One is Central-sponsored Scheme which is meant for the General public in Delhi. The other scheme has been started by the Government of India for the Central Government employees residing in Delhi and which is run by the Ministry of Home Affairs. The Consumer's Society comes under the Home Ministry, the recommendation for the setting up of which was made by the Pay Commission. The Pay Commission had recommended that a separate store should be set up for the Central Government employees which could supply goods at cheap rates to them. The Pay Commission had also recommended that there should be major welfare. Accordingly the Central Government decided that there would be a Cooperative Store with special facilities for the Government employees. Hence the Ministry of Home Affairs is running it and the Ministry of Cooperation has no operational part in it. This is the difference between the two.

श्री सुबोध हंसदा : क्या हम जान सकते हैं कि दिल्ली में कितनी प्राथमिक संस्थायें काम कर रही हैं तथा क्या वे संस्थायें लाभ पर चल रही हैं अथवा हानि पर ?

श्री श्यामधर मिश्र : मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस उपभोक्ता भण्डार कार्यक्रम के अन्तर्गत वह योजना—जिसे केन्द्र प्रायोजित योजना के बारे में मैं कह रहा हूं—$2\frac{1}{2}$ वर्ष पहले बनाई गई थी। उस योजना के अन्तर्गत लगभग 200 संस्थायें हैं। वे अच्छी तरह चल रही हैं। उस से पहले कुछ उपभोक्ता भण्डार थ जिन के बारे में कुछ शिकायतें मिली हैं। उन संस्थाओं के विरुद्ध जो शिकायतें की गई हैं उनके बारे में जांच हो रही है तथा कार्यवाही की जा रही है।

श्री स० चं० सामन्त : क्या सहकारी संस्थाओं का पंजीयक, जिस के पास कानूनी शक्ति तथा नियंत्रण, पर्यवेक्षण तथा लेखापरीक्षा का अधिकार है, अपनी शक्ति का वास्तव में प्रयोग कर रहा है। यदि हां, तो क्या सम्बन्धित सहकारी संस्थाओं से कोई चीज चार्ज की गई है ?

श्री श्यामधर मिश्र : जहां तक इन संस्थाओं का सम्बन्ध है उनकी देखभाल निरन्तर होती रही है। उनकी लेखापरीक्षा भी होती है तथा किसी किस्म की कमी नहीं है। यदि प्रश्न सामान्य रूप से पूछा गया है तो मैं अवश्य कहना चाहता हूं कि संस्थाओं से लेखापरीक्षा के बारे में कुछ बैंक लौग है।

Shri Ram Sevak Yadav : May I know whether any cooperative store sponsored by the Members of Parliament is working in North Avenue and South Avenue. If so whether it is running on profit or loss and whether it is still running or has been closed down? In case it is running on loss, then what is the extent thereof?

Shri Shyam Dhar Mishra: The society for which the hon. Member wants to seek information does not come under this scheme. Though I also know that an attempt was made by some Members to run a society in North Avenue and South Avenue. I have found that that society is not running at present.

Mr. Speaker : It is really sad that the hon. Members attempted to run a society which could not run successfully.

Shri Ram Sevak Yadav : A loss was incurred in that.

Shri Daji : When goods are not supplied, how a society can run?

Mr. Speaker : I know very well. I was appointed the Chairman of that Society.

Shri Shri Charan Gupta : What was the number of the members of the Cooperative Stores before 1962 and what is their number at present.

Shri Shyam Dhar Mishra : I have already said that this scheme was started in 1962. It was not there before that period.

मोरावा विमानों के पुर्जों का आयात

+

*690. श्री रा० स० तिवारी :
श्री शिवदत्त उपाध्याय :
श्री उइके :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री अ० सिं० सहगल :
श्री चांडक :
श्री वाडिवा :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री ज्वा० प्र० ज्योतिषी :
श्री पाराशर :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान चेकोस्लोवाकिया के व्यापार अधिकारियों तथा भारत में उनके एजेन्ट द्वारा मध्य प्रदेश सरकार के मोरावा विमानों के लिए फालतू पुर्जे, जो चेकोस्लोवाकिया से इस समझौते पर आयात किये गये थे कि जब भी आवश्यकता पड़ेगी फालतू पुर्जे उपलब्ध किये जायेंगे, न दे सकने की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) क्या सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए उचित कार्यवाही करने का विचार कर रही है कि देश में विमानों के आयात के लिए केवल तब ही अनुमति दी जानी चाहिये जब कि फालतू पुर्जों की सप्लाई और देखभाल की सुविधाओं के लिये सन्तोषजनक व्यवस्था हो जायें; और

(ग) फालतू पुर्जे प्राप्त करने में राज्य सरकार की सहायता करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी, हां ।

(ख) नियम के अनुसार विमान के साथ पर्याप्त फालतू पुर्जे आयात किये जाते हैं । इस विशेष स्थिति में, मई, 1962 में विमान देश में प्रदर्शन उड़ान के लिए आया तथा बाद में फरवरी, 1963 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा खरीद लिया गया । इन परिस्थितियों में अनुरक्षण प्रयोजन के लिये विमान के साथ पर्याप्त फालतू पुर्जे आयात नहीं किये गए ।

(ग) मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आदिष्ट विमान के फालतू पुर्जे पहले ही वितरित किये जा चके हैं ।

Shri R. S. Tiwary : What steps are the government taking so that hindrance or obstacle is caused in the event of non-availability of spare parts and other instruments of this aircraft?

श्री चे० मु० पुनाचा : फाल्तू पुर्जों के लिये आदेश दे दिया गया था तथा वे प्राप्त भी हो गये हैं । उस विमान पर काम हो रहा है ।

Shri R. S. Tiwary : When government imports such aircraft as has been done in this case with Czechoslovakia, do they not enter into contract with them for supply of spare parts etc. As in the absence of such an agreement, there will be no necessity for such aircrafts?

श्री चे० मु० पुनाचा : वास्तव में इस विमान को केवल प्रदर्शन उड़ान हेतु खरीदा था परन्तु बाद में मध्य प्रदेश सरकार इस से इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने इसे खरीद लिया । उस समय फाल्तू पुर्जों का कोई समझौता नहीं था । अब कुछ फाल्तु पुर्जों की आवश्यकता पड़ी और उन्हें मंगा लिया गया है ।

श्री हरि विष्णु कामत : यह मोरावा विमान भारत में प्रदर्शन कार्य के लिये कब आयात किया गया और मध्य प्रदेश सरकार ने इसे कब खरीदा । केवल मध्य प्रदश सरकार ने ही क्यों खरीदा दूसरी सरकारों ने क्यों नहीं ।

श्री चे० मु० पुनाचा : इसे प्रदर्शन कार्य के लिये मई 1962 में इस देश में लाया गया । मध्य प्रदेश सरकार ने इस में रुचि दिखाई तथा इसे फरवरी 1965 में खरीद लिया ।

श्री ज्वा० प्र० ज्योतिषी : क्या अब फाल्तू पुर्जों के आयात के ठीक प्रकार इन्तजाम हैं जिस से फिर कभी कोई कठिनाई न हो ?

श्री चे० मु० पुनाचा : जी हां ।

श्री उ० मु० त्रिवेदी : क्या मध्य प्रदेश सरकार ने इस विमान को खरीदने से पूर्व भारत सरकार से सलाह ली थी और यदि हां, तो भारत सरकार ने क्या सलाह दी ?

श्री चे० मु० पुनाचा : मध्य प्रदेश सरकार ने रुचि दिखाई और भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय ने इसे खरीदने की अनुमति दे दी ।

श्री हरि विष्णु कामत : क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार के पास कोई विशेषज्ञ नहीं है इस लिये ऐसी सलाह महत्वपूर्ण है ।

श्री चे० मु० पुनाचा : कोई बहुत विशेष सलाह न तो मांगी गई और न दी गई । क्योंकि इसे रुपयों के भुगतान समझौत के अन्तर्गत खरीदना था, इस लिये वाणिज्य मंत्रालय से इस दिशा में पूछताछ की और अनुमति दे दी गई ।

श्री दाजी : फाल्तू पुर्जों के लिये आवेदन पत्र कब दिया गया तथा वे कब दिये गये और देर का कारण क्या था ?

श्री चे० मु० पुनाचा : विमान की सफाई 1965 में होनी थी और उसके लिये फाल्तू पुर्जों की आवश्यकता थी। पुर्जों के लिये आदेश दिया गया और उसके पश्चात आठ से दस महीनों में उनका सम्भरण हो गया।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : While stamping the ballot paper, the ink sometimes seeps to the other side of the paper. Is the government thinking to improve things in this regard?

Shri G. S. Pathak : The Government will consider it.

Counting of votes

*691. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya** : Will the Minister of **Law** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1140 on the 23rd November, 1965 regarding the Counting of Votes immediately after they are cast at polling booths and state:

(a) the practical difficulties in the implementation of the proposal; and

(b) whether any political parties have been consulted in this matter?

विधि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन) : (क) व्यावहारिक कठिनाइयां ये हैं :—

(i) ग्रामीण क्षेत्रों में अनुभवी पीठासीन आफिसरों और मतदान अभिकर्ताओं का पर्याप्त संख्या में न होना ; और

(ii) विधि और व्यवस्था की गंभीर भग्नतायें जो जनता को इस बात का ज्ञान हो जाने पर हो सकती हैं कि किसी विशिष्ट क्षेत्र के मतदाताओं ने किस प्रकार मतदान किया है।

(ख) इन कठिनाइयों को देखते हुए, किन्हीं राजनैतिक दलों से परामर्श करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : When the ballot paper is folded, the ink of the stamp passes to the other side of the paper and spoils many votes. Do Government propose to make any improvement in this method?

The Minister of Law (Shri G. S. Pathak) : Government will consider this question.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

अध्यक्ष महोदय : ध्यान-आकर्षण सूचना। श्री स० मो० बनर्जी।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

राज्यों में सहकारी संस्थाएं

***692. श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** क्या **खाद्य, कृषि, सामदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में सहकारी संस्थाओं ने वर्ष 1965-66 में अनाज का कितना व्यापार किया; और

(ख) राज्यों तथा केन्द्र द्वारा इस बारे में क्या प्रोत्साहन दिये गये ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) और (ख) : एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5827/66।]**

ब्रह्मपुत्र नौपरिवहन मार्ग

***693. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री विभूति मिश्र :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत-पाकिस्तान संघर्ष के दौरान पाकिस्तान द्वारा बन्द कर दिये गये ब्रह्मपुत्र नौपरिवहन मार्ग के पुन: खुलने की कितनी संभावना है ;

(ख) इस मार्ग को बन्द कर देने के कारण पाकिस्तानी एवं भारतीय राष्ट्रीयता वाले कितने कर्मचारियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ;

(ग) पूर्वी पाकिस्तान की नदियों से परिवहन करने के लिये ब्रिटिश कंपनियों द्वारा पूर्वी बंगाल नदी परिवहन संगठन को जिस पर सरकार का नियंत्रण है, दिये जाने वाले संरक्षण कर (कन्जरवैंसी टैक्स) के बन्द हो जाने से राजस्व की कितनी हानि हुई है ; और

(घ) कलकत्ता और आसाम के बीच माल लाने ले जाने के लिये **अब** किन अन्य परिवहन सुविधाओं का आयोग किया जा रहा है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) इस मामले पर पाकिस्तान सरकार से बातचीत चल रही है।

(ख) और (ग) : सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होते ही प्रस्तुत कर दी जायेगी।

(घ) रेल सुविधाओं के अलावा, एक नदी तथा रेल सेवा चालू कर दी गई है। माल जोगीगोपा तक रेल द्वारा ल जाया जाता है और वहां से गोहाटी तथा आगे तक के लिये रिवर स्टीम नेविगेशन कंपनी लि० के स्टीमरों द्वारा गौहाटी तथा अन्य स्थानों के लिए तथा आसाम में बोनगांव जहां तक माल रेल द्वारा ढोया जाता है, उसके आगे सेन्ट्रल रोड ट्रान्सपोर्ट कारपोरेशन की गाड़ियां भी उसे ले जाने के काम में लाई जाती है।

फसल बीमा का व्यय

***694. श्री कपूर सिंह :**
श्री प्र० के० देव :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 30 दिसम्बर, 1965 के 'इकानामिक टाइम्स' में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि भारत सरकार ने फसल बीमा का 50 प्रतिशत खर्च वहन करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और केन्द्रीय निधि से इस कार्य पर कितना खर्च होने की सम्भावना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) जी नहीं। तीसरी योजना की अवधि के लिए पंजाब में फसल बीमा योजना के प्रशासन सम्बन्धी खर्च का 50 प्रतिशत भारत सरकार ने सिद्धान्ततः सहन करना स्वीकार किया। फिर भी अभी तक योजना चालू करना सम्भव नहीं हो सका है।

(ख) योजना को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

दिल्ली में खाद्यान्नों के दाम

*695. **श्री बसुमतारी :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के लिये गेहूं से बने पदार्थों चावल तथा गेहूं के अधिकतम मूल्य केन्द्रीय सरकार ने निर्धारित कर दिये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो किस आधार पर ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) दिल्ली में केवल गेहूं से बने पदार्थों और चावल के अधिकतम नियन्त्रित मूल्य निर्धारित किए गए है लेकिन गेहूं के नहीं।

(ख) गेहूं से बने पदार्थों के अधिकतम नियन्त्रित मूल्य केन्द्रीय सरकार के आयातित गेहूं के निर्गम मूल्य, उसमें से गेहूं के पदार्थों का उत्पादन; पिसाई खर्च, दिल्ली में सांविधिक राशन व्यवस्था के प्रशासनिक खर्च आदि पर आधारित है।

जहां तक चावल का सम्बन्ध है, इसके अधिकतम नियन्त्रित मूल्य पंजाब में लागू चावल के अधिकतम नियन्त्रित मूल्य के हिसाब से निर्धारित किए गए हैं। इनमें परिवहन खर्च और अन्य गुंजाइश तथा दिल्ली में सांविधिक राशन व्यवस्था पर होने वाले प्रशासनिक खर्चे भी शामिल हैं।

वनमहोत्सव अभियान

*696. **श्री दे० द० पुरी :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वनमहोत्सव अभियान की सफलता का कोई अनुमान लगाया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ;

(ग) क्या सरकार का विचार इन अभियानों को जारी रखने का है ; और

(घ) यदि हां, तो कब तक ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे) : (क) जी हां। वन महोत्सव अभियान के दौरान कितने वृक्ष लगाए गए और गत वर्ष के अभियान में लगाए गए पौदों से कितने वृक्ष बने इन सब के विषय में प्रत्येक राज्य से वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त की जाती है।

(ख) इस अभियान में 1950 से 1961 के दौरान लगाए गए वृक्षों की कुल संख्या निम्नलिखित है :—

लगाए गए	43 करोड़
उगे	22 करोड़

(ग) जी हां ।

(घ) ऐसे अभियानों के लिए कोई सीमित समय नहीं बताया जा सकता ।

राजस्थान में पर्यटन केन्द्र

***697. श्री धुलेश्वर मीना :**

श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1966-67 में राजस्थान में कुछ पर्यटन केन्द्र विकसित करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख) : भरतपुर में, जो पर्यटकों के प्रिय त्रिभुज दिल्ली-आगरा-जयपुर का एक भाग है, पर्यटन सुविधाओं का 1966-67 में विकास करन का प्रस्ताव है । इस योजना के लिए 13.52 लाख रुपये की राशि मंजूर की गई है । इस राशि में से 8.75 लाख रुपये केन्द्रीय क्षेत्र में व्यय किये जायेंगे । पर्यटन विभाग के 1966-67 के बजट में 5.00 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है । यह राशि भूमि सुधार, जल व्यवस्था, आवश्यक इमारतों और नाव की सुविधाओं के लिये खर्च की जाएगी ।

बकिंघम नहर परियोजना

***698. श्री रामनाथन चेट्टियार :** क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास में बकिंघम नहर परियोजना की क्रियान्विति की क्या स्थिति है ;

(ख) उस बारे में अन्तर्देशीय जल परिवहन संबन्धी गोखले समिति द्वारा की गई सिफारिशों की कार्यान्विति में होने वाले विलंब के क्या कारण हैं ; और

(ग) परियोजना के कब तक चालू होने की संभावना है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) से (ग) : जहां तक मदरास शहर में नहर सुधारने के लिये बकिंगघम नहर परियोजना, जो 1961 में मंजूर की गयी थी, का संबन्ध है, माइलापुर घाट के निर्माण के सिवाह सारे सिविल निर्माण कार्य पूरे हो गये हैं । माइलापुर घाट का निर्माण कार्य जारी है । आवश्यक निकर्षण पोत भी खरीद लिया गया है और जनवरी 1966 से चालू हो गया है । नहर के सुधार की कुछ अन्य योजनायें भी राज्य सरकार के विचाराधीन हैं । योजनाओं को अंतिम रूप दिये जाने तथा उनके अनुमोदन किये जाने के बाद ये शुरू की जायेंगी ।

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था के कर्मचारी

***699. श्री लखमू भवानी :**

श्री वाडिया :

श्रीमती श्यामकुमारी देवी :

श्रीमती ज्योत्सना चंदा :

श्री यशपाल सिंह :

श्री राम सहाय पाण्डेय :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्था, नई दिल्ली और इसकी शाखाओं के कर्मचारियों को यदि वे अपने पदों से त्याग पत्र नहीं देते और पुन: नये सिरे से भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद में नौकरी नहीं करते उनकी नौकरी समाप्त करने के नोटिस दिये गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद में उनकी नई सेवा की शर्तें क्या हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र): (क) से (ग) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5828/66।]**

चारा (फीड एंड फौडर) संसाधनों का विकास

*700. **श्री मलाइछामी : क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री 1 मार्च, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 293 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चारे के विकास के लिए आदर्श योजना को कितने राज्य सरकारों ने अपनाया है ;

(ख) राज्यों को अब तक कितनी वित्तीय सहायता दी गई है ; और

(ग) उसका क्या परिणाम निकला है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) जम्मू तथा कश्मीर को छोड़कर समस्त राज्य।

(ख) तीसरी योजना के अन्तर्गत स्कीम को 50 प्रतिशत अनुदान मिल सकता है। योजना आयोग द्वारा संशोधित प्रणाली के अनुसार पशुपालन ग्रुप के अन्तर्गत प्लान योजनाओं के लिए राज्य सरकारों को एक राशि के रूप में अनदान दिया जाता है (न कि वास्तविक खर्च के आधार पर अलग अलग स्कीमों के लिए)।

(ग) 1964-65 के अन्त तक माडल स्कीम की विभिन्न मदों के अन्तगत राशि निम्न प्रकार है :—

(1)	चारा विकास स्टाफ की नियुक्ति	13 राज्य
(2)	फार्मों/प्लाटों की संख्या, जिन्होंने बीजों तथा उन्नत चारा फसलों व घासों की पौध सामग्री का उत्पादन शुरू किया है।	82
(3)	उन फार्मों की संख्या जिनमें चरागाह विकास शुरू किया गया है .	67
(4)	जितने चरागाह प्रदर्शन प्लाटों की स्थापना हुई	415
(5)	जितने सिलोपिटों का निर्माण किया गया है	1509
(6)	जिनी कुट्टी की मशीने बांटी गई	2068
(7)	कृषकों को बीजों तथा चारा फसलों व घासों की जितनी उत्पादन-सामग्री बांटी गई :—	
	(क) बीज	15.49 लाख पौंड
	(ख) जड़े/कलमें (संख्या)	179.53 लाख

इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल का नोटिस

*701. **श्री रामेश्वर टांटिया :**

श्री राम हरख यादव :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के कर्मचारी संघ ने सरकार को हड़ताल का कोई नोटिस दिया है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित हड़ताल के क्या कारण बताये गये हैं ; और

(ग) हड़ताल को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी, हां। इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन को कलकत्ता में एयर कारपोरेशन कर्मचारी संघ की क्षेत्रीय संघों I और II की ओर से हड़ताल का नोटिस मिला है।

(ख) एयर कारपोरेशन कर्मचारी संघ की मांग का विस्तृत विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-5829/66।**]

(ग) इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट के अन्तर्गत, कलकत्ता के क्षेत्रीय लेबर कमिश्नर (केन्द्रीय) ने समझौता कार्यवाही प्रारम्भ की जो कि 15 मार्च, 1966 से शुरू हो गई थी।

थाइलैंड से चावल

*702. **श्रीमती मैमूना सुल्तान :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या थाइलैंड के साथ वहां से चावल का आयात करने के बारे में चल रही बातचीत पूरी हो चुकी है ; और

(ख) यदि हां, तो किये गये करार की शर्तें क्या हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) और (ख) : 1966 में थाइलैंड से 1.5 लाख मीटरी टन चावल खरीदने के लिये 17 फरवरी, 1966 को एक करार पर हस्ताक्षर हुये थे। करार में यह भी व्यवस्था है कि विक्रेयता की इच्छा पर 50,000 मीटरी टन चावल की और मात्रा बढ़ायी जा सकती है। चावल के मूल्य का भुगतान पौण्ड स्टर्लिंग में किया जाएगा।

चुनाव-खर्च

*703. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निकट भविष्य में चुनाव खर्च सम्बन्धी कानून में परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय में कब विधेयक प्रस्तुत किये जाने की संभावना है ?

विधि मंत्री (श्री गोपाल स्वरूप पाठक) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारतीय खाद्य निगम का कार्य-संचालन

*704. **श्री बालकृष्णन** : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम के कार्य संचालन के बारे में कोई अनुमान लगाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या निगम के कार्य संचालन में कोई त्रुटि पाई गई है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या उपचारी कार्यवाही करने का विचार किया गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री गोविन्द मेनन): (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारत में दुर्भिक्ष सम्बन्धी सहायता के विषय में विश्व सम्मेलन

*705. **श्री ही० ना० मुकर्जी :** **श्री वासुदेवन नायर :**
श्री पोट्टेकाट्ट : **श्री प्र० चं० बरूआ :**

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान अमरीका के समाचार पत्रों में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि अमरीकी राष्ट्रपति जानसन का इरादा भारत में दुर्भिक्ष सम्बन्धी सहायता के सम्बन्ध में विश्व सम्मेलन बुलाने का है ;

(ख) क्या सरकार की ओर से अमरीकी राष्ट्रपति को इस सम्बन्ध में कोई प्रार्थना की गई थी ; और

(ग) देश में दुर्भिक्ष की स्थिति के बारे में विभिन्न विश्व संस्थाओं में प्रचार किए जाने के सम्बन्ध में भारत सरकार का क्या रवैया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) सरकार को अमरीकी समाचार पत्रों में प्रकाशित इस समाचार का पता नहीं है कि राष्ट्पति जानसन का भारत में दुर्भिक्ष सम्बन्धी सहायता के सम्बन्ध में विश्व सम्मेलन बुलाने का इरादा है।

(ख) जी नहीं।

(ग) भारत में दुर्भिक्ष के बारे में कुछ विदेशी समाचार पत्रों में अशुद्ध समाचार प्रकाशित हुए हैं। संसद में दिए गए वक्तव्यों में खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्री ने भारत में कमी के बारे में वास्तविक स्थिति बतायी है और विदेशों मे अपने दूतावासों के माध्यम से इसका उचित प्रचार किया गया है।

आसाम के जिलों को विमान सेवा द्वारा मिलाना

*706. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम राज्य के सभी प्रमुख जिलों को विमान सेवा के द्वारा मिलाने की सरकार की कोई योजना है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निश्चित निर्णय किया गया है और आरम्भ की जाने वाली विमान सेवाओं का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) ये सेवायें कब से आरम्भ हो जायेंगी ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते ।

सिंचित क्षेत्रों में उर्वरकों का प्रयोग

***707. श्री मधु लिमये :**

श्री किशन पटनायक :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई और उर्वरकों के प्रयोग में घनिष्ठ सम्बन्ध होने के तथ्य को ध्यान में रखते हुए, सरकार का उन राज्यों में सिंचाई वाले क्षेत्र को बढ़ाने का विचार है, जिनमें इस समय सिंचाई की सुविधाएं कम हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : सभा-पटल पर एक विवरण रख दिया गया है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 5830/66 ।**]

पश्चिम जर्मनी से अनाज की सहायता

***708. श्री प्र० चं० बरूआ :**

श्री लिंग रेड्डी :

श्री दी० चं० शर्मा :

श्रीमती सावित्री निगम :

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :

श्री रामपुरे :

श्री हुकम चन्द कछवाय :

श्री मोहम्मद कोया :

श्री हिम्मत सिंहका :

श्री रामेश्वर टांटिया :

श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी जर्मनी ने भारत के खाद्य संकट को दूर करने के लिये सहायता देने की पेशकश की है ; और

(ख) यदि हां, तो किस रूप में तथा कितनी मात्रा में ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) जी हां ।

(ख) पश्चिमी जर्मन सरकार ने हमें निम्नलिखित सहायता देने का निर्णय किया है :—

(1) उर्वरक खरीदने के लिये 1.4 करोड़ रुपये के बराबर दीर्घकालीन ऋण ;

(2) भारत और खाद्य कृषि संगठन के एक संयुक्त कृषि कार्यक्रम के लिये लगभग 6 लाख रुपये के मूल्य के उर्वरकों की सप्लाई ;

(3) लगभग 6 लाख रुपये के मूल्य के दुग्ध चूर्ण का उपहार ;

(4) मंडी कृषि प्रायोजना को कांगड़ा जिले में लागू करने के लिये सहायता ; और

(5) मद्रास राज्य के नीलगिरि जिले में संयुक्त कृषि कार्यक्रम को अपने हाथ में लेना ।

Resultant Atta

***709. Shri Hukam Chand Kachhavaiya :** Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development** and **Cooperation** be pleased to state :

(a) whether Government propose to sell 'resultant' Atta in Delhi in open market;

(b) if so, whether that atta is fit for human consumption; and

(c) if not, the reasons for selling it in the market?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Govinda Menon): (a) There is no such proposal at present.

(b) Does not follow; however, resultant atta is fit for human consumption.

(c) Does not arise.

भारतीय जहाजरानी निगम के लिये मालवाहक जहाज

***710. श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन,** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय जहाजरानी निगम के लिये हिन्दुस्तान शिपयार्ड से ड्राई कार्गो लाइनर जहाज और पोलैंड से माल वाहक जहाज और यूगोस्लाविया से निर्मित कोयला वाहक जहाज और खुला माल ढ़ोने वाले जहाज लने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) क्या इससे सम्बन्धित ब्यौरा अन्तिम रूप से तय हो गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) से (ग) : हिन्दुस्तान शिपयार्ड, विशाखापत्तनम, को भारत के जहाजी निगम ने ग्यारह सूखे माल लाइनर जहाजों के निर्माण के लिये, पौलेंड को चार सूखे माल के जहाजों के लिये और यूगोस्लाविया को विशेष तौर पर डिजाइन किये गये उथला डुबाव वाले तीन तटीय कोयला वाहकों और तीन खुला माल वाहकों के लिये आदेश दे दिये हैं । ग्यारह जहाजों में से, जिनके लिये हिन्दुस्तान शिपयार्ड को आदेश दिया गया है एक जहाज के मार्च, 1966 के अंत तक प्राप्त होने की आशा है और शेष 10 जहाज 1966 और 1969 के बीच प्राप्त होंगें । पोलैंड से आने वाले जहाजों का जहां तक संबंध है, उन में से एक जहाज मिल गया है और अन्य जहाजों को 1966 के दौरान मिलना है । यूगोस्लाविया से आने वाले तीन कोयला वाहक जहाजों की भी 1966 क दौरान मिलने की आशा है । जहां तक यूगोस्लाविया से मंगाये गये खुला माल ले जाने वाले तीन जहाजों का संबन्ध है वे 1968 में मिलेंगे ।

राजस्थान में खाद्यान्नों का जमा होना

***711. डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : श्री हुकम चन्द कछवाय :**
श्री प्रकाशवीर शास्त्री : श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि राजस्थान की मंडियों में कई लाख मन चना तथा अन्य मोटा अनाज जमा हो गया है ;

(ख) क्या राज्य सरकार द्वारा अनाज का राज्य से बाहर ले जाने पर प्रतिबन्ध लगाये जाने के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है ;

(ग) क्या चने तथा अन्य अनाज के स्टाक को अन्य राज्यों को भेजने के लिये प्रबन्ध किये जा रहे हैं और यदि हां, तो उसकी मोटी रूपरेखा क्या है ; और

(घ) क्या वर्तमान स्थिति के आर्थिक परिणाम का अनुमान लगाया गया है, तथा यदि हां, तो इस स्थिति को सुधारने के लिये भारत सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) राजस्थान की कई मंडियों में कुछ चना जमा हो गया है। पता चला है कि अन्य मोटे अनाजों का स्टाक बहुत अधिक नहीं है।

(ख) जी हां।

(ग) और (घ) : भारतीय खाद्य निगम को अधिकार दिया गया है कि अन्य राज्यों को निर्यात करने के लिये राज्य में उपलब्ध फालतू चने की खरीदारी करे। ज्वार और मक्का का थोड़ा सा स्टाक राज्य में खपत के लिये अपेक्षित होगा।

फार्म ऋण

*712. **श्री प्र० चं० बरुआ :**

श्री जसवंत मेहता :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फार्म ऋण निर्गम के सम्बन्ध में विवरण देने के लिए एक उच्च शक्ति प्राप्त समिती बनाने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो इस समिति का यथार्थ गठन तथा उसके निदशपद क्या हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा **सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) :** (क) और (ख) : मामला विचाराधीन है।

वन क्षेत्र

2515. **श्री हेमराज :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में वनों का क्षेत्र कितना है ; और

(ख) तीसरी पंचवर्षीय योजना के प्रथम चार वर्षों में उन राज्यों तथा संघ-राज्य क्षेत्रों को, अलग-अलग, वनों से कितनी आय हुई ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे) : (क) और (ख) : राज्यों तथा संघ क्षेत्रों से प्राप्त जानकारी का विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5831/66**]

केरल में भुखमरी से मृत्यु

2516. **श्री अ० क० गोपालन :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि क्विलोन में भुखमरी के कारण कुछ व्यक्तियों द्वारा आत्महत्या कर लिये जाने के समाचार मिले हैं ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ताकि भविष्य में भुखमरी के कारण लोगों द्वारा आत्महत्या न की जाये?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय मे राज्य-मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) और (ख) : क्विलोन में भुखमरी से किसी व्यक्ति द्वारा आत्महत्या कर लिये जाने के किसी मामले की हमें कोई सूचना नहीं मिली है। सारे केरल राज्य में अनौपचारिक राशन-व्यवस्था लागू है और अनौपचारिक राशन-पद्धति के अन्तर्गत प्रत्येक व्यस्क को 280 ग्राम खाद्यान्न जिसमें 160 ग्राम चावल और 120 ग्राम गेहूं है, दिये जाते हैं। अतः खाद्यान्नों की अनुलब्धि के कारण केरल में किसी व्यक्ति के भुखमरी से मरने का प्रश्न ही नहीं उठता।

ग्राम्य ऋण की स्थिति

2517. **श्री अ० क० गोपालन :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्राम्य ऋण सम्बन्धी स्थिति के सम्बन्ध में रिजर्व बैंक द्वारा हाल में दिये गये प्रतिवेदन पर सरकार ने विचार कर लिया है ;

(ख) क्या यह सच है कि गांवों में ऋणग्रस्तता बढ़ती जा रही है ;

(ग) ऋण से दबे हुए कृषकों को राहत देने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ;

(घ) क्या कोई योजना अन्तिम रूप में तैयार की गई है ; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) शायद माननीय सदस्य का मतलब रिजर्व बैंक द्वारा स्थापित कृषि ऋण के लिए संस्थागत प्रबन्ध सम्बन्धी अनौपचारिक दल और रिजर्व बैंक बुलिटन में अखिल भारत ग्राम ऋण तथा निवेश सर्वेक्षण (1961-62) के बारे में छपे लेखों से है।

संस्थागत प्रबन्ध सम्बन्धी अनौपचारिक दल की रिपोर्ट पर नवम्बर, 1965 में राज्यों के सहकारिता मंत्रियों के सम्मेलन में सामान्य रूप से विचार किया गया था। सरकार उत्पादन के लिए अधिक ऋण की व्यवस्था करने की आवश्यकता के संदर्भ में इस सम्बन्ध में दिए गए अनेक सुझावों पर विचार कर रही है।

अखिल भारत ग्राम ऋण तथा निवेश सर्वेक्षण की पूरी रिपोर्ट अभी प्रकाशित नहीं हुई है। अब तक प्रकाशित तीन लेखों में सर्वेक्षण के कुछ निष्कर्षों का विश्लेषण किया गया है। कृषि ऋण की व्यवस्था सम्बन्धी भावी कार्यक्रमों की कार्यान्विति में इन पर विचार किया जाता है।

(ख) कुछ सीमाओं के भीतर रहते हुए, अखिल भारत ग्राम ऋण सर्वेक्षण (1951-52) और अखिल भारत भारत ग्राम ऋण तथा निवेश सर्वेक्षण (1961-62) के परिणामों की मोटे तौर पर की गई तुलना से पता चला है कि ऋण ग्रस्त ग्रामीण परिवारों का अनुपात 63 प्रतिशत पर ही न्यूनाधिक रूप में स्थिर रहा जबकि प्रति परिवार ऋण की औसत 1951-52 के 283 रुपये से बढ़कर 1961-62 में 406 रुपये हो गई है। इस सामग्री की उचित व्याख्या करते समय उन अवधियों की मौसम सम्बन्धी परिस्थितियों, मुल्य स्तर, पूंजी-व्यय तथा पूंजी-निर्माण आदि को ध्यान में रखना होगा जिनसे इन ऋण अनुमानों का सम्बन्ध है।

(ग) से (ङ) : सहकारी ऋण व्यवस्था को मजबत बनाया जा रहा है ताकि कृषकों को उनकी उत्पादन सम्बन्धी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए आवश्यक ऋण सुलभ किया जा सके ।

केरल में बन्दरगाहों पर माल उतारने की सुविधायें

2518. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल में अनाज उतारने की सुविधायें संतोषजनक नहीं हैं ;

(ख) कोचीन के बड़े बन्दरगाह पर तथा केरल के छोटे तथा बीच के दर्जे के बन्दरगाहों पर प्रतिदिन कितने टन अनाज उतारा जा सकता है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि छोटे और बीच के दर्जे के ग्यारह बन्दरगाहों में से केवल पांच बन्दरगाहों को ही अनाज उतारने के काम में लाया जाता है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार इस बात की आवश्यक समझती है कि सभी बन्दरगाहों का उपयोग किया जाये तथा उनका विकास किया जाय, विशेषकर तेल्लीचरी तथा आजिक्कल के छोटे बन्दरगाहों का जिन्हें बड़े बन्दरगाह बनाया जा सकता है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) केरल के पत्तनों पर खाद्यान्न उतारने के लिए मौजूदा सुविधायें सन्तोषजनक हैं ।

(ख) कोचीन में, जो कि एक बड़ा पत्तन है, एक दिन में 4000 टन खाद्यान्न उतारने की अधिकतम संख्या पहुंच चुकी है, इसमें तीन स्टीमर साथ साथ काम करते हैं । एक दिन की औसतन उतारने की संख्या 1100 से 1400 टन तक मानी जा सकती है । केरल के अन्य छोटे पत्तनों में अर्थात कालीकट, कीलो, अलप्पी और त्रिवेन्द्रम् में जहां अधिकतर बोरी बन्द चावल आता है वहां प्रतिदिन की औसत उतार त्रिवेन्द्रम, अलप्पी और क्वीलो पर 1000 से 1300 टन की दर से रही है और कालीकट में लगभग 1300 टन की ।

(ग) केरल में केवल पांच पत्तन अर्थात् कोचीन, कालीकट, क्वीलों अलेप्पी और त्रिवेन्द्रम खाद्यान्न के आयात के लिये व्यवहृत किये जाते हैं । कोचीन में कभी कभी फरटिलाइज़र भी आयात किये जाते हैं ।

(घ) कुछ समय पूर्व तेलीचेरी के पत्तन को इस्तेमाल करने के प्रश्न पर विचार किया गया था किन्तु चावल का अधिकमात्रा में आयात होने पर ही पत्तन को लाभकारी रूप से इस्तेमाल किया जा सकता था अतः इस मामले को मुलतवी कर दिया गया । तेलीचेरी या अजीकाल पत्तनों से अभी तक खाद्यान्न का कोई आयात नहीं किया गया है ।

प्रत्याशित भारी आयात के संदर्भ में केरल के पत्तनों में गैर वर्षाकालीन अवधि में प्रति महीने लगभग 1,10,000 टन खाद्यान्न लेने का और वर्षाकाल में प्रतिमास लगभग 60,000 टन लेने का प्रस्ताव है ।

केरल में समाहार

2519. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में वर्तमान वसूली प्रणाली के स्थान पर व्यापक समाहार प्रणाली अपनाने का सरकार का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो उसके लिये क्या व्यवस्था करने का विचार किया गया है ;

(ग) समाहार का आधार क्या है ; और

(घ) क्या छूट की कोई सीमा रखने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) जी नहीं ।

(ख) से (घ) : प्रश्न ही नहीं उठते ।

टेपिओका का उत्पादन

2520. **श्री अ० क० गोपालन :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में टेपिओका, शकरकन्द, केले तथा अनन्नास का उत्पादन बढ़ाने की सरकार की कोई योजना है ;

(ख) क्या सरकार का अपने फार्म खोलने का विचार है ;

(ग) यदि नहीं, तो सरकार का गैर-सरकारी उत्पादकों को किस प्रकार की सहायता देने का विचार है ;

(घ) क्या इस कार्य के लिये कोई योजना तयार की गई है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का कोई योजना बनाने के लिये कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) गैर-सरकारी उत्पादकों को निम्नलिखित सहायता दी जाती है :—

(1) टेपिओका, केला, अनन्नास की खेती हेतु टेपिओका के लिए 65 रुपये प्रति एकड़, केला के लिए 500 रुपये और अनन्नास के लिए 800 रुपये की दर से दिए जाते हैं ।

(2) केला चूषक तयार किए जा रहे हैं और 50 प्रतिशत साहाय्य दर पर वितरित किये जा रहे हैं ।

(3) टेपिओका, मीठा आलू तथा सब्जिओं की उन्नत किस्मों के बीज सामग्री ।

(4) फासफैटिक उर्वरक तथा कीटनाशक औषधियों पर सामान्य साहाय्य ।

(घ) जी हां ।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

पंचायत संस्था के सम्बन्ध में सन्तानम समिति का प्रतिवेदन

2521. **श्री वं० तंवर :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पंचायती राज वित्त के सम्बन्ध में सन्तानम समिति के प्रतिवेदन, 1963 की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के सम्बन्ध में क्या प्रगति की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे): पंचायतीराज वित्त सम्बन्धी संतानम अध्ययन दल की सिफारिशों को निम्न तीन कोटियों में वर्गीकृत किया गया है :—

(1) वे सिफारिशें जिन पर राज्य तथा केन्द्रीय सरकारों द्वारा कार्यवाही की जानी है ;

(2) वे सिफारिशें जिन पर राज्य सरकारों द्वारा कार्यवाही की जानी है ; और

(3) वे सामान्य रूप की सिफारिशें जिन्हें भविष्य में नीति तयार करते समय ध्यान में रखा जाना है ।

जम्मू तथा काश्मीर को छोड़कर शेष सभी राज्य सरकारों ने इन सिफारिशों पर विचार किया है । एक विवरण जिसमें उन महत्वपूर्ण सिफारिशों की कार्यान्विति के बारे में वतमान स्थिति दी गई है जो उपर्युक्त पहली दो कोटियों में आती हैं तथा सभी राज्यों को सामान्य रूप से लागू होती हैं, सभा-पटल पर रखा जाता है । **(पुस्तकालय में रखा गया । देखिय संख्या एल० टी० 3832/66 ।)**

अखबारी कागज का उत्पादन

2522. **श्री लखमू भवानी** : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देहरादून की वन गवेषणा संस्था विदेशी मुद्रा बचाने के उद्देश्य से किसी ऐसे ढंग से काम कर रही है जिससे सस्ते अखबारी कागज का उत्पादन किया जा सके ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी न्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) देश की विभिन्न लकड़ियों से तयार किये गये न्यूज़प्रिन्ट ग्रेड गूदा के उत्पादन पर जो कार्य किया गया उसके अच्छे नतीजे निकले हैं और अलनूस नेपालीनसिस, एन्थोसैफलस इण्डिकक, बूटिया मोनोसपरमा, एवीज पिन्डरो, एसर कैप्पवैली, एलन्थस ग्रान्डीस तथा वैकलन्डिया पोपूलनिया के आधार पर न्यूज़प्रिन्ट मिलों की स्थापना हो सकती है ।

इन लकड़ियों पर किए गए कार्य सम्बन्धी पूर्ण विवरण निम्नलिखित प्रकाशनों में दिया गया है :—

(1)	इंडियन फारस्टर .	1965,	91,	संख्या 8	593
(2)	इंडियन पल्प एण्ड पेपर	1963,	17,	संख्या 9,	511
(3)	इंडियन फारैस्टर	1961,	87,	संख्या 9,	546
(4)	इंडियन फारैस्टर	1965,	91,	संख्या 6,	371
(5)	इंडियन फारैस्टर	1960,	86,	संख्या 5,	302
(6)	इंडियन फारैस्टर	1965,	91,	संख्या 4,	205

दिल्ली काबुल विमान सेवा

2523. **श्री राम हरख यादव** :
श्री मुरली मनोहर :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली और काबुल के बीच इंडियन एयरलाइन्स की वाइकाउंट विमान सेवा पुन: चालू हो गई है ; और

(ख) क्या विमान सेवा अनुसूची में कोई परिवर्तन किये गये हैं ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख) : इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन दिल्ली और काबुल के बीच शनिवार को एक कहीं न रुकने वाली वाईकाउंट सेवा का परिचालन कर रही थी, जो कि 6 सितम्बर, 1965 से स्थगित कर दी गई। यह सेवा 27 फरवरी, 1966 से परिचालन के दिन में परिवतन कर अर्थात् शनिवार की बजाय रविवार को फिर से चालू कर दी गई है। पहले की सूची और वह सूची जो इस समय लागू है, नीचे दी गई है।

5 सितम्बर, 1965 तक के लागू समय

आई सी-451 शनिवार		आई सी-452 शनिवार
0945	जाने का समय देहली (पालम) आने का समय	1725
1210	आने का समय काबुल जाने का समय	1300

२७ सितम्बर १९६६ तक के लागू समय

आई सी-451 रविवार		आई सी-452 रविवार
0945	जाने का समय देहली (पालम) आने का समय	1855
1210	आने का समय काबुल जाने का समय	1430

बहादुरगढ़ और केन्द्रीय सचिवालय के बीच बस सेवा

2524. **श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती** : क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री बहादुरगढ़ तथा केन्द्रीय सचिवालय, नई दिल्ली के बीच एक सीधी बस सेवा चालू करने के बारे में 22 फरवरी, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 567 के उत्तर के संबंध से यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार, अम्बाला ने इस बीच परमिट पर प्रतिहस्ताक्षर कर दिये हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं जब कि उक्त प्राधिकार इस बारे में पहिले ही सहमत हो गया था ; और

(ग) इस कार्य को शीघ्र कराने के लिये क्या कार्यवाही की गई है तथा उक्त सेवा के कब तक चालू होने की सम्भावना है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन, तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) अभी तक नहीं।

(ख) क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी अंबाला ने मामले को प्रान्तीय परिवहन नियंत्रक पंजाब को भेजा है।

(ग) दिल्ली परिवहन संस्थान इस मामले में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, अंबाला से बातचीत कर रही है और संस्थान से कहा गया है कि इस मार्ग पर जितना शीघ्र हो बस सेवा चालू कर दें।

Soil Conservation in Maharashtra

2525. Shri D. S. Patil :
Shri Tulsidas Jadhav :

Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development** and **Cooperation** be pleased to sta e the amount allocated to the State of Maharashtra in the Third Five Year Plan for soil conservation?

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Shyam Dhar Misra): A sum of Rs. 2084 lakhs under State Plan Schemes, and a sum of Rs. 13 lakhs under Centrally sponsored schemes were allocated to the State of Maharashtra in the Third Five Year Plan for Soil Conservation.

Import of Crawler Tractors

2526. Shri D. S. Patil :
Shri Tulsidas Jadhav :

Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development** and **Cooperation** be pleased to state :

(a) whether the Government of Maharashtra have asked for grant of foreign exchange for importing heavy crawler tractors; and

(b) if so, the amount thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Shyam Dhar Mishra): (a) Yes, Sir.

(b) Rs. 128 lakhs for 208 crawler tractors and 50 Angledozers.

Road Schemes in Maharashtra

2527. Shri D. S. Patil :
Shri Tulsidas Jadhav :
Shri D. D. Mantri :

Will the Minister of **Transport, Aviation, Shipping** and **Tourism** be pleased to state:

(a) the amount of grant given out of the Central Roads Fund to the Maharashtra Government for implementing the schemes regarding the development of roads in the State during 1965-66; and

(b) the amount of such grant proposed to be given to the State during 1966-67?

The Minister of Transport, Aviation, Shipping and Tourism (Shri Sanjiva Reddy): (a) Rs. 45·00 lakhs.

(b) Rs. 45·00 lakhs.

धान की फसलों की हानि का अनुमान

2528. **श्री वासुदेवन नायर :**
श्री वारियर :
क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धान की फसल की हानि का अनुमान लगाने तथा उस अनुमान के आधार पर पुनराक्षित वसूली के बारे में सिफारिश करने के लिये सरकार ने कोई समिति नियुक्त की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस समिति की उपपत्तियां तथा सिफारिशें क्या हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० गोविन्द मेनन) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

वन विज्ञान सम्बन्धी शिक्षा

2530. **श्री राम हरख यादव :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में वन विज्ञान सम्बन्धी शिक्षा की समस्याओं को हल करने के लिये कोई विशेष तालिका बनाई;

(ख) यदि हां, तो तालिका के सदस्यों के नाम क्या हैं और उसके संविधान के मुख्य उपबन्ध क्या हैं ; और

(ग) इसके कार्य तथा कार्य-प्रणाली क्या हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) : सरकारी प्रस्ताव दिनांक 29 दिसम्बर, 1965, जिसमें पूछी गई जानकारी दी गई है, की प्रति सभा-पटल पर रख दी गई है । [**पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल०टी० 5833/66 ।**]

गन्ना विकास परिषद्

2531. **श्री राम हरख यादव :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के तत्वाधान में सरकार ने एक विशेष गन्ना विकास परिषद् बनाई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस परिषद् के सदस्य कौन कौन हैं और उसके क्या क्या कार्य हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) जी हां । परिषद् कृषि विभाग के अधीन है ।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल. टी० 5834/66 ।**]

सामुदायिक विकास और पंचायती राज सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुसंधान की राष्ट्रीय परिषद्

2532. श्री लिंग रेड्डी : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सामुदायिक विकास और पंचायती राज सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुसन्धान की राष्ट्रीय परिषद् कब स्थापित की गई थी ;

(ख) इसक मुख्य कार्य क्या हैं ;

(ग) अब तक इसकी कितनी बैठकें हुई हैं तथा इसने क्या कार्य किया है; और

(घ) यदि इसकी कोई बैठक नहीं हुई तो है, इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे) : (क) सामुदायिक विकास तथा पंचायती राज सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुसन्धान की राष्ट्रीय परिषद् पहली बार 13 जून, 1962 को गठित की गई थी और 24 सितम्बर, 1965 को इसे पुनर्गठित किया गया था।

(ख) इसके मुख्य कार्य ये हैं :–

(1) सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रशिक्षण से सम्बन्धित सामान्य नीतियों के बारे में मंत्रालय को सलाह देना;

(2) सामुदायिक विकास और पंचायती राज के कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण में समन्वय करना ;

(3) सामुदायिक विकास विभाग के अनन्य क्षेत्राधिकार में आने वाले विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों की कार्यान्विति में मंत्रालय को सहायता देना।

(ग) परिषद् जब पहली बार गठित की गई थी तब से इसकी तीन बैठकें हो चुकी हैं। इन बैठकों में परिषद् ने बदलती हुई आवश्यकताओं तथा अपेक्षाओं के सन्दर्भ में प्रशिक्षण कार्यक्रम की समीक्षा की और समय समय जो विशिष्ट समस्याएं उत्पन्न हुई उनकी जांच की।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय

2533. श्रीमती सावित्री निगम : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा सहकार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के बांदा क्षेत्र में कृषि विश्वविद्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

नलकूप

2534. **श्री प्र० चं० बरुआ :** **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री म० ला० द्विवेदी : **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री भागवत झा आजाद : **श्री बादशाह गुप्त :**

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में अभी बड़ी संख्या में नलकूप काम नहीं कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में उनकी संख्या कितनी है ; और

(ग) उन्हें प्रयोग में लाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) से (ग) : आन्ध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, महाराष्ट्र तथा पश्चिम बंगाल से प्राप्त जानकारी से पता चलता है कि अधिकतर नलकूप जो हर तरह से पूरे किए जाते हैं और क्रियाशील बनाए जाते हैं कार्य कर रहे हैं और इन सरकारों द्वारा सिविल कार्य को पूरा करने तथा पहले ही खोदे गए नलकूपों को क्रियाशील बनाने के लिए कदम उठाए गए हैं।

उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश के सम्बन्ध में उनकी सरकारों से जानकारी मिलने की प्रतीक्षा की जा रही हैं, मिलते ही सभा के पटल पर रख दी जायेगी।

बम्बई बन्दरगाह में गोदी श्रमिकों की हड़ताल

2535. **श्री सुबोध हंसदा :** **श्री म० ला० द्विवेदी**
श्री स० चं० सामन्त : **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री भागवत झा आजाद :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिसंबर, 1965 में बंबई बन्दरगाह में गोदी श्रमिकों की कोई हड़ताल हुई थी;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण थे;

(ग) इसके परिणामस्वरूप बन्दरगाह में माल लादने तथा उतारने के काम को कितने समय तक हानि पहुंची ; और

(घ) किन शर्तों पर समझौता हुआ ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) अलेकजेन्ड्रा डाक हाइड्रोलिक इस्टेब्लिशमेंट के क्रेन ड्राइवरों ने 14 दिसंबर, 1965 को 20-30 बजे काम बन्द कर दिया था। अलेकजेन्ड्रा डाक लाक गेट कर्मचारियों सहित, संस्थापन के अन्य कर्मचारी भी दूसरे दिन से उनके साथ शरीक हो गये। हड़ताल 16 दिसंबर, 1965 को 13-45 बजे समाप्त कर दी गई।

(ख) ऐसा प्रतीत होता है कि मूलतः एक गोदी रोड अधीक्षक द्वारा एक क्रेन ड्राइवर के कथित दुर्व्यवहार के विपरित विरोध स्वरूप में यह हड़ताल की गई थी। बाद में कर्मचारियों ने क्रेन ड्राइवरों को यूनीफार्म की सप्लाई किये जाने की पुरानी मांग को दोहराया जिससे गोदी कर्मचारी उन्हें पहचान सके।

(ग) अलेकजेन्ड्रा गोदी पर माल को लादने और उतारने के लिये घाट क्रैनों का इस्तेमाल हड़ताल की सम्पूर्ण अवधि के लिये निलंबित कर दिया गया। जहां तक संभव हुआ माल का लादना और उतारना जहाजों के विचों द्वारा किया गया और हड़ताल ने खाद्यान्न के उतारे जाने पर कोई प्रभाव नहीं डाला। यह कार्य बुहलर मशीनों और वेकूण्टरों द्वारा निर्बाध गति से चलता रहा। दूसरी गोदियों पर भी लादने और उतारने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा।

(घ) हड़ताल इस आश्वासन पर समाप्त की गई कि क्रेन ड्राइवरों की युनिफॉर्म की सप्लाई की मांग पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जायेगा और इस पर शीघ्र निर्णय किया जायेगा। मांग को सिद्धान्त के तौर पर स्वीकार कर लिया गया है।

बंबई पत्तन में न उठाया गया माल

2536. श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री प्र० च० बरुआ :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बंबई बन्दरगाह में दो महीने से अधिक समय से पड़ा हुआ सारा माल नोलाम किया जायेगा ताकि विदेशों से मंगवाये गये अनाज को उतारने-धरने में सुविधा हो;

(ख) यदि हां, तो बंबई बन्दरगाह में दो महीने से अधिक समय से कुल कितना माल पड़ा हुआ है ;

(ग) वह माल कितने समय से वहां पड़ा है ; और

(घ) क्या सम्बन्धित पक्षों से कोई विलम्ब-शुल्क लिया गया है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) से (ग) : 1965 के अन्त में पत्तन में दो महीनों से अधिक पड़े हुये पैकेजों की संपूर्ण संख्या 85,754 थी। 1960 से 313, 1961 से 3332, 1962 से 7,920, 1963 से 3051, 1964 से 15719 और 1965 से 55419 थी। 72000 पैकेजों को चुंगी विभाग ने, संबद्ध दलों द्वारा आयात व्यापार नियंत्रण आदेशों के न मानने के कारण नहीं छोड़ा था। चुंगी द्वारा छोड़ा गया माल बंबई पोर्ट ट्रस्ट एक्ट 1879 की धारा 64 और 64-ए के अनुसार सार्वजनिक तौर से नीलाम कर दिया जाता है। दिसंबर, 1965 से पोर्ट अधिकारी बहुत समय तक पड़े माल की विशेष बिक्री का प्रबन्ध कर रहे हैं। ये उपाय पारेषण शेड और माल गोदामों में भीड़ न होने देने के लिये और जहाजों के जाने में शीघ्रता के लिय किये जा रहे हैं। पड़े हुये उल्लिखित पैकजों के जमा हो जाने के कारण आयात खाद्यान्न के धरने-उठाने पर कोइ प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(घ) नियमित दरों के अनुसार माल ले जाने के समय संबद्ध दल पोर्ट ट्रस्ट को विलंब-शुल्क की अदायगी करते हैं।

अन्तरराज्य बस मार्ग

2537. श्री बागड़ी :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री राम सेवक यादव :
श्री किशन पटनायक :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री 7 दिसंबर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1953 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन अन्तर्राज्य मार्गों के नाम तथा संख्या क्या है जिन पर बसों के चलने के लिये राज्य परिवहन प्राधिकारियों द्वारा 163 परमिट दिये गये है ;

(ख) शेष परमिट कब तक दिये जायेंगे;

(ग) क्या सरकार का विचार कुछ और अन्तर्राज्य मार्गों को शामिल करने का है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) उन अन्तर्राज्य मार्गों के नाम जिन पर अन्तर्राज्य परिवहन आयोग ने नियमित सार्वजनिक वाहक परमिटों का कोटा निश्चित किया है और विभिन्न राज्य परिवहन अधिकारियों द्वारा अभी तक कितनी परमिटें जारी की गई हैं, इसका विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5835/66।]** आयोग ने इस मार्गों पर चलाने के लिय नियमित बस परमिटों का कोई कोटा तय नहीं किया है।

(ख) संबंधित राज्य परिवहन अधिकारियों से शेष सार्वजनिक वाहक परमिटें जल्दी से जल्दी जारी करने की प्रार्थना की है।

(ग) और (घ) अन्तर्राज्य परिवहन आयोग समय समय पर अन्तर्राज्य मार्गों के निर्वाचन के प्रश्न को जिसके बारे मे वह नियमित सार्वजनिक वाहक परमिटों की संख्या निश्चय करती है, समीक्षा करती रहती है।

कलकत्ता-डिब्रूगढ़ नदी-मार्ग

2538. **श्री बागड़ी :**
श्री रामसेवक यादव :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री किशन पटनायक :
श्री यशपाल सिंह :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री कलकत्ता-डिब्रूगढ़ नदी-मार्ग के बारे में 7 दिसंबर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1951 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता से डिब्रूगढ़ तक नदी-मार्ग की सफाई संबन्धी दल की सिफारिशों पर सरकार ने इस बीच कोई निर्णय कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख) : नदी की सफाई का कार्य जिसमें बहुत व्यय होगा, कलकत्ता-डिब्रूगढ मार्ग की उपयोगिता के प्रकाश में परीक्षण करना पड़ेगा, जिसमें अभी हाल की पाकिस्तानी कार्यवाही के कारण रुकावट पड़ी थी।

केन्द्रीय जल तथा परिवहन बोर्ड

2539. **श्री बागड़ी :**
श्री किशन पटनायक :
श्री राम सेवक यादव :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री केन्द्रीय जल तथा परिवहन बोर्ड के संबंध में 7 दिसंबर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1946 के उत्तर के संबन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोर्ड के शेष सदस्यों को इस बीच मनोनीत कर दिया गया है ;

(ख) क्या हाल में उक्त बोर्ड की कोई बैठक हुई थी ; और

(ग) यदि हां, तो उसमें क्या निर्णय किया गया ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) : मंडल की पहली बैठक 18 अप्रैल, 1966 को होगी।

Breeding farms for Horses, Cows and Mules

2540. **Shri Bagri :**
Shri Kishen Pattnayak :
Dr. Ram Manohar Lohia :
Shri Ram Sewak Yadav :
Shri Vishram Prasad:
Shri Utiya :
Shri Yashpal Singh :
Shri Jagdev Singh Siddhanti :

Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development** and **Cooperation** be pleased to state:

(a) whether Government have any schemes to set up breeding farms for horses, cows and mules; and

(b) if so, the names of the States where these farms would be set up and how far the demand of the Army for horses and mules is likely to be met thereby?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Govinda Menon) : (a) and (b). There is no proposal to establish equine breeding farms in the Fourth Five Year Plan as a Centrally Sponsored Scheme. The State Governments have also not suggested any provision for establishment of such farms under the State Plans in 1966-67.

A Centrally Administered Scheme for setting up of six Cattle Breeding Farms at an estimated cost of Rs. 360 lakhs has been included in the Fourth Five Year Plan. Location of the farms has not yet been decided.

सहायक भोजन के रूप में मछली

2541. **श्री लिंग रेड्डी** : क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में सहायक भोजन के रूप में मछली का विकास करने के लिये केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों ने क्या कायवाही की है ; और

(ख) क्या सूखा की स्थिति के कारण समुद्री तटों में विकास के लिए मत्स्यपालन विकास को सर्वोच्च वरीयता दी गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री गोविन्द मेनन): (क) तीसरी पंचवर्षीय योजना में कुल 28.64 करोड़ रुपये की विभिन्न केन्द्रीय और केन्द्र द्वारा प्रायोजित मात्स्यकी योजनाएं मंजूर की गयी थी। इसका विवरण सभा-पटल पर रखा गया है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये, संख्या एल० टी० 5836/66।]

(ख) यथा शीघ्र मात्स्यकी के विकास के लिये सभी प्रयत्न किये जा रहे हैं। चौथी योजना में केन्द्रीय और केन्द्र द्वारा प्रयोजित मात्स्यकी स्कीमों के लिये 114 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है।

उत्तम बीजों का सम्भरण

2542. **श्री लिंग रेड्डी** : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में मैक्सिको के गहूं, संकर मक्का धान और अन्य अनाजों के उत्तम बीज बांटने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ख) कितने बीज फार्मों में उत्तम बीज पैदा किये जाते हैं और उत्तम बीजों के मामले में देश के कब स्वावलम्बी हो जाने की संभावना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र): (क) और (ख) : इन किस्मों के बीजों तथा 1966 की खरीफ फसल हेतु हाईब्रिड के उत्पादन के लिए राज्य सरकारों के सहयोग से राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा प्रबन्ध कर दिए गए हैं। रबी मौसम के लिए भी इस प्रकार के प्रबन्ध किए जायेंगे।

प्रगतिशील किसानों में से चुने हुये ठेके के उत्पादकों द्वारा कुछ राज्य बीज फार्मों में इन किस्मों के लिए मूल बीजों की वृद्धि की जाती है।

आगामी दो या तीन वर्षों में चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान में इन अधिक उपज तथा हाईब्रिड किस्मों के लिए जितनी भूमि पर खेती करने का लक्ष्य रखा गया है उसके लिए बीजों के मामले में आत्म-निर्भर होने हेतु प्रत्येक प्रयत्न किया जा रहा है।

दुग्धशाला परियोजना

2543. **श्री लिंग रेड्डी** : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक** विकास तथा **सहकार** मं ी यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत संघ राज्य क्षेत्रों में कितनी दुग्धशाला परियोजनायें चल रही हैं ;

(ख) उनमें कितनी धनराशि लगी हुई है ;

(ग) वे कितना दूध तथा दूध की बनी चीज़ें सप्लाई करती हैं ; और

(घ) चौथी पंचवर्षीय योजना में कितनी दुग्धशालायें आरम्भ करने का विचार है और उस पर कितना धन खर्च आयेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे) : (क) सात।

(ख) 31,83,800 रुपए (अनुमानित)।

(ग) शुद्ध दूध (गाय तथा भैंस का) तैयार किया हुआ दूध (केवल गोवा में), मक्खन तथा घी।

(घ) लगभग 1,33,000 रुपए की लागत से 13 यूनिटें।

प्रत्येक खण्ड में संयुक्त खण्ड विकास अधिकारी प्रणाली

2544. **श्री सुबोध हंसदा** :
श्री यशपाल सिंह:

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक खण्ड में संयुक्त खण्ड विकास अधिकारी प्रणाली चालू करने की सरकार की कोई योजना है ;

(ख) यदि हां, तो संयुक्त खण्ड विकास अधिकारी प्रणाली चालू करने का क्या उद्देश्य है ; और

(ग) इसे किन किन राज्यों में चालू किया जा चुका है ?

खाद्य, कृषि, सामदायिक विकास तथा सहकार मंत्री मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठता ।

व्यावहारिक आहार-पोषण कार्यक्रम

2545. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री यशपाल सिंह :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग के व्यावहारिक आहार-पोषण कार्यक्रम से सम्बन्धित कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन की सिफारिशों को सब सामुदायिक विकास खण्डों में क्रियान्वित किया गया है ;

(ख) इस कार्यक्रम को कौन कौन से अभिकरण क्रियान्वित कर रहे है और कितने खण्डों में; और

(ग) क्या केन्द्र से धन न मिलने के कारण इस कार्यक्रम को बन्द कर दिया गया था ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे) : (क) योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन द्वारा द्वारा उड़ीसा, आन्ध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मद्रास के व्यावहारिक पोषाहार कार्यक्रम के वर्तमान मूल्यांकन पर की गई सिफारिशों पर मई, 1965 में हुए व्यावहारिक पोषाहार के अन्तर्राज्य सम्मेलन और जुलाई 1965 में श्रीनगर में हुए सामुदायिक विकास तथा पंचायती राज्य के वार्षिक सम्मेलन में विचार किया गया था। मूल्यांकन के निष्कर्षों और अन्तर्राज्य सम्मेलन तथा गत वार्षिक सम्मेलन की समीक्षा के आधार पर कार्यक्रम की परिचालन क्षमता में सुधार करने के लिए राज्यों, जहां कि यह कार्यक्रम कार्यान्विति के विभिन्न स्तरों पर है, को विस्तृत मार्गदर्शक सूचित किए गए हैं ।

(ख) राज्य सरकारें/संघ क्षेत्रों के प्रशासन इस कार्यक्रम को यूनिसेफ, एफ०ए०ओ० और डब्ल्यू० एच०ओ० की सहायता से खण्ड एजेन्सी द्वारा कार्यान्वित कर रहे हैं । अब तक यह कार्यक्रम 220 खण्डों में लागू किया जा चुका है ।

(ग) जी नहीं ।

आन्ध्र प्रदेश में बन्दरगाह

2546. **श्री कोल्ला वैंकेया :**
श्री म० ना० स्वामी :
श्री लक्ष्मी दास :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय बन्दरगाह विकास बोर्ड ने चौथी पंचवर्षीय योजना में आन्ध्र प्रदेश में काकीनाड़ा, बान्दर, कृष्णापत्तनम तथा वादरेवू बन्दरगाहों के विकास की आवश्यकता का विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक बन्दरगाह के विकास पर अनुमानतः कितना खर्चा होगा ;

(ग) विकसित होने पर प्रत्येक बन्दरगाह की क्या क्षमता होगी तथा विकास पर होने वाले खर्च को केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार किस अनुपात में वहन करेंगी ;

(घ) विकास कार्य कब आरम्भ किया जायेगा ;

(ङ) इन बन्दरगाहों के विकास में यदि कोई समस्याएं सामने आने वाली है, तो क्या ; और

(च) समस्या को हल करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) :(क) से (घ) : चतुर्थ योजना में छोटे और मध्यवर्ती पत्तनों के विकास के लिये समुद्री राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्ताव राष्ट्रीय पत्तने मंडल की कलकत्ते की बैठक में 29 और 30 दिसम्बर, 1965 को रख दिये गये थे। यह निश्चय किया गया था कि प्रस्तावों पर राज्य सरकारों से विस्तृत विचार-विमर्ष किया जाये और तब परिवहन मंत्रालय उन्हें योजना आयोग को प्रेषित करेगी। ये विचार-विमर्ष शीघ्र ही होगे। आन्ध्र सरकार ने आन्ध्र प्रदेश में चौथी योजना में छोटे पत्तनों के लिये काकीनाडा, बांदर, कृष्णपत्तनम और वादरेवू पत्तनों के विकास के लिये कुछ प्रस्ताव भेजे हैं। उनकी प्राक्कलित लागत यह होगी :—

काकीनाडा . .	59.00 लाख रुपये
बांदर (मसूलीपत्तनम) . . .	48.00 ,, ,,
कृष्णपत्तनम .	42.25 ,, ,,
वादरेवू . . .	60.00 ,, ,,

इन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से शीघ्र ही विचार-विमर्ष किया जायगा।

केन्द्रीय सहायता की सीमा योजना से सलाह करने के बाद निश्चित की जायेगी। कार्यक्रम को अन्तिम रूप देने के बाद ही अनुमोदित मदों को लिया जायेगा।

(ङ) और (च): राज्य सरकार के अनुसार काकीनाडा, मसूलीपत्तनम, कृष्णपत्तनम और वादरेवू के पत्तनों की मुख्य समस्या रेत जमना है। तीसरी पंचवर्षीय योजना में इन पत्तनों के लिये कुछ छोटे निकर्षक प्राप्त किये गये हैं।

बड़े पैमाने पर निकर्षण के लिये, तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा आर्डर दिये गये दो बड़े निकर्षकों का उपयोग करना संभव होगा।

Production of Sugar

2548. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya** : Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development** and **Cooperation** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 409 on the 23rd November, 1965 and state the full details of the steps taken by Government to increase the production of sugar and thus reduce its cost?

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Shinde): Reply to Starred Question No. 409 on 23rd November, 1965 did not refer to steps taken by Government to increase the production of sugar in order to reduce its cost. These referred to steps taken or being taken to increase per acre yield of cane and the sucrose content in cane so as to reduce cost of production of sugar.

These steps are :

(i) Sugarcane development schemes are in operation in various States since 1948-49. These schemes cover use of better varieties of seed, increased use of fertilisers, proper plant protection measures, increased provision of irrigation facilities, harvesting on maturity basis and extension of advanced technical knowledge amongst the farmers;

(ii) a new scheme for intensive cultivation of cane around sugar factory areas has been undertaken recently in major sugar producing States. Under this scheme intensive cane development activities are concentrated in a compact block of about 4,000 acres under cane around each sugar factory. The scheme lays emphasis on all growth controlling factors *viz.* irrigation, replacement of varieties of sugarcane, plant protection, supply of adequate fertilizers and manures, provision of transport facilities etc.;

(iii) varieties with high per acre yield and sucrose contents evolved at the Sugarcane Breeding Institute, Coimbatore are being recommended for multiplication and commercial cultivation by various State Sugar Cane Research Stations;

(iv) the system of payment of price of sugarcane linked with sugar recovery has been introduced;

(v) in factory areas zones for intensive production of sugarcane are being demarcated;

(vi) performance of existing nurseries is being reviewed and nurseries with poor performance are being abandoned and suitable other areas are being selected for the purpose;

(vii) road communications are being improved in factory areas in order to improve sugar recovery by minimising time lag between harvest and crush.

सहकारी चीनी कारखाने

2549. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1965 में राज्यवार, कितने सहकारी चीनी कारखानों को लाइसेंस दिये गये;

(ख) वर्ष 1965 में राज्यवार, सहकारी क्षेत्र के कितने चीनी कारखानों में उत्पादन आरम्भ किया;

(ग) वर्ष 1965 में सहकारी क्षेत्र में चीनी का कुल कितना उत्पादन हुआ; और

(घ) क्या वर्ष 1966 में सहकारी क्षेत्र में चीनी की उत्पादन क्षमता के लिये लाइसेंस दिये जाने की सम्भावना है तथा इस में से कितनी क्षमता उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात में स्थापित की जायेगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे) : (क) 1965 में निम्नलिखित 8 नये सहकारी शर्करा कारखानों की स्थापना के लिए आशय पत्र जारी किए गए हैं :—

क्रम संख्या	राज्य	1965 में जिन नये सहकारी शकरा कारखानों की स्थापना के लिए आशय पत्र जारी किए गए उनकी संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	1
2.	मैसूर	1
3.	महाराष्ट्र	1
4.	गुजरात	1
5.	उत्तर प्रदेश	1
6.	मध्य प्रदेश	1
7.	उड़ीसा	1
8.	राजस्थान	1
	जोड़	8

(ख) 1965–66 के चालू सीज़न में काम कर रहे सहकारी शर्करा कारखानों की राज्यवार संख्या निम्न प्रकार है :—

क्रम संख्या	राज्य	1965-66 में काम कर रहे सहकारी शकरा कारखानों की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	8
2.	केरल	2
3.	मद्रास	4
4.	मैसूर	3
5.	महाराष्ट्र	20
6.	गुजरात	3
7.	उत्तर प्रदेश	4
8.	पंजाब	5
9.	असम	1
10.	उड़ीसा	1
	जोड़	51

(ग) 1964–65 (1–11–64 से 31–10–65 तक) में सहकारी शर्करा कारखानों ने 8.07 लाख मीटरी टन शर्करा का उत्पादन किया जब कि चालू सीज़न में 7-3-66 तक उन्होंने 5.83 लाख मीटरी टन शर्करा का उत्पादन किया है।

(घ) वर्तमान सहकारी तथा संयुक्त पूंजी दोनों कारखानों का विस्तार कर और मुख्यतः सहकारी क्षेत्र में नये शर्करा कारखानों की स्थापना कर शर्करा उत्पादन की अतिरिक्त क्षमता के लिए लाइसेंस दिये जाते हैं। क्योंकि राज्यवार कोई आवंटन नहीं है, इसीलिए इस अवस्था में यह बताना सम्भव नहीं है कि 1966 में उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात में शर्करा की कितनी अतिरिक्त उत्पादन क्षमता के लिए लाइसेंस दिए जाएंगे।

पौधा संरक्षण योजना

2550. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1965–66 में पौधा संरक्षण योजना कुल कितनी भूमि पर लागू की गई ;

(ख) क्या पौधा संरक्षण से सम्बन्धित कीटनाशक योजना समस्त कृषियोग्य भूमि पर लागू करने के लिये कोई योजना बनाई गई है; और

(ग) यदि हां, तो अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) वर्ष 1965–66 के लिए पूर्व उपलब्धि 43 मिलियन एकड़ है।

(ख) जी हां। चौथी योजना में समस्त कृष्य भूमि में पौध रक्षा उपायों को लागू करने के प्रश्न पर विचार किया गया लेकिन पूंजी, मानव-शक्ति तथा उससे सम्बन्धित वस्तुओं की आवश्यक मात्रा को ध्यान में रखते हुए सन 1968–69 तक 210 मिलियन एकड़ भूमि तक का उद्देश्य रखा गया। यह प्रस्ताव किया गया है कि चौथी योजना के दो वर्षों से इस स्तर को पूरा किया जाये।

(ग) प्रस्तावित भौतिक लक्ष्य 1966–67 के लिए 63 मिलियन एकड़, 1967–68 में 126 मिलियन एकड़ और 1968–69 में 210 मिलियन एकड़ है। कार्यक्रम के विभिन्न पहलू तैयार कर लिए गए हैं और राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्य शुरू कर दें।

छोटी सिंचाई सम्बन्धी कार्यक्रम

2551. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966–67 में विभिन्न राज्यों के लिए छोटी सिंचाई सम्बन्धी कार्यक्रमों का परिव्यय कितना है तथा उसके लिए कितनी राशि नियत करने का विचार है ;

(ख) क्या वर्ष 1965–66 के लिए नियत की गई राशि पूर्णतः उपयोग में लाई गई है और सिंचाई कार्यों के लिए किसानों को उससे कितना लाभ हुआ है; और

(ग) उस राशि के उपयोग से वर्ष 1965–66 में उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) 1966–67 की अवधि में लघु सिंचाई योजनाओं हेतु विभिन्न राज्यों के लिए स्वीकृत किये गये परिव्यय का विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 5837/66]

(ख) आशा है कि 1965–66 के वित्तीय वर्ष में लघु सिंचाई कार्यक्रमों के लिए विभिन्न राज्यों के लिए हुए 76.27 करोड़ रुपए के कुल उपबन्ध को पूर्ण रूप से उपयोग में लाया जायेगा। अन्तिम अनमानों के अनुसार इस वर्ष के दौरान में सिंचाई से लगभग 38.2 लाख एकड़ भूमि को लाभ पहुंचेगा।

(ग) विभिन्न आदानों को कृषि के लिए मिलाकर उपयोग में लाया जा रहा है, इसलिए यह कहना संभव नहीं है कि किसी एक आदान के उपयोग से कितना उत्पादन बढ़ा है। फिर भी मोटे तौर पर अनुमान लगाया गया है कि लघु सिंचाई योजनाओं से लाभ उठाने वाली प्रति एकड़ भूमि में 1/5 टन अतिरिक्त उत्पादन बढ़ता है।

भाण्डागारों का निर्माण

2552. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 27 फरवरी, 1966 तक देशभर में केन्द्रीय सरकार द्वारा अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई सहायता से कुल कितने भाण्डागारों का निर्माण किया गया ;

(ख) इस योजना पर कुल कितनी धन राशि व्यय हुई; और

(ग) भाण्डागारों में माल जमा करवाने वाले लोगों को भाण्डागारों द्वारा क्या सुविधाएं दी गयीं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) केन्द्रीय सरकार ने कोई भाण्डागार नहीं बनवाया है। तथापि, केन्द्रीय भाण्डाकार निगम ने केन्द्रीय सरकार से हिस्सा पूंजी में अंशदानों और ऋणों से फरवरी, 1966 के अन्त तक देशभर में 38 भाण्डागार बनवाए थे।

(ख) केन्द्रीय भाण्डागार निगम ने 10.78 करोड़ रुपये खर्च किए है।

(ग) इन भाण्डागारों में माल जमा कराने वालों को निम्नलिखित मुख्य मुख्य सुविधाएं दी जाती है :—

(1) वैज्ञानिक संचयन सुविधाएं,

(2) प्रत्यय-पत्र के रूप में भाण्डागार की रसीद पर बैंकों से ऋण मिलने की सुविधा, और

(3) फसल कटने के तुरन्त बाद खेतिहरों की मन्दे भावों पर उपज की बिक्री को रोकना।

सूरत के निकट मागदाल्ला पत्तन

2553. **श्री प्र० र० चक्रवर्ती : क्या परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूरत के निकट मागदाल्ला पत्तन औपचारिक रूप से खोल दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो माल उतारने की इसकी दैनिक क्षमता कितनी है;

(ग) जब कभी आवश्यक हो तो अनाज के जहाजों को लेने के लिये कौन से दूसरे छोटे पत्तन तैयार किये गये है; और

(घ) क्या सरकार ने बढते हुये व्यापार टनभार को ध्यान में रखते हुये पत्तन विकास संबंधी अग्रेतर प्रस्तावों का परीक्षण कर लिया है?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी हां, मागदाल्ला को औपचारिक रूप से 4 जनवरी, 1966 को खुला घोषित कर दिया गया था।

(ख) पत्तन की उतारने की क्षमता अधिकांश में माल की प्रकृति पर निर्भर करती है किन्तु, साधारणतः वह 750 टन प्रतिदिन की है।

(ग) गुजरात में ओखा, वीरावल और पोर बन्दर के पत्तन भी आवश्यकता पडने पर खाद्यान्न पोत लेने की क्षमता रखते है। यह भावनगर और नवलख्खी के छोटे पत्तनों के अतिरिक्त है, जहां खाद्यान्न यातायात धरी उठाई जाती है। खाद्यान्न यातायात के धरने उठाने के लिये अन्य छोटे और मध्यवर्ती पत्तन मंगलौर, कारवार, कालीकट, क्वीलोन और त्रिवेन्द्रम है।

(घ) चतुर्थ योजना में छोटे और मध्यवर्ती पत्तनों के विकास के लिये प्रस्ताव विचाराधीन है।

Increase in Production during Rabi crop

2554. **Shri Bibhuti Mishra :** Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development** and **Cooperation** be pleased to state :

(a) the measures adopted to increase the production during the rabi crop in 1966; and

(b) the increase in production planned this year as compared to the last year?

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Shyam Dhar Mishra): (a) The following measures were proposed to State Governments for increasing production during the Rabi crop in the year 1965-66:—

1. Introduction of additional crops over and above the existing ones in a few selected irrigated areas.
2. Promotion of cultivation of subsidiary root crops, such as potatoes and tapioca.
3. Organising of vegetable cultivation in urban and sub-urban areas.
4. Preparation and bringing under cultivation some land falling within the command areas of new irrigation projects of which the full potential was not being utilised.
5. Arranging for the preparation of farm manure in compost pits on a well-planned basis.
6. Mobilisation of electric and diesel pumpsets for using flow and surface water by means of lift irrigation.

It has been reported that as against a target of 32·90 lakh acres, the State Governments are likely to bring 38·17 lakh acres additional area under the Rabi and summer crops in the current year. They also expect to bring 1,20,600 acres under potatoes and 1,71,612 acres under vegetable cultivation. Arrangements were also made to supply necessary inputs like fertilisers.

(b) In the Third Five Year Plan, year-wise and season-wise break-up of production targets was not formulated. As the Hon. Member is aware, this year (1965-66) there has been a serious drought resulting in a serious shortfall as compared to last year's production.

However, for the items under the Emergency Production Programme explained in (a) above certain *ad hoc* targets in terms of additional acreage were fixed for which there are no corresponding figures for last year. Since there was no such Emergency Production Programme last year.

Ignoring of interest of farmers

2555. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
Shri Bade :

Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development** and **Cooperation** be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been drawn to the statement made by a Minister of U.P. at Bulandshahar in December, 1965 in a camp organised by Krishak Samaj accusing the Central Government of ignoring the interest of farmers; and

(b) if so, the reaction of Government thereto?

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Shyam Dhar Mishra): (a) and (b) A statement is laid on the table of the House [**Placed in library** *See* **No. L.T. 5838/66**].

कृषि उत्पादन निगम

2556. **श्री कपूर सिंह :**

श्री प्र० के० देव :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एक कृषि उत्पादन निगम बनाने का है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा कब और किन विशिष्ट प्रयोजनों के लिये यह निगम बनाया जा रहा है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

उड़ीसा में बीज खेत (फार्म)

2557. **श्री रामचन्द्र उलाका :**

श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में वर्ष 1965–66 में कोई बीज खेत (फार्म) स्थापित किये गये थे ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उस राज्य को इस अवधि में इस कार्य के लिये कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मं लय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) (क) 1965–66 में उड़ीसा में कोई बीज फार्म स्थापित नहीं किया गया है ।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठता ।

उड़ीसा में नलकूप

2558. **श्री रामचन्द्र उलाका :**

श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1965–66 में उड़ीसा में जिलावार कितने परीक्षणात्मक नलकूप लगाये गये ; और

(ख) उनमें से कितने नलकूप ठीक काम करते हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) और (ख): 1965–66 के दौरान इस विभाग के अधीन समन्वेषण सम्बन्धी नलकूपों संगठन ने भूमिगत समन्वेषण परियोजना के अन्तर्गत उड़ीसा में कोई समन्वेषण सम्बन्धी बोर नहीं खोदा है।

उड़ीसा म चावल का उत्पादन

2559. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वष 1965–66 में उड़ीसा राज्य में चावल का कितना उत्पादन हुआ है;

(ख) उक्त अवधि में अन्य राज्यों को कितना चावल भेजा गया; और

(ग) उसका मूल्य कितना था ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री गोविन्द मेनन): (क) लगभग 32.5 लाख मीटरी टन।

(ख) 1-11-1965 से 15-3-1966 तक 57,461 मीटरी टन।

(ग) अनुमानतः 4.02 करोड़ रुपये।

उड़ीसा में संयुक्त खेती सम्बन्धी मार्गदर्शी योजनाएं

2560. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1966–67 में उड़ीसा में संयुक्त खेती सम्बन्धी कोई मार्गदर्शी योजनाएं आयोजित की जायेंगी;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य के लिये कितनी धनराशि नियत की गई है; और

(ग) इस समय उड़ीसा में इस प्रकार की कितनी मार्गदर्शी परियोजनाएं चल रही है और तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में इस कार्य पर अब तक कुल कितना खर्च किया गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) 14.00 लाख रुपये।

(ग) इस समय उड़ीसा में संयुक्त सहकारी खेती समितियां की 7 प्रायोगिक परियोजनाएं चल रही है; तीसरी योजना अवधि में अब तक 8,48,000 रुपये खर्च किए गए है।

कृषि उपज बढ़ाने के लिये उड़ीसा को ऋण

2561. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

6—41 L.S./66

(क) क्या वर्ष 1965–66 में कृषि उपज को बढ़ाने के लिये उड़ीसा सरकार को कोई अल्पकालीन ऋण दिया गया था; और

(ख) यदि हां, तो ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) और (ख): विशेषतया फार्म उपज बढ़ाने के लिये 1965–66 में उड़ीसा सरकार को कोई अल्पकालीन ऋण नहीं दिया गया है। फिर भी उर्वरकों, उन्नत बीजों तथा कीटनाशक औषधियों की खरीद तथा वितरण के लिये ऋण के रूप में 1965–66 में उड़ीसा की सरकार को 87.00 लाख रुपये के अल्पकालीन ऋण दिये गये हैं जिनका विवरण निम्न लिखित है :—

	(रुपये लाखों में)
1. उर्वरकों की खरीद तथा वितरण	52.00
2. उर्वरकों, सुधरे बीजों तथा कीटनाशक औषधियों की खरीद तथा वितरण	10.00
3. बीजों की खरीद तथा वितरण	25.00
कुल .	87.00

राजस्थान को केन्द्रीय सहायता

2562. श्री घुलेश्वर मीना :
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार ने वर्ष 1965–66 में अब तक राजस्थान को राज्य में (एक) पशुपालन (दो) दुग्धशाला तथा दूध के संभरण और (तीन मत्स्यपालन सम्बन्धी कार्यक्रम की क्रियान्विती के लिये वास्तव में कितना धन दिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र): 1965–66 की अवधि में राजस्थान के लिये केन्द्रीय सरकार ने केन्द्रीय सहायता की निम्न राशियों (भूमि तथा अनुदान) का नियतन किया है :—

(क) पशुपालन, डेरी तथा दुग्ध संभरण का कार्यक्रम . . .	43.93 लाख
(ख) मछलीपालन का कार्यक्रम	00.30 लाख

वास्तव में राज्य सरकार को मार्च 1966 के अन्त तक रुपया दिया जायेगा। उस समय तक राज्य सरकार से 1965–66 की पहली 3 तिमाहियों के वास्तविक व्यय तथा चौथी तिमाही के अनुमानित व्यय के आंकड़े भी उपलब्ध हो जायेंगे।

त्रिपुरा में पर्यटक केन्द्र

2563. श्री दशरथ देव : क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को त्रिपुरा के पहाड़ी क्षेत्रों में पर्यटन केन्द्र स्थापित करने के बारे में कोई योजना प्राप्त हुई है ;

(ख) क्या त्रिपुरा की सरकार ने इस कार्य के लिये केन्द्र से अनुदान मांगा है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) : पर्यटन योजनाओं के लिये अनुदान के बारे में कोई विशिष्ट निवेदन नहीं मिला है। फिर भी त्रिपुरा सरकार की राजस्व की सारी कमी भारत सरकार द्वारा सहायता अनुदान दे कर पूरी की जाती है।

Use of compost in Delhi

2564. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development** and **Cooperation** be pleased to state :

(a) whether Government have banned the use of compost in Delhi; and

(b) if so, the reasons therefor and the period for which the ban would continue?

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Shyam Dhar Mishra) : (a) and (b). Yes. The Government have banned the use of compost in Delhi in the area within one furlong from the east and west banks of river Jamuna upto a distance of 3 miles up-stream from the Wazirabad Pumping Station. This was done as stocking and use of compost in this area is likely to pollutes the water of river Jamuna over the Wazirabad Water Works intake pumps and cause danger to public health as the water so pumped is used for public consumption. The ban will remain in force for a period of one year from the 14th January, 1966.

Duty Free Shops at Airports

2565. Shri Onkarlal Berwa : Will the Minister of **Transport, Aviation, Shipping** and **Tourism** be pleased to state :

(a) whether Government propose to make arrangements to open duty free shops at airports;

(b) if so, at which airports; and

(c) the amount of foreign exchange likely to be earned thereby?

The Minister of Transport, Aviation, Shipping and Tourism (Shri Sanjiva Reddy) : (a) and (b). Yes, Sir. One of the activities of the recently set-up India Tourism Corporation will be the running of Duty Free Shops at international airports. Action is under way to take over the Duty Free Shop at Santa Cruz, Bombay, from the Central Cottage Industries Association. In addition, the Corporation proposes to open similar shops at Palam and Dum Dum airports in the first phase.

(c) It is estimated that the foreign exchange earnings would be 15% more than the initial foreign exchange expenditure on imports. In addition, this shop will also sell Indian handicrafts and souvenirs against foreign exchange payments and this will add a sizeable about to the foreign exchange earnings. It is, however, difficult to estimate precisely the amount at this stage.

Supply of Wheat to flour Mills

2566. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
Shri Bade :

Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development** and **Cooperation** be pleased to state :

(a) whether Government propose to supply wheat for grinding purposes to the small flour mills in the capital; and

(b) if not, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Govinda Menon): (a) No, Sir.

(b) It is difficult to keep control over the quality of atta produced by innumerable chakkis.

Allotment of ration depots in Delhi

2567. **Shri Bade :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :

Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development** and **Cooperation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that most of the flour mills which do not have retail provision shops have been alotted ration depots in Delhi; and

(b) if so, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Govinda Menon): (a) and (b). Ration shops have been allotted to such atta chakkis as were licensed as foodgrains dealers and were actually dealing in foodgrains, though they had no general provision shops. Such chakkis had to be treated at par with other foodgrain licensees for the purpose of allotment of ration shops.

कृषि अनुसंधान परियोजनायें

2568. **श्री दलजीत सिंह :** क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में इस समय कितनी कृषि अनुसन्धान परियोजनाएं चल रही हैं ; और

(ख) वर्ष 1965–66 में अब तक उन पर कितनी धनराशि खर्च की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामनाथ मिश्र) : (क) और (ख) : पूछी गई जानकारी इकट्ठी की जा रही है और यथासमय लोक सभा के पटल पर रख दी जायेगी ।

हिमाचल प्रदेश में भारत-जर्मन कृषि परियोजना

2569. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :** क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में भारत-जर्मन कृषि परियोजना परामर्श देने का काम कर रही है तथा खेती के आधुनिक औजार दे रही है;

(ख) यदि हां, तो समझौते का ब्यौरा क्या है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों में परियोजना का कार्य कैसा चला है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) जी हां । इस कार्यक्रम का मुख्य पहलू यह है कि किसानों को मौके पर मार्गदर्शन करने तथा सहायता देने के लिए पश्चिम जर्मन विशेषज्ञों को उस जिले में ही ठहराया गया है ।

(ख) समझौते के अनुसार जर्मनी की सरकार ने मण्डी परियोजना की क्रियान्विति के लिए सभी तरह की सलाह देने तथा उर्वरक, बीज, उपकरण तथा मशीनरी जैसे उत्पादन उपाय देने का कार्य शुरू कर दिया है । पश्चिम जर्मनी सरकार द्वारा परियोजना के लिए जो सहायता अब तक मिली है वह निम्नलिखित है :

(1) 14 मार्ई, 1962 में हुए समझौते के अन्तर्गत 27 लाख रुपये की कीमत के उपकरण, मशीनरी तथा उन्नत पशुधन । लगभग 25.40 लाख रुपये के उपकरण पहले ही प्राप्त हो चका है ।

(2) विभिन्न कार्यों में जर्मन विशेषज्ञों का एक दल जिले के सुपुर्द कर दिया गया है । इन विशेषज्ञों के वेतन जर्मन सरकार द्वारा दिए जा रहे हैं ।

(3) 4 दिसम्बर, 1964 को हस्ताक्षरित सपलीमैन्टरी प्रोटोकोल के अन्तर्गत 9.29 लाख रुपये की कीमत के कृषि उत्पादन वस्तुएं ।

(4) 3 दिसम्बर, 1965 के द्वितीय सपलीमैन्टरी प्रोटोकोल के अन्तर्गत 11.06 लाख रुपये के उर्वरक तथा कृषि उपकरण ।

(ग) कृषि जिसमें बागबानी तथा पशु पालन भी शामिल है के क्षत्र में प्रगति हुई है । जिले उर्वरक की खपत लगभग 260 टोन्ज से 4000 टोन्ज़ हो गई है, बागबानी का क्षेत्र 750 एकड़ से लगभग 8,500 एकड़ हो गया है । 1962–63 से 1964–65 में अल्प तथा मध्यम कालीन ऋण 3 लाख रुपये से 10 लाख रुपये से अधिक हो गए।

दिल्ली दुग्ध योजना के डिपो मैनेजर

2570. श्री स० मो० बनर्जी : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली दुग्ध योजना के डिपो मैनेजरों तथा डिपो असिस्टेंटों के नौकरी से निकाल दिये जाने पर उन्हें उनकी जमानत की राशि न लौटायी जाने तथा उनका अन्तिम वेतन न दिये जाने के कितने मामले बकाया है;

(ख) ये मामले कितने पुराने हैं;

(ग) इन मामलों के अभी तक न निपटाये जाने के क्या कारण हैं ; और

(घ) अनिर्णीय मामलों को निपटाने के लिये दिल्ली दुग्ध योजना का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शिन्दे) : (क) जिन्होंने दिल्ली दुग्ध योजना की नौकरी छोड़ दी है ऐसे भूतपूर्व डिपो मैनेजरों को जमानत की राशि तथा अन्तिम वेतन देने सम्बन्धी 749 मामले बकाया हैं ।

(ख) नवम्बर, 1959 में योजना शुरू होने के बाद से ये मामले उठे हैं ।

(ग) आडिट तथा डिपो के हिसाब में मेल अभी तक न होने के कारण जमानत की राशि तथा अन्तिम वेतन नहीं दिया जा सका ।

(घ) डिपो के हिसाब को शीघ्र करने के लिए योजना के कैश क्लर्कों को मानदेय स्वीकृत कर दिया गया है और उन्हें इन मामलों को निपटाने के लिए और आगे ओवर टाइम पर रखा जा रहा है । इस कार्य को निपटाने के लिए अतिरिक्त कैश क्लर्कों को भी रखा जा रहा है ।

हिमाचल प्रदेश को उर्वरकों का संभरण

2571. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक भारत-जर्मन करार के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश के लिये काफी मात्रा में उर्वरक का आयात किया जाता है और उसका पूरा उपयोग नहीं किया जाता ;

(ख) यदि हां, तो हिमाचल प्रदेश के लिये इस प्रकर आयात किये गये उर्वरक की वास्तविक लागत क्या है ; और

(ग) हिमाचल प्रदेश के सुन्दरनगर में, जहां उसकी कोई मांग नहीं है, इस उर्वरक को काफी मात्रा में भेजने का क्या कारण है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) जर्मन सरकार के साथ किये गये करार के अन्तर्गत किसानों की आवश्यकता को पूरा करने की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश के मण्डी जिला में कृषि विकास हेतु इन्डो-जर्मन परियोजना के लिए जर्मनी से उर्वरक आयात किये गय हैं । सन् 1963 से अब तक 3745 टन विभिन्न प्रकार के उर्वरक आयात किये गये हैं ।

(ख) अब तक आयातित उर्वरकों की कुल सी आइ एफ कीमत 13.92 लाख रुपये है जिसमें से 2.33 लाख रुपये के उर्वरक प्रदर्शन के लिए तथा शेष क्रिय हेतु था ।

(ग) बम्बई के बन्दरगाह पर उतारे गए उर्वरक सुन्दरनगर में रखे जाते हैं । यह परियोजना क्षेत्र (मंडी जिला) में उत्तरी रेलवे के बिल्कुल समीप है और आउट एजन्सी के रूप में है । सुन्दरनगर में अन्य कस्बों की निस्बत बेहतर स्टोरेज सुविधायें हैं और यह जर्मन दर का मुख्यालय भी है । साथ ही इसका अन्य खण्ड क्षेत्रों से अच्छा सम्बन्ध है, अतः सुन्दरनगर से उर्वरकों का वितरण बहुत आसानी से हो जाता है । सुन्दरनगर में या किसी अन्य परियोजना क्षेत्र में ऐसा कोई उर्वरक नहीं है जिसका उपयोग न हुआ हो । पश्चिम जर्मन सरकार के साथ हुए करार के अन्तर्गत पश्चिम जर्मनी से आयात की गई वस्तुएं एकमात्र मंडी परियोजना के लिए प्रयोग में लाई जाएगी ।

मैसर्स आर० आकूजी जाडवेट एंड कं० को ऋण

2572. **श्रीमती सावित्री निगम** : क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नौवहन विकास निधि समिति द्वारा मेसर्स आर० अकूजी जाडवेट एंड कं० (प्राइवेट) लिमिटेड को जलयान खरीदने के लिये दिये गय प्रत्येक ऋण की राशि क्या है तथा ये ऋण किस किस तारीख को दिये गये है ;

(ख) ऋण की कितनी किश्तें दी जा चुकी हैं तथा कंपनी ने अब तक कितनी धनराशि लौटा दी है; और

(ग) अभी तक कितनी किश्तों का भुगतान नहीं किया गया है तथा उन की राशि क्या है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) से (ग) : अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 5839/66)

Flying and gliding club, Raipur

2573. Shri Bade :
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :

Will the Minister of **Transport, Aviation, Shipping** and **Tourism** be pleased to state :

(a) whether the Central Government have given grant to the Madhya Pradesh Government for starting a Flying and Gliding Club at Raipur in Madhya Pradesh;

(b) if so, the amount of the grant and whether any glider has been purchased by the Club out of that amount; and

(c) if not, the reasons therefor?

The Minister of Transport, Aviation, Shipping and Tourism (Shri Sanjiva Reddy): (a) to (c). The Eastern Madhya Pradesh Flying & Gliding Club at Raipur commenced gliding training activities from 17th May, 1965 and has been paid a total sum of Rs. 20,330 made up as follows:—

Fixed subsidy	Rs.	15,800
Subvention	Rs.	4,530 @ Rs. 6/- per launch.
Total .	Rs.	20,330

Two gliders and one launching which have been given to this Club on loan.

दमदम हवाई अड्डे पर चुंगी भवन (टर्मिनल बिल्डिंग)

2574. डा० रानेन सेन :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :
श्री प्रभात कार :

क्या परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) दमदम हवाई अड्डे का चुंगी भवन बनाने के काम में क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) कब तक इसके पूरा होने की सम्भावना है ?

परिवहन तथा उड्डयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चे० भू० कुनाचा) : (क) स्तम्भ (पाइल) की नींव बन कर तैयार हो चुकी है। फरवरी, 1966 के अंत तक 31% बिल्डिंग का निर्माण कार्य पूरा हो चुका था।

(ख) काम के 1967 के मध्य तक पूरा हो जाने की संभावना है।

सहकारी क्षेत्र में उर्वरक कारखाने

2575. श्री मलाइछामी : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री **यह** बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सहकारी क्षेत्र के अन्तर्गत उर्वरक कारखाने खोलने के बारे में प्रौद्योगिक-आर्थिक व्यवहार्यता सम्बन्धी अध्ययन आरम्भ कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) यूनाइटेड स्टेट्स एजंन्सी फार इन्टरनेशनल डेवलपमेन्ट से सहकारी क्षेत्र में एक उर्वरक कारखाना स्थापित करने के बारे में तकनीकी आर्थिक सम्भाव्यता अध्ययन की व्यवस्था करने के लिए निवेदन किया गया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

मसर्स रोश प्रोडक्ट्स लिमिटेड, बम्बई के प्रबन्ध निदेशक के सेवा-करार के नवीकरण के सम्बन्ध में आवेदन पत्र

2576. श्री रामसेवक यादव :
श्री किसन पटनायक :

क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री आर० डबल्यू एल० कैलाधन, प्रबन्ध निदेशक, रोश प्रोडक्ट्स लिमिटेड, बम्बई-सेवा करार के नवीकरण से सम्बन्धित प्रार्थनापत्र अभी तक सरकार के पास अनिर्णीत पड़ा है;

(ख) क्या सरकार को इस व्यक्ति के पूर्व इतिहास का पता है, जो जासूसी के कामों के लिये लन्दन में स्काटलैंड-यार्ड में नौकरी करता था और जिसके भारत विरोधी रवैये के बारे में बम्बई के "मराठा" समाचार पत्र में 21 तथा 23 मार्च, 1964 और 29 जनवरी, एवं 30 अप्रैल और 22 मई, 1965 को अनेक बार समाचार प्रकाशित हो चुके है; और

(ग) यदि हां तो उसके प्रार्थनापत्र के संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

विधि मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन) : (क) जी नहीं।

(ख) उल्लिखित रिपोर्टें कम्पनी विधि बोर्ड की जानकारी में आई हैं।

(ग) मामले से सम्बन्धित समस्त तथ्यों और परिस्थितियों पर उचित अधिकारियो के परामर्श से ध्यान पूर्वक विचार कर यह पाया गया है कि अधिमूल्यन के आरोप के अतिरिक्त, जिसकी जांच हो रही है, श्री कैलाधन के विरुद्ध लगाये गये कोई भी आरोप सिद्ध नहीं किये गये। अतएव कम्पनी विधि बोर्ड ने श्री कैलाधन की प्रबन्ध निदेशक के रूप मे पुर्ननियुक्त वर्तमान शर्तों पर 29 नवम्बर, 1966 तक की एक वर्ष की सीमित अवधि तक स्वीकृत किया है जबकि कम्पनी ने 5 वर्ष की अवधी की स्वीकृति मांगी थी। एक यह शर्त भी लगाई गई है कि श्री कैलाधन की भावी पुर्ननियुक्ति के लिये कम्पनी विधि बोर्ड की नयी स्वीकृति की आवश्यकता होगी।

Sugar Mill at Panipat and Yamunanagar

2577. Shri Rameshwaranand : Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development** and **Cooperation** be pleased to state :

(a) the reasons for accepting the lesser quantity of sugar-cane this year by the sugar mills at Panipat and Yamunanagar despite low yield thereof;

(b) whether Government have taken up the matter with the Government of Punjab in order to remove the discontentment amongst the farmers in this regard; and

(c) if so, the results thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Shinde): (a) The quantity of sugar-cane crushed by the sugar mills at Panipat and Yamunanagar this year is not less than that crushed by them during the preceding year.

(b) and (c). Do not arise.

Reclamation of Land

2578. Shri Rameshwaranand : Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development** and **Cooperation** be pleased to state :

(a) the steps taken for reclaiming barren and saline lands and whether any separate Department has been set up by the Central Government for this purpose; and

(b) the arrangements made for giving the necessary information to the farmers for the reclamation of lands which have become unsuitable for cultivation?

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Shyam Dhar Misra): (a) A Centrally sponsored scheme for reclamation of barren/waste lands was sanctioned by the Government of India at an outlay of Rs.7 crores during the Third Plan period The scheme is being executed through the State Governments. During the Third Plan period, the target for land reclamation and development was about 41.34 lakh acres, against which the achievement is estimated at about 41.20 lakh acres.

Provision of about 4 crores has also been made in the Third Plan schemes of some of the States to reclaim about 2.197 lakh acres of saline lands. As against this, the achievements during the Plan period is expected to be about 1.266 lakh acres. In addition, pilot projects for saline lands have been sanctioned under a Centrally sponsored scheme, as an advance action of the Fourth Plan, in the States, of Gujarat and Punjab at a cost of Rs. 5.2 lakhs and Rs. 5 lakhs, respectively.

Wholetime Soil Scientists are available to give the necessary technical and expert advice to the Government.

(b) The results of research about land reclamation and development carried out by the Central and States Institutions are passed on to the farmers through the District Agricultural Officers and the Block Development Officers and their Extension Staff in the Community Development Blocks.

दिल्ली नागपुर विमान सेवा

2579. **श्रीमती मैमुना सुल्तान** : क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 30 जनवरी, 1966 को दिल्ली-नागपुर विमान सेवा, बरास्ता लखनऊ और भोपाल बन्द कर दी गई थीं ;

(ख) यदि हां, तो किन परिस्थितियों के कारण;

(ग) पिछले तीन महीनों में इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन की विमान सेवायें कितनी बार बन्द की गई अथवा दो घंटे से अधिक दर से चलीं तथा इनमें से कितने मामलों में एसा हड़ताल अथवा "नियमानुसार काम करो" हड़तालों के कारण हुआ; और

(घ) इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली/लखनऊ/भोपाल/नागपुर उड़ान का परिचालन करने वाले कमान्डर ने विमान परिचारिका को उतारना चाहा क्योंकि उसके अनुसार वह अवज्ञाकारी थी। वह विमान परिचारिका को उतारना चाहता था। इसके परिणाम स्वरूप, उड़ान में देरी हो गई और अन्ततः रद्द करनी पड़ी।

(ग) दिसम्बर, 1965, जनवरी तथा फरवरी, 1966 के महीनों के दौरान 373 देरियां तथा 42 मंसूखियां हुई। इन में से 7 सेवाओं में देरियां श्रम कठिनाई के कारण हुई।

(घ) कारपोरेशन ने कर्मचारियों के बीच दृढ़ अनुशासन लागू करने के लिये अपने अधिकारियों को हिदायतें निकाल दी हैं तथा अनुशासन भंग करने को गम्भीर समझा जाता है।

नौवहन तथा जहाज-निर्माण सम्मेलन

2580. **श्रीमती मैमुना सुल्तान** : क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंबई में हाल में नौवहन तथा जहाज-निर्माण के संबन्ध में एक त्रि-दिवसीय सम्मेलन हुआ था;

(ख) यदि हां, तो उसमे क्या मुख्य विचार व्यक्त किये गये तथा क्या सिफारिशें की गई; और

(ग) सरकार की उन के बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) से (ग): छटा नौवहन और पोत निर्माण सम्मेलन बंबई में 9 से 12 फरवरी, 1966 को हुआ था। सम्मेलन करने का प्रयोजन नौवहन तथा पोत निर्माण उद्योग से संबध्द मामलों पर तकनीकियों और नौवहन-रुचिकर्ताओं में ज्ञान और विचारों का आदान-प्रदान करना था। सम्मेलन द्वारा किसी प्रकार की सिफारिश या विचार नहीं किये गये।

सहकारी सदस्य शिक्षा योजना

2581. **श्री द० ब० राजू** : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सहकारी सदस्य शिक्षा योजना कब स्थायी बनाई जायेगी;

(ख) सहकारिता शिक्षकों के लिये क्या सेवा-नियम बनाये गये हैं ; और

(ग) सहकारिता शिक्षकों का वेतन-क्रम राज्य-वार क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) सदस्य शिक्षा स्कीम राज्य योजना की स्कीम है, जो सम्बन्धित राज्य सहकारी संघों द्वारा कार्यान्वित की जाती है। इस स्कीम को स्थायी बनाने के प्रश्न पर विचार करना सम्बन्धित राज्य सरकारों का काम है।

(ख) सम्बन्धित राज्य सहकारी संघों के कर्मचारी होने के नाते शिक्षकों पर उक्त संघों द्वारा बनाए अथवा अपनाए गए सेवा-नियम लागू होते हैं।

(ग) जानकारी देने वाला विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5840/66]**

रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली में दूध का डिपो

2582. **श्री बागड़ी :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली के सेक्टर 5 में दिल्ली दुग्ध योजना ने अभी तक कोई दूध का डिपो नहीं खोला है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) नये डिपुओं के ढांचों का स्टाक समाप्त होने के कारण रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली के सेक्टर 5 में दिल्ली दुग्ध योजना ने, अभी तक कोई दूध का डिपो नहीं खोला है।

(ग) लगातार मांग को दृष्टि में रखते हुए यह निर्णय किया गया है कि एक ऐसे डिपो को यहां लाया जाय जोकि इस समय काम नहीं आ रहा है।

अनाज तथा व्यापारी फसलों वाली भूमि का क्षेत्रफल

2583. **श्री हेम राज :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि की समाप्ति पर, राज्यवार, कितने एकड़ भूमि पर अनाज व व्यापारी फसलों की खेती होती थी ;

(ख) तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि के अन्त तक, राज्यवार, अनाज व व्यापारी फसलों की खेती वाला क्षेत्र कितना होगा; और

(ग) यदि अनाज की खेती वाला क्षेत्र कम होता जा रहा है, तो उसके क्या कारण हैं, तथा यह सुनिश्चित करने के लिये कि प्रत्येक राज्य में अनाज की खेती का क्षेत्र कम से कम व्यापारी फसलों के क्षेत्र के बराबर हो, सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री श्यामधर मिश्र): (क) और (ख) : 1960–61 (दूसरी योजना की अवधि की समाप्ति) तथा 1964–65 के दौरान विभिन्न राज्यों में जितने क्षेत्र में अनाज तथा गन्ना, कपास, पटसन और तिलहन नामक चार मुख्य व्यापारी फसलों की खती होती है, उसका एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 5841/66]**। ऐसा दित्ता 1965–66 (तीसरी योजना की अवधि की समाप्ति) के लिये अभी उपलब्ध हीं है।

(ग) अखिल भारतीय स्तर पर 1964–65 में अनाज तथा व्यापारी फसलों की खेती सन 1960–61 के मुकाबले अधिक क्षेत्र में की गई। वर्षा, सिंचाई तथा क्रोपिंग पेटन्ज मे परिवर्तन के कारण अलग अलग राज्यों में अनाज तथा व्यापारी फसलों की खेती होने वाले क्षेत्रों में सीमान्त समायोजन होता है जिसके बारे में पहले नहीं बताया जा सकता है। व्यापारी फसलों में तिलहन शामिल है जो एक खुराक की चीज है। मानव की खपत तथा निर्यात के लिये खाने के तेलों के उत्पादन में वृद्धि करना इन योजनाओं में शामिल है।

दिल्ली में राशन में मिलने वाले आटे का मूल्य

2584. **श्री मोहन स्वरूप :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में राशन मे मिलने वाले आटे के मूल्य किस आधार पर 59 पैसे प्रति किलोग्राम निर्धारित किया गया है ; और

(ख) क्या इसका मूल्य घटाकर राशन व्यवस्था आरम्भ होने से पहले का मूल्य लागू करने का कोई प्रस्ताव है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) राशन व्यवस्था लागू करने से पूर्व आटे की कीमत 57 पैसे प्रति किलोग्राम में 2 पैसे प्रति किलोग्राम राशन-व्यवस्था सम्बन्धी प्रशासनिक खर्च शामिल कर दिल्ली म राशन के आटे की कीमत 59 पैसे प्रति किलोग्राम निर्धारित की गयी है।

(ख) जी नहीं।

दिल्ली में दूध की दैनिक खपत

2585. **श्री मोहन स्वरूप :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में दूध की दैनिक खपत कितनी है ; और

(ख) दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा कितनी मांग पूरी की जाती है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शिन्दे) : (क) अगस्त 1964 के एक अनुमान के अनुसार दिल्ली के शहरी क्षेत्र में खपत के लिए प्रतिदिन लगभग 5,00,000 लिटर तरल दूध की आवश्यकता है।

(ख) इस समय दिल्ली दुग्ध योजना दिल्ली शहर की लगभग 30 प्रतिशत मांग को पूरा कर रही है।

फार्म उत्पादन को बढ़ाने के लिये महाराष्ट्र राज्य को सहायता

2586. **श्री द्वारका दास मंत्री :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फार्म उत्पादन को बढ़ाने के लिये वर्ष 1965-66 में महाराष्ट्र सरकार को कोई अल्पकालीन ऋण दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र): (क) और (ख) : विशेषतया फार्म उपज बढ़ाने के लिये 1965–66 में महाराष्ट्र सरकार को कोई अल्पकालीन ऋण नहीं दिया गया है। फिर भी कपास बीजों की खरीद तथा वितरण के लिये 1965–66 में राज्य सरकार को 30.00 लाख रुपये का एक अल्पकालीन ऋण दिया गया है।

संयुक्त खेती सम्बन्धी प्रायोगिक योजना

2587. **श्री द्वारका दास मंत्री :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1966–67 में महाराष्ट्र में संयुक्त खेती सम्बन्धी प्रायोगिक योजनाओं को आयोजित करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य के लिये कितनी धनराशि नियत की गई है ; और

(ग) महाराष्ट्र में इस समय कितनी ऐसी प्रायोगिक योजनाएं चल रही हैं और तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में उनके लिये कितनी धनराशि मंजूर की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) 28.17 लाख रुपये।

(ग) (1) महाराष्ट्र में 23 प्रायोगिक परियोजनाएं चल रही हैं।

(2) केन्द्रीय सहायता के रूप में 85.91 लाख रुपये की राशि मंजूर की गई है।

महाराष्ट्र में सहकारिता आन्दोलन

2588. **श्री द्वारका दास मंत्री :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1965–66 में महाराष्ट्र में सहकारिता आन्दोलन में गति लाने के लिये महाराष्ट्र सरकार को केन्द्र द्वारा कोई सहायता अथवा ऋण दिया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) और (ख) : जी हां। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के माध्यम से अब तक 74.07 लाख रुपये का ऋण और 21.85 लाख रुपये का अनुदान मंजूर किया गया है। योजना परिव्यय के आधार पर मिलनेवाली और सहायता राज्य सरकर से प्रत्याशित खर्च, का ब्यौरा प्राप्त होने पर वित वर्ष की समाप्ति से पहले मंजूर की जाएगी।

महाराष्ट्र में कृषि फार्म

2589. **श्री द्वारकादास मंत्री :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में कितनी एकड़ भूमि पर केन्द्र द्वारा नियंत्रित कृषि फार्म बनाये गये है ;

(ख) उसमें कितने श्रमिक काम कर रहे है ;

(ग) आगामी फसल तक उससे कितनी फसल प्राप्त होने का अनुमान लगाया गया है ; और

(घ) श्रमिकों को किस आधार पर मजदूरी दी जाती है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र): (क) महाराष्ट्र में कोई केन्द्रीय नियन्त्रित कृषि फार्म नहीं है।

(ख) से (घ) : प्रश्न ही नहीं उठता।

चावल की प्रति एकड़ पैदावार

2590. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चावल की प्रति एकड़ पैदावार बढ़ाने के लिये सरकार ने जापान से और अधिक तकनीकी सहायता मांगी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में जापान से क्या उत्तर प्राप्त हुआ है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) जी नहीं। परन्तु धान की खेती के लिये प्रदर्शन फार्मों की संख्या बढ़ाने के लिये जापान से कुछ सहायता लेने की संभावनाओं पर विचार किया जा रहा है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

जापान से चावल तथा उर्वरक

2591. **श्री राम हरख यादव :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री रा० बरुआ:
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री यशपाल सिंह :
श्री बसुमतारी :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में खाद्यान्नों की कमी को पूरा करने के बारे में सहायता देने के लिये जापान ने भारत को चावल तथा उर्वरक देने का प्रस्ताव किया है ; और

(ख) यदि हां, तो कितना और किन शर्तों पर ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) उपहार रूप में लगभग 10,000 टन चावल तथा 8,000 टन रासायनिक उर्वरक।

चिली से नाइट्रेट का आयात

2592. श्री दी० चं० शर्मा :
श्री राम हरख यादव :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चिली की सरकार ने कृषि उत्पादन बढ़ाने तथा वर्तमान खाद्य संकट का सामना करने में सहायता करने के लिये भारत को नाइट्रेट भेजा है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) और (ख) : चिली की सरकार कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिये भारत को चिलीयन नाइट्रेट देने पर विचार कर रही है ताकि इस देश का खाद्य संकट दूर हो सके । मात्रा तथा लदान के संबंध में विवरण अभी उपलब्ध नहीं है ।

उर्वरकों की खपत

2593. श्री दी० चं० शर्मा :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय विकास सम्बन्धी अमरीकी अभिकरण के उर्वरक विशेषज्ञों के एक दल ने सिफारिश की है कि चौथी पंचवर्षीय योजना के 24 लाख मीट्रिक टन नाईट्रोजन, दस लाख टन फास्फेट, और 7 लाख टन पोटाशी उर्वरकों की खपत के लक्ष्य को पूरा करने के लिये प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही की जानी चाहिये ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) जी हां ।

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना के लिए निर्धारित खपत लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कार्यवाही दो दिशाओं में करनी होगी :—

(1) यथा सम्भव देशीय उत्पादन को अधिकतम सीमा तक बढ़ाने के लिये कदम उठाने हैं ।

(2) मांग तथा देशीय उत्पादन के अन्तर को पूरा करने हेतु आयातों के लिए प्राथमिकता देनी होगी ।

खपत लक्ष्यों के स्तर पर पहुंचने हेतु नाइट्रोजन तथा फास्फैटिक उर्वरकों की देशीय उत्पादन को बढ़ाने के लिये कदम उठाए जा रहे हैं । उत्पादन करने वाले कारखानों की क्षमता तथ्यों को पूरा करने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 5842/66]**

Drought Hit Districts of M.P.

2594. **Shri R. S. Pandey :**
Shri A. S. Saigal :
Shri R. S. Tiwary :
Shri Rananjai Singh :
Shri Wadiwa :
Shri Lakhmu Bhawani :

Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development** and **Cooperation** be pleased to state :

(a) whether Government have taken any decision regarding the assistance which would be made available to Madhya Pradesh in order to plan to the programme of relief in each drough hit district during the current year as well as first quarter of the next year; and

(b) if so, the nature thereof?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri P. Govinda Menon): (a) and (b). (i) A loan of Rs. 1 crore has so far been sanctioned to the Government of Madhya Pradesh as financial assistance towards relief expenditure. Further financial assistance for drought-relief is to be considered early in the next financial year.

(ii) In addition to the normal allocation of wheat made for the State, a separate quantity of 10,000 tonnes of wheat has been allotted for supply to the workers on relief works @ 10 kilograms per worker per month.

(iii) Out of the wheat gifted by the World Food Programme, one thousand tonnes has been allotted to Madhya Pradesh for free distribution to the old and infirm people in the drought affected areas. Further allotments are under consideration.

(iv) 535 tonnes of milk powder has so far been allotted to Madhya Pradesh for children and expectant and nursing mothers in the drought-affected areas. It has also been decided to allocate 1.5 million vitamin tablets (out of 10 million received through the National Christian Council of India) to Madhya Pradesh for vulnerarable section of the population in the drought-affected districts.

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

एयर इंडिया द्वारा कर्मचारियों को जबरी छुट्टी और इंडियन एयरलाईन्स कॉरपोरेशन द्वारा कलकत्ता स कुछ उड़ानों का मंसख किया जाना

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं तथा निवेदन करता हूं कि वह इस बारे में वक्तव्य दे :—

एयर इंडिया के 1274 कर्मचारियों को जबरी छुट्टी तथा इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन द्वारा कलकत्ता से कुछ उड़ानों का मंसूख किया जाने के समाचार।

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : मेरे विचार में यह अधिक अच्छा होगा कि इन दोनों मामलों पर पृथक रूप से विचार किया जाये। जहां तक एयर इंडिया में जबरी छुट्टी का सम्बन्ध है, ऐसा नेवीगेटरों द्वारा की गई अवैध हड़ताल के फलस्वरूप किया गया है। इस बारे में सभा में परसों एक लम्बा वक्तव्य दिया गया था। जब विमान-चालकों ने भी

बिना नेवीगेटरों के विमान उड़ाने से इन्कार कर दिया, यद्यपि नियमों में यह उपबन्ध है कि भूमि वाले क्षेत्र में वे बिना नेवीगेटरों के विमान उड़ा सकते हैं, तब उनको जबरी छुट्टी देने के अतिरिक्त कारपोरेशन के पास और कोई विकल्प नहीं था। कारपोरेशन इस बात पर विचार कर रही है कि इन परिस्थितियों में नेवीगेटरों के विरूद्ध क्या अनुशासनिक कार्यवाही करना आवश्यक होगा।

उन्होंने जो गैर-कानूनी कार्यवाही की है उसके लिये यदि वे क्षमा याचना करें और निगम को यह विश्वास दिलायें कि भविष्य में वे ऐसी कार्यवाही नहीं करेंगे तो सरकार पंचाट के समस्त प्रश्न पर विचार करने को तयार है। इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन को उड़ानों को मंसूख करने के बारे में जानकारी के लिये हमें अधिक समय चाहिये। कल एक वक्तव्य दिया जायेगा।

Shri Ram Sewak Yadav (Barabanki) : Whether it is a fact that the Khosla Tribunal also refused to listen to the Complaints of these pilots and that has been the cause of dissatisfaction.

श्री संजीव रेड्डी : संभव है, क्योंकि उन्होंने हड़ताल कर रखी थी और वे गड़बड़ करने का प्रयास कर रहे थे। यह बात गलत है कि न्यायाधिकरण से वे बात नहीं कर सकते थे।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Dewas) : The trouble is that Government are not willing to hear anybody without strike.

श्री संजीव रेड्डी : यह बात भी गलत है कि बिना हड़ताल के सरकार किसी की सुनती नहीं।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Koshala Tribunal was appointed in July, 1964. Tribunal went against the convention of 15 years and came to understanding with some parties. That was the cause of the whole trouble. I want to know when they had already arrived at some understanding with some employees, then it was not good for them to employ strict language. For this violation the regret should be expressed, this is not proper condition, on the other hand they should be asked to report for duty, unconditionally.

अध्यक्ष महोदय : यह तो सुझाव है, प्रश्न नहीं।

श्री प्र० चं० बरुआ : मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह मामला औद्योगिक न्यायाधिकरण को सम्बद्ध पक्षों की अनुमति से सौंपा गया था ?

श्री संजीव रेड्डी : यह तो अनिवार्य है।

Shri Yashpal Singh (Kairatta) : Whether Government have any estimate for the loss thus incurred and how it is proposed to be compensated?

श्री संजीव रेड्डी : ठीक से अनुमान अभी तो नहीं है, परन्तु बाद में तैयार किया जायेगा।

7—41 L.S./66

भाषा के आधार पर पंजाब के पुनर्गठन सम्बन्धी वक्तव्य के बारे में

RE : STATEMENT OF REORGANIZATION OF PUNJAB ON LINGUISTIC BASIS

Shri Rameshwaranand (Karnal) : Yesterday it was announced that the statement of reorganization of Punjab on linguistic basis will be given after the question hour, what has happened to that?

Mr. Speaker : I assured the House on the word of the Minister for Home Affairs that statement will be read after the question hour. I am sorry that it is not read and will be given at 5 P.M. I have tried to inform the honourable members who are specially interested in this. Notice was also pasted on the Notice Board

---

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

दिल्ली पर्यटक मोटरगाड़ी (संशोधन) नियम

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : मैं मोटर गाड़ी अधिनियम 1939 की धारा 133 की उपधारा (3) के अन्तर्गत दिल्ली पर्यटक मोटर गाड़ी (संशोधन) नियम, 1965 की एक प्रति, जो दिनांक 28 अक्तूबर, 1965 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या 19(10)/64-पी० आर० (टी०) में प्रकाशित हुए थे, सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 5822/66]**

राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम के प्रमाणित लेखे

खाद्य, कृषि, मंत्रालय सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : श्री चि० सुब्रह्मण्यम की ओर से मैं राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम अधिनियम, 1962 की धारा 17 की उपधारा (4) के अन्तर्गत राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम, नई दिल्ली, के वर्ष 1964–65 के प्रमाणित लेखे की एक प्रति, तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 5823/66]**

श्वेत पत्र संख्या 12 जिसमें भारत तथा चीन की सरकारों द्वारा एक दूसरे को भेजे गये नोट, ज्ञापन तथा पत्र

श्री श्यामधर मिश्र : श्री स्वर्ण सिंह की ओर से मैं श्वेत पत्र संख्या 12 की एक प्रति, जिसमें भारत तथा चीन की सरकारों द्वारा जनवरी, 1965 और फरवरी, 1966 के बीच एक दूसरे को भेजे गये नोट, ज्ञापन तथा पत्र दिये गये हैं, को सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 5824/66]**

खाद्य निगम (पांचवां संशोधन) नियम

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन): मैं खाद्य अधिनियम, 1964 की धारा 44 की उपधारा (3) के अन्तर्गत खाद्य निगम (पांचवां संशोधन) नियम, 1966 की एक प्रति, जो दिनांक 22 फरवरी, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 288 में प्रकाशित हुए थे, सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 5825/66]**

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति
COMMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKINGS

पंद्रहवां प्रतिवेदन

श्री सुबोध हंसदा (झाड़ग्राम) : मैं सिन्दरी फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्ज लिमिटेड के बारे में प्राक्कलन समिति (दूसरी लोक सभा) के 120 वें प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति का 15 वां प्रतिवेदन सभा पटल पर रखता हूं ।

औचित्य प्रश्न के बारे में
RE : POINT OF ORDER

श्री राधेलाल व्यास (उज्जैन) : मैं औचित्य प्रश्न प्रस्तुत करना चाहता हूं । मेरा विचार है कि यहां नियमों का उल्लंघन होता रहता है ।

श्री हेम बरूआ (गोहाटी) : यह तो अध्यक्ष पर छीटा कसी है ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने नियम 377 के अन्तर्गत उन्हें अनुमति दे दी हैं ।

Shri Radhelal Vyas : I am doing it under rule 376, Provision 2, sub-rule 2.

अध्यक्ष महोदय : तब मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता ।

कार्यवाही के बारे में प्रश्न
POINT RE : PROCEEDINGS

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : मैं कल के बहिर्गमन के समय दिये गये उपाध्यक्ष के विनिर्णय की चर्चा करना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : वह आप नहीं कर सकते ।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : मैं आपका आदेश स्वीकार करता हूं ।

** ** **

अध्यक्ष महोदय : मैं यह सब नहीं सुन सकता ।

अध्यक्ष महोदय : यदि माननीय सदस्य तथ्यों की ही बात करते तो मैं उसकी अनुमति दे सकता था ।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : आप मेरी बात तो सुनिये........

** ** **

मैं किसी प्रकार का कटाक्ष नहीं कर रहा । नियम 372 में व्यवस्था है, कि मंत्री के वक्तव्य देते समय प्रश्न पूछा जा सकता है । यह निदेश संख्या 119 है ....

** ** **

**अध्यक्ष-पीठ के आदेशानुसार निकाला गया ।

** Expunged as Ordered by the Chair.

[श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी]

यदि उपाध्यक्ष महोदय चाहते तो उस समय इस प्रक्रिया को अपना सकते थे, क्योंकि मंत्री महोदय स्थिति को स्पष्ट करने में असमर्थ हो रहे थे। अध्यक्ष केवल यही कहते रहे कि नियम के अनुसार कुछ किया नहीं जा सकता। मेरा कहना यह है कि क्या नियम का निर्वचन सरकार की सुविधा के अनुसार किया जा सकता है। इस बात का आपको, अध्यक्ष महोदय स्पष्टीकरण करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मेरा निवेदन यह है कि इस पर और आगे चर्चा करने की मैं अनुमति नहीं दे सकता।

श्री रंगा (चित्तूर) : इस बात की ओर आपका ध्यान तो दिलाया ही जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : बात समाप्त हो चुकी है। अब श्री मधु लिमये का औचित्य प्रश्न सुनिए।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : My point of order is under rule 376 (2). I think rules are generally violated here, and my submission is that the leader of the House and the leaders of different groups should be called in a conference, and matter of amending the rules may be considered.

Shri Radhelal Vyas (Ujjain) : This has been an established convention that questions were allowed after the statement. This convention should continue.

श्री हरिश्चन्द्र माथुर (जलौर) : मैं सर्व प्रथम यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि मेरी टिप्पणियां आदि किसी व्यक्ति विशेष की ओर निर्देश नहीं करती। वे सिद्धांतों तथा नियमों पर आधारित हैं। इसलिये किसी व्यक्ति को यह नहीं समझना चाहिये कि वे उनके बारे में हैं। मैं जानना चाहता हूं कि श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी को कौन से नियम के अन्तर्गत यह मामले सभा में उठाने तथा ये सब बातें कहने की अनुमति दी है। तभी मैं आगे अपने विचार व्यक्त करूंगा।

अध्यक्ष महोदय : मुझे प्राप्त शक्तियों के अन्तर्गत।

श्री हरिश्चन्द्र माथूर : बिल्कुल ठीक है। मैं यही कहना चाहता था कि नियमों में ऐसा उपबन्ध नहीं है और ऐसा आपने अपनी शक्तियों के अन्तर्गत किया है। इस बारे में और कुछ नहीं कहना चाहता। कल मेरे माननीय मित्र की अधिकांश टिप्पणियां उपाध्यक्ष महोदय के आचरण के विरुद्ध थीं और पीठासीन व्यक्ति के आचरण के बारे में भी कुछ अपमानजनक टिप्पणियां की गई थीं।

श्री बड़े (खारगोन) : उसके बारे में खद प्रकट किया गया था।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : यह खेद प्रकट करने की बात नहीं है। अध्यक्ष महोदय, स्वयं आपने कहा था कि वे टिप्पणियां बहुत संगत नहीं थी। क्या वे सभा की कार्यवाही से निकाल दी जायेगी या आप उन्हें सभा की कार्यवाही में बनाए रखना चाहते हैं। मेरे माननीय मित्र ने कहा है कि वे इस समय जिस कठिन परिस्थिति में हैं उन्हें आपके संरक्षण की आवश्यकता है। क्योंकि वे अपनी वर्तमान स्थिति में अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष के विरुद्ध निन्दा का प्रस्ताव पेश नहीं कर सकते हैं। कल संभवत: सभी विरोधी दलों के सदस्य सभा भवन से उठकर चले गये थे। प्रति दिन सभा में सरकार के विरुद्ध स्थगन प्रस्ताव अथवा अविश्वास प्रस्ताव लाए जाते हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि फिर भी उन्हें आपके संरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ी। यदि सभी विरोधी दल ऐसा महसूस करते हैं तो वे अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष के विरूद्ध निन्दा प्रस्ताव क्यों नहीं ले आते। क्योंकि इसके लिये केवल 50 सदस्यों का समर्थन पर्याप्त है। वे चाहे तो ऐसा कर सकते

हैं। ऐसी सूरत में उन्हें आपके संरक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है और इसलिये मेरा यह निवेदन है कि इस बारे में मेरे माननीय मित्र द्वारा की गई टिप्पणियां सभा की कार्यवाही से निकाल दी जायें।

कल जब सभा की कार्यवाही चल रही थी उपाध्यक्ष महोदय ने दो-तीन प्रश्नों की अनुमति दे दी थी। मैंने उपाध्यक्ष महोदय से कहा था कि वे उन दो-तीन सदस्यों के नाम बता दें जो प्रश्न पूछ सकते हैं। क्योंकि ऐसा न किये जाने की स्थिति में उन्हें उन सभी सदस्यों को प्रश्न करने की अनुमति देनी पड़ेगी जो प्रश्न करना चाहते हैं। मुझे अच्छी तरह पता था कि नियमों के अन्तर्गत ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जा सकते परन्तु सामान्य परम्परा ऐसी रही है कि ऐसे सभी प्रश्न पूछे जाते हैं। मेरा उद्देश्य उस परम्परा को समाप्त करना नहीं था जिससे सदस्यों को कुछ प्रश्न उठाने का अवसर मिलता हो। परन्तु इससे अध्यक्ष तथा सदस्यों दोनों के लिये ही बड़ी कठिनाई उत्पन्न होती है। अतः मेरी आपसे प्रार्थना है कि भविष्य के लिये कोई प्रक्रिया निश्चित कर दी जाये जिसके कि अन्तर्गत ऐसे वक्तव्य दिये जा सकें और प्रश्न पूछे जा सकें। यदि इस नियम में संशोधन करना आवश्यक हो तो इसमें संशोधन कर दिया जाये। अन्यथा इसका कड़ाई से पालन किया जाना चाहिये।

Shri Radhelal Vyas : Rule 377 clearly lays down :

"A member who wishes to bring to the notice of the House any matter which is not a point of order shall give notice to the secretary in writing.........".

Shri Surendranath Dwivedy : We had written a letter.

Mr. Speaker : I have got his letter with me here.

श्री राधेलाल व्यास : तब मैं अपनी शिकायत वापस लेता हूं।

Mr. Speaker : Am I to take a decision as to whether I can allow anybody to raise such an issue under my inherent powers or not?

श्री राधे लाल व्यास : यह मामला तो नियम 377 के अन्तर्गत उठाया गया है।

अध्यक्ष महोदय : नियम 377 के अलावा मुझे कुछ शक्तियां भी प्राप्त हैं। इसमें क्या ऐतराज है अगर मैं कहूं कि इनहैरेंट पावर्स के अन्तर्गत ले रहा हूं ?

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता) **:** अध्यक्ष महोदय, श्री माथुर ने जो टिप्पणियां की हैं उनकी कोई आवश्यकता नहीं थी। किसी पीठासीन अधिकारी के विरुद्ध निन्दा प्रस्ताव लाने का हमारा कोई इरादा नहीं है। स्वयं उपाध्यक्ष महोदय ने इस प्रकार का उल्लेख किया था। हमने लोक हित संबंधी एक वक्तव्य को सुनने के पश्चात् केवल यह चाहा था कि कुछ बातों को जरा स्पष्ट कर दिया जाये। हमारी किसी भी पीठासीन अधिकारी के साथ—चाहे वे उपाध्यक्ष महोदय हों या सभापति तालिका का अन्य कोई सदस्य--कोई निजी शत्रुता नहीं है। हम यह नहीं चाहते कि हमें निन्दा प्रस्ताव लाने की धमकी दी जाये जबकि हम केवल चर्चा का अवसर चाहते हैं। आपने पहले स्पष्ट कर दिया है कि इस नियम के अन्तर्गत दिये गये वक्तव्यों के बारे में प्रश्नों की अनुमति देने का आपको अधिकार है। हम यही समझते हैं कि यह परम्परा जारी रहेगी और हमें ऐसे वक्तव्यों पर प्रश्न पूछने की अनुमति दी जायेगी। मैं नहीं चाहता कि कोई कठोर नियम हो। यह मैं मानता हूं कि आपको यह अधिकार है। परन्तु आपने अपने अधिकार का जिस प्रकार प्रयोग किया है वह बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता और भविष्य के लिये भी उसे एक उदाहरण बनाया जा सकता है। इसलिये हम इस बारे में निश्चित होना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अपने इस अधिकार का पीठासीन अधिकारी जब चाहे प्रयोग कर सकता है। मैंने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि वर्तमान नियम के अन्तर्गत पीठासीन अधिकारी को यह शक्ति प्राप्त है कि वह कभी कभी प्रश्न पूछे जाने की अनुमति रोक सकता है।

मैं चाहता हूं कि सभा की कार्यवाही से आपत्तिजनक भाग निकाल दिये जायें। मेरी राय में सभा इससे सहमत होगी।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : वे आपत्तिजनक शब्द क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं आज के आरोपों की बात कर रहा हूं जो श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी ने उपाध्यक्ष के विरुद्ध लगाये हैं। चाहे उन्होंने यह सब कुछ अनजाने में ही कहा हो फिर भी उन शब्दों को कार्यवाही में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिये। मैं कल जो कुछ हुआ उसके बारे में नहीं कह रहा हूं।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : मैंने यह पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि यह किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध आरोप नहीं है और मैंने कल जो कुछ घटा उसी का वास्तविक चित्रण किया था। जब कार्यवाही में ऐसा उल्लेख है तो इसे कार्यवाही में सम्मिलित करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : मैं सभा की कार्यवाही को पढ़ूंगा और यदि कोई चीज आपत्तिजनक पाई गई तो उस भाग को अवश्य ही कार्यवाही से निकाल दूंगा।

श्री प्र० के० देव (कालाहांडी) : मैं नियमों के अर्थ अथवा अध्यक्ष की शक्तियों को चुनौती नहीं देता। मैं तो कल उपाध्यक्ष महोदय के कहने पर ही प्रश्न पूछने जा रहा था कि बीच में बाधा उपस्थित की गई और परिणामतः उपाध्यक्ष महोदय ने मुझे प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दी। ऐसी परिस्थिति में मेरे लिये सभा भवन से उठकर चले जाने के सिवाय अन्य कोई चारा न था।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : हमें उस वक्तव्य की एक प्रति न दिये जाने के क्या कारण थे ?

अध्यक्ष महोदय : मैं मंत्रियों को भी यह बताना चाहता हूं कि उन्हें इस बारे में सावधानी बरतनी चाहिये कि वक्तव्य की एक प्रति पहले से ही अध्यक्ष को भेज दी जाये।

विनियोग विधेयक, 1966

APPROPRIATION BILL, 1966

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : मैं श्री शचीन्द्र चौधरी की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि भारत की संचित निधि में से 1965-66 के वित्तीय वर्ष की सेवाओं के लिये कुछ और राशिओं के भुगतान तथा विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत की संचित निधि में 1965–66 क वित्तीय वर्ष की सेवाओं के लिए कुछ और राशियों के भुगतान तथा विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ/*The motion was adopted.*

श्री ल० ना० मिश्र : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

मैं श्री शचीन्द्र चौधरी की ओर से प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारत की संचित निधि में से 1965-66 के वित्तीय वर्ष की सेवाओं के लिये कुछ और राशियों के भुगतान तथा विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : नियम 76 के अन्तर्गत मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

नियम 76 में दिया हुआ है :

"विधेयक के भारसाधक सदस्य के अतिरिक्त किसी अन्य सदस्य द्वारा यह प्रस्ताव प्रस्तुत नही किया जायेगा कि विधेयक पर विचार किया जाये या विधेयक को पारित किया जाये ।"

कार्य सूची के अनुसार श्री शचीन्द्र चौधरी इस विधेयक के प्रभारी मंत्री हैं और उन्हीं को यह विचार प्रस्ताव रखना चाहिये था ।

इस नियम में आगे दिया हुआ है :

"परन्तु यदि किसी विधेयक का भार साधक सदस्य, ऐसे कारणों से जिन्हें अध्यक्ष पर्याप्त समझे, उसके पुरःस्थापन के बाद उसके बारे में अगले प्रस्ताव को प्रस्तुत करने में असमर्थ हो तो........"

वे कारण यहां पर बताए जायें । क्या उन्होंने आपको इस बारे में सूचना भी दे दी थी अथवा नहीं ? क्या आपने उन कारणों को पर्याप्त समझा है ? हमें इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं है । यदि वे कारण पर्याप्त नहीं हैं, तो उपमंत्री महोदय का तो इस विधेयक से कोई सम्बन्ध ही नहीं है; क्योंकि वह इस विधेयक के प्रभारी मंत्री नहीं हैं ।

श्री ल० ना० मिश्र : राज्य सभा में बजट पर सामान्य चर्चा चल रही है और मंत्री महोदय राज्य सभा में हैं ।

अध्यक्ष महोदय : फिर भी वे मुझे सूचना भिजवा सकते थे कि वे वहां पर व्यस्त हैं और अमुक व्यक्ति यह प्रस्ताव पेश करेगा क्योंकि नियमों में ऐसा दिया हुआ है ।

श्री ल० ना० मिश्र : मैं उन्हें यह कहलवा भेजूंगा ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत की संचित निधि में से 1965-66 के वित्तीय वर्ष की सेवाओं के लिये कुछ और राशियों क भुगतान तथा विनियोग का अधिकार दने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्विकृत हुआ/*The motion was adopted.*

श्री ल० ना० मिश्र : मैं प्रस्ताव करता हूं

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

अध्यक्ष महोदय : नहीं, पहले खण्ड लिये जायेंगे।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, 2, 3, अनुसूची, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ/*The motion was adopted.*

खण्ड 1, 2, 3, अनुसुची, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड दिये गये। / *Clauses 1, 2, 3, the Schedule, the Enacting formula and the Title were added to the Bill.*

श्री ल० ना० मिश्र : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ/*The motion was adopted.*

अनुदानों की मांगें (रेलवे) 1966-67 तथा अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेलवे), 1965-66—जारी

DEMANDS FOR GRANTS (RAILWAYS), 1966-67 AND DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY GRANTS (RAILWAYS), 1965-66—*Contd.*

श्री उ० मू० त्रिवेदी (मंदसौर) : श्रीमन्, इन पर आगे चर्चा आरम्भ किये जाने से पहले मैं चाहता हूं कि मुझे अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाये क्योंकि कल मैं उपस्थित नहीं था।

अध्यक्ष महोदय : वे ऐसा कर सकते हैं।

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	43	श्री उ० मू० त्रिवेदी	अस्थायी कर्मचारियों के वेतन पर चर्चा करने की आवश्यकता।	100 रुपये
2	47	श्री उ० मू० त्रिवेदी	कोटा-चित्तौड़गढ़ के बीच यातायात का सर्वेक्षण।	100 रुपये
2	48	श्री उ० मू० त्रिवेदी	विराट-अहमदाबाद खण्ड में प्रत्येक फुट मार्ग का सर्वेक्षण करने में विलम्ब।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
2	49	श्री उ० मू० त्रिवेदी	केन्द्रीय जांच कार्यालय के संबंध में विविध सिब्बदियों पर चर्चा करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
2	50	श्री उ० मू० त्रिवेदी	दण्डकारण्य-बोलनगीर-किरीबुरु रेल परियोजनाओं का निर्माण ।	100 रुपये
2	51	श्री उ० मू० त्रिवेदी	बिजली से रेलें चलाने पर चर्चा करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
4	60	श्री उ० मू० त्रिवेदी	भविष्य में पदोन्नति के सम्बन्ध में बबेनरियों को रोक कर जुर्माना करने का गैर कानूनी तरीका ।	100 रुपये
5	63	श्री उ० मू० त्रिवेदी	पश्चिम रेलवे में घाट खण्ड के इंजनों की व्यवस्था न करना ।	100 रुपये
6	66	श्री उ० मू० त्रिवेदी	पश्चिम रेलवे में उन पदों के लिए जिनकी श्रेणी ऊंची कर दी गई है, विशेषकर वाणिज्यिक क्लर्कों को बकाया रकम का भुगतान न करना ।	100 रुपये
6	67	श्री उ० मू० त्रिवेदी	सहायक स्टेशन मास्टरों तथा स्टेशन मास्टरों को उनकी ड्यूटी तथा जिम्मेदारियों को देखते हुए निःशुल्क क्वार्टर देने की आवश्यकता ।	100 रुपये
6	68	श्री उ० मू० त्रिवेदी	रेलवे कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों में आवश्यक तथा अनावश्यक विभाजन ।	100 रुपये
6	69	श्री उ० मू० त्रिवेदी	मध्य रेलवे में सहायक स्टेशन मास्टरों तथा स्टेशन मास्टरों के वेतन-क्रमों को एक में मिलाना ।	100 रुपये
6	70	श्री उ० मू० त्रिवेदी	जब 1 अप्रैल, 1964 से सहायक स्टेशन मास्टरों तथा स्टेशन मास्टरों के पदों को ऊंचा कर दिया गया था और जिन्होंने उस समय 5 वर्ष से अधिक सेवा की थी, उनके लिये अधिभार का प्रश्न ।	100 रुपये
6	71	श्री उ० मू० त्रिवेदी	उन सहायक मास्टरों को, जो 205—280 रुपये के ग्रेड में स्टेशन मास्टर के तौर पर काम कर रहे हैं, प्रोत्साहन देने की व्यवस्था का अभाव ।	100 रुपये
10	72	श्री उ० मू० त्रिवेदी	सफाई निरीक्षकों के पदों के ग्रेड पर चर्चा करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
10	73	श्री उ० मू० त्रिवेदी	रेलवे स्कूलों में अध्यापकों की भर्ती का त्रुटिपूर्ण तरीका ।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
10	74	श्री उ० मू० त्रिवेदी	तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के लिये अपर्याप्त डाक्टरी सुविधाएं ।	100 रुपये
10	75	श्री उ० मू० त्रिवेदी	रेलवे के डाक्टरों को प्रैक्टिस न करने का भत्ता न देना और उनका कर्मचारियों के परिवारो से चिकित्सा-निरिक्षण फीस वसूल करते रहना ।	100 रुपये
15	82	श्री उ० मू० त्रिवेदी	निर्माण-प्रभारित यात्री-गाड़ों पर व्यय के अधीन यात्रियों के लिय सुविधाओं की व्यवस्था ।	100 रुपये
15	83	श्री उ० म० त्रिवेदी	स्टेशनों पर अच्छे शौचालयों का तोड़ा जाना	100 रुपये

अध्यक्ष महोदय : ये सब कटौती प्रस्ताव सभा के समक्ष प्रस्तुत है।

श्री अ० शं० आल्वा (मंगलौर) **:** दक्षिण रेलवे पर रेलगाडियों की रफ्तार बहुत धीमी है। इसके लिये यह जरूरी है कि रेल पटरियों आदि को मजबूत बनाया जाये और कुछ महत्वपूर्ण लाइनों को दोहरा किया जाये। जालारपेट से शोरानूर तक रेलवे लाइन को दोहरा किया जाना चाहिये और इस रेल मार्ग को मजबूत भी किया जाना चाहिये ताकि गाड़ियों की रफ्तार तेज हो सके। इस लाइन पर बड़ी भीड़ भाड़ रहती हैं इसलिये इस कार्य को जल्दी किया जाना चाहिये। मुझे पता लगा हैं कि मद्रास जाने वाली दक्षिण एक्सप्रेस गाड़ी डीज़ल से चलने लगेगी। इस लम्बे रास्ते पर अधिक डीजल इंजन शुरू किये जाने चाहिये। मैसूर राज्य में काफी मात्रा में बिजली उपलब्ध हैं इस-लिये कम से कम वहां पर बिजली से गाड़ियां चलाई जानी चाहिये।

जहां तक यात्री डिब्बों का सम्बन्ध हैं, बिजली अकसर चली जाती है और टेंकों में पानी ही नहीं होता है या वे टपकते रहते है और कभी कभी शोर्ट सर्किट से कर्मचारियों की लापरवाही के कारण डिब्बों में आग लग जाया करती है। इस सब चीजों की ओर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिये।

माल डिब्बों के वितरण के बारे में प्राथमिकता निर्धारित की जानी चाहिये ताकि किसी को इस बारे में शिकायत का अवसर न मिले।

रेलवे कांटे ठीक न होने के कारण कभी कभी वजन में अन्तर हो जाता है और उस स्थिति में रेलवे अधिकारी संबंधित व्यक्तियों पर भारी जुर्माना लगा देते हैं। इससे यह होता है कि संबंधित पक्ष कभी कभी माल लेने से इन्कार कर देते हैं या रेलवे के विरुद्ध मामला दर्ज करा देते हैं। ऐसी स्थिति से बचने के लिये दोबारा वजन करने की अनुमति दी जानी चाहिये। चाहे उस पर उचित शुल्क लगा दिया जाये।

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) **:** रेलवे बोर्ड बहुत ही सराहनीय ढंग से कार्य कर रहा है और अन्य मंत्रालयों को भी इसी प्रणाली का अनुकरण करना चाहिये। रेलवे बोर्ड के सदस्य बहुत ही दूरदर्शी हैं और वे लोगों की मांगों पर ध्यान देते हैं। केवल कठिनाई यही है कि उन्हीं

व्यक्तियों को रेलवे बोर्ड का सदस्य बनाया जाता है जिनका सेवा निवृत्त होने का समय आ जाता है। लोगों की भलाई इन सदस्यों के हाथों में होती है। इसलिये ऐसा नहीं होना चाहिये।

मैं नहीं समझता कि अस्थायी अथवा अर्द्ध-स्थायी नियुक्तियां क्यों की जाती हैं। इस चीज को समाप्त किया जाना चाहिये ताकि कर्मचारी चैन की सांस ले सकें।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

मुझे प्रसन्नता है कि रेलवे बोर्ड की एक अनुसन्धान डिजाइन तथा मानक संस्था है। इसकी क्षमता को बढ़ाया जाना चाहिये। पृथक् पृथक् अनुसन्धान डिजाइन तथा मानक संस्थाएं होनी चाहिये और इन तीनों की एक ही संस्था नहीं होनी चाहिये। अनुसन्धान पर अधिक व्यय किया जाना चाहिये क्योंकि यह हमारे राष्ट्रीय जीवन का एक स्थायी अंग है।

उत्तर रेलवे क्षेत्र में बहुत कम सर्वेक्षण किये जाते हैं और उनमें भी बहुत अधिक समय लिया जाता है। हमें सर्वेक्षण करने में इतना समय नहीं लेना चाहिये। लुधियाना और चण्डिगढ़ को रेलवे लाइन द्वारा मिलाने के बारे में सर्वेक्षण किया जाना चाहिये।

जहां तक कर्मचारियों के कल्याण संबंधी कार्यों का संबंध है, उनकी चिकित्सा के लिये अधिक धन नियत किया जाना चाहिये। रेलवे स्कूलों में शिक्षा का स्तर भी ऊंचा नहीं है, इसलिये इसके लिये भी और अधिक राशि नियत की जानी चाहिये।

रेलवे द्वारा प्रचार की ओर अधिक ध्यान नहीं दिया गया है। उन्हें जनता को बताना चाहिये कि डिब्बों को कसे साफ रखा जाता है और गाड़ी के बारे में जानकारी कहां से प्राप्त की जा सकती है आदि, आदि। रेलव लाइनो की सुरक्षा तथा प्रतीक्षालयों के प्रयोग के बारे में भी प्रचार किया जाना चाहिये। दिल्ली-आगरा के बीच ताज एक्सप्रेस चालू करने के लिये रेलवे बोर्ड बधाई का पात्र है। परन्तु यह दुःख की बात है कि दिल्ली आगरा क्षेत्र के बाहर के लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। इसकी जानकारी विश्व के सभी लोगों को दी जानी चाहिये।

मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि नेपाल को बच्चों की एक रेलगाड़ी भेंट की गई है। भारत के कुछ बड़े बड़े शहरों में भी इन रेल गाड़ियों की व्यवस्था की जानी चाहिये।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सारे देश के बड़े बड़े नगरों में बाल रेलगाड़ियां चालू की जानी चाहिये। जहां तक मरम्मत का प्रश्न है, मेरा मत यह है कि रेलवे स्टेशनों और रेलवे शैडों में माल डिब्बों की मरम्मत अच्छी नहीं होती है। मेरा विचार है कि रेलवे प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिये। इसके अतिरिक्त मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि गुरदासपुर से पठानकोट, धारीवाल, तथा बटाला, जालन्धर से पठानकोट तथा अमृतसर से पठानकोट तक लाइन बिछाई जानी चाहिये। यह जो सरकारी निकाय कार्य कर रहे हैं उनके काम पर हमको काफी गौरव है।

Shri Kashi Ram Gupta (Alwar) : After the independence of the country some steps were taken to provide some passenger facilities. Gradually railway personnel are becoming careless about the amenities as well as the complaints of the people. I think Railway Ministry does not take into account all these things. Even the Members of the House come forward with so many complaints, which are not heeded to. Of course the honourable members have been drawing the attention of the Railway Ministry to this fact. I think nothing has been done so far in this directions.

[Shri Kashi Ram Gupta]

I want to draw the attention of the Honourable Minister that the conditions in Southern railway are very deplorable. People there are supposed to be educated but I saw there the state of dislocation. Men there take courage to travel in ladies' compartment and there is no machinery to check it. The security arrangement is highly ineffective. One has to face great odds in this respect. In laterines you will seldom find proper arrangement of water. I personally had to encounter great difficulties to get a reservation for me, while having my journey in the south.

Now I come to the policy of Railway to renew railway lines. Let me draw the attention of the honourable Ministers towards this fact. Railway lines ought to be established in between Alwar and Mathura. This will reduce the distance between Alwar and Mathura by 140 miles, while Calcutta will 100 miles nearer. Also you will have the provision of two routes for going to Bombay. In addition to this Alwar Cantonment will have some advantage of goods traffic. If we really become serious it will be possible to have some minerals in this area. Government should take up this matter and have this area surveyed with this aim in view. There should be double lines between Gari, Harsara and Khalihpur. Delhi and Rewari should also have a double line. This will create some facilities for this area and passengers will have some relief.

It is generally observed that First Class is generally utilized by the Government servants and government are not earning any revenue to this effect. If this is the situation I may urge that this Compartment may be eliminated. And Government should see that the third class compartments are suitably designed. They must bear modern look. This system of issuing third class servant tickets should be done away with. People are seen misusing this facility and it is also against the spirit of socialism of the present age.

We have to face great inconvenience due to the meetings of Railway Users Advisory Committee. The meetings should take place at times when the honourable members are not busy with their Paliamentary work. The system of election that has been adopted by the committees is also arbitrary. Government should pay attention to this.

Now I want to say something about the matters which are connected with the employees. But before that I may state one thing about which I have written to the honourable Minister many a time. There is a bridge on the Bharatpur line at the Railway Crossing No. 93. Railway intends to have a gate and it is expected of the State Government to pay Rupees 8000. But State Government are asking the gram panchayat to pay Rs. 3,000. Due to this hurdle the work is not being stared. This is very deplorable state of affairs. The cost in this connection should either be borne by the Railway or the State Government. People should not suffer due to this.

The Railway guards are not suitably paid and this matter should be sympathetically examined. The ticket examiners must have equal pay, there should not be any type of discrimination to this effect. The efforts should be made to eliminate corruption from the Railway. Strong steps should be taken to prevent the thefts of railway property.

Shri Shree Narayan Das (Darbhanga) : There is no doubt about it that the railway has sufficiently marched towards progress during the last few days. But I want to draw the attention of the authorities to this fact that due to the

increase of population the number of passengers is also rising. In every compartment we see generally four to five times passengers travelling that is also true that the number of third class passengers have increased, still we find crowds in the compartments. I want to urge that the third class compartments should increase in number. It will be good source for the railway to get more revenue. Honourable Minister should pay attention towards the difficulties of the third class passengers and do something effective in this connection.

I welcome the decision to have railway line between Baruni and Samastipur. I also would like to urge that double line should be constructed between Samastipur and Dharbhanga. The third class passengers of long journeys should be given the facility of reservation.

I may also point out that the conditions of railway stations on North East Railway branch stations are very deplorable. The modern facilities of water are not available there, which should be arranged at an early date. There should also be some arrangement of supplying water in the compartments. The Tube wells they have been constructed are not working well. I urge upon the Railway Minister, with these words, to pay some attention to the humble suggestions that I have put forward.

श्रीमती रेणुका बड़कटकी (बारपेटा) : मैं सभा के समक्ष प्रस्तुत की गयी मांगों का समर्थन करती हूं। इसके साथ ही मैं इस अवसर पर रेलवे प्रणाली के बारे में अपने विचार व्यक्त करना चाहती हूं। मैं यह बताना चाहती हूं कि अतिरिक्त राजस्व की वृद्धि करने के बारे में जो प्रस्ताव आये हैं उनका क्या प्रभाव रहा है। इन सब पर विचार व्यक्त करते हुए मेरा दृष्टिकोण उत्तर-पूर्वी क्षेत्र को सामने रख कर हुआ है। इस बारे में विचार व्यक्त करने से पहले मैं यह कह देना चाहती हूं कि अभी हाल ही में पाकिस्तान के साथ हमारा जो संघर्ष हुआ था उसमें रेलवे कर्मचारियों ने बहुत ही शानदार काम किया था। उस शानदार काम के लिए वे बधाई के पात्र हैं।

मेरा सम्बन्ध ऐसे राज्य से है जो कि सीमा पर स्थित है। 1962 में चीन का और 1965 में पाकिस्तान का जो हमला भारत पर हुआ उसका पूरा प्रभाव मेरे राज्य ने देखा है। मैं यह भी कहना चाहती हूं कि भारत का जो विभाजन हुआ था उससे आसाम के सारे संचार साधन कट गये थे। नयी रेलवे लाइनें बनानी पड़ीं थीं। 18 बरस के काल में हमने अपने संचार साधनों को बनाने में काफी प्रयास किया है। परन्तु अभी भी मामला सन्तोषजनक नहीं कहा जा सकता। मुझे इस बात का सन्तोष है कि मंत्री महोदय ने इस दिशा में ध्यान देने का आश्वासन दिया है।

इस संदर्भ में मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि प्रतिरक्षा की मुख्य आवश्यकताओं तथा दूरवर्ती आसाम राज्य के लोगों की आवश्यकताओं को वर्तमान रेलवे प्रणाली से पूरा नहीं किया जा सकता। 1.5 करोड़ लोग आसाम में तथा देश के उत्तर पूर्वी भागों में रहते हैं, यह क्षेत्र आर्थिक दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ है। इस समय उस क्षेत्र के लोगों को कुछ अत्यावश्यक वस्तुओं के लिए देश के अन्य भागों पर निर्भर रहना पड़ता है, वर्तमान रेलवे व्यवस्था की क्षमता बढ़ा कर ही वे सभी आवश्यकतायें पूरी की जा सकती हैं। शायद यह सदन को यह याद होगा कि जब छोटी लाइन बिछाई गयी थी तो यह आशंका व्यक्त की गयी थी कि इससे काम नहीं चलेगा। वैसा ही हुआ। छोटी लाइन की स्थापना के बाद भी राज्य के लिए माल के यातायात का आधा भाग पाकिस्तान से गुजरने वाले जलमार्गों पर से आता है। उन जलमार्गों पर निर्भर रहना खतरनाक है। इसलिए यह आवश्यक है कि डीब्रूगढ़ तक बड़ी लाइन

[श्रीमती रेणुका बड़कटकी]

स्थापित करके आसाम के साथ रेल संचार की क्षमता बढ़ाने के मामले को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाये। यह भी आवश्यक है कि विभिन्न जिलों के मुख्यालयों को मुख्य लाइन से जोड़ने के लिए पूरक लाइनें बनाई जायें ताकि पहाड़ों की अर्थव्यवस्था में सुधार हो और व्यापारिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्ध और एकीकरण स्थापित किया जा सके।

मैं इस बात का आग्रह करना चाहती हूं कि चौथी योजना के अन्तर्गत उत्तर-पूर्वी सीमान्त क्षेत्र में रेलवे प्रणाली को सुदृढ़ बनाने की विशिष्ट व्यवस्था होनी चाहिये जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा तथा सीमा पर एकीकरण का भाग हो। इसके साथ ही आसाम में गाड़ियों को डीजल अथवा विद्युत् से चलाने की सम्भावना पर तुरन्त विचार किया जाना चाहिये। मुझे इस बात का हर्ष है कि मंत्री महोदय ने बताया है कि रेलवे यातायात सड़क यातायात तथा जल परिवहन में काफी समन्वय रहा है। परन्तु यह खेद की बात है कि राज्य सड़क परिवहन निगमों और उपक्रमों में, जिनमें की 15 करोड़ रूपये की पूंजी लगी हुई है समन्वय की कोई व्यवस्था नहीं।

अब मुख्य प्रश्न पर आती हूं। आसाम सीमान्त राज्य है जिसकी सीमा पर और राज्य के कुछ भागों में विद्रोही तत्व हैं। पटरी, पुलों, भवनों और यात्रियों की सुरक्षा के पूरे उपाय करने की आवश्यकता आसाम में बहुत अधिक है और पुलिस तथा स्थानीय गुप्तचरों की सहायता से एक प्रभावी रेलवे गुप्त सेवा विभाग स्थापित किया जाना चाहिये। सरकार को इस क्षेत्र में रेलवे सुरक्षा दल में सुधार करना चाहिये, इनकी संख्या बढ़ानी चाहिये ताकि यह यात्रिकों और रेल पटरियों पर आक्रमण करने के प्रयत्नों का पता लगा सके, इनको रोक सके और इन से निपट सके। सभी माल यातायात की दरों पर जो सामान्य अधिकार लगाया गया है, और व्यक्तिगत वस्तुओं की दरों में जो वृद्धि की गई है इस से आसाम पर सब से अधिक प्रभाव पड़ा है। आसाम के लोगों को बहुत सी अत्यावश्यक वस्तुओं जैसे, नमक, मछली, तेल कोयला, चीनी और कपड़े के लिये दूसरे राज्यों पर निर्भर रहना पड़ता है।

अब मैं कुछ शब्द रेलवे कर्मचारियों और यात्रियों की सुविधाओं के बारे में कहना चाहती हूं। मांगों में इस प्रकार की सुविधायें दिये जाने की व्यवस्था है परन्तु देखने में यह आता है कि बहुत से स्टेशनों पर स्थिति बहुत खराब है। जहां कि यात्रियों को बहुत सी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। । मैं इस बात का आग्रह करना चाहती हूं कि सुविधाओं की व्यवस्था की जानी चाहिये तथा रेलवे कर्मचारियों और उनके परिवारों को डाक्टरी सहायता की व्यवस्था और शिक्षा देने की व्यवस्था के साथ साथ सस्ती दुकानों की व्यवस्था की जानी चाहिये। अन्त में मेरा निवेदन है कि आसाम जैसे सीमावर्ती राज्य में हम रेलवे जैसी अत्यावश्यक सेवाओं को गैर-सरकारी हाथों में नहीं रख सकते। प्रशासनिक आवश्यकता तथा आर्थिक दृष्टि से आसाम में जो तीन गैर-सरकारी लाइनें हैं उनको अपने हाथ में लेने के लिये सरकार को विचार करना चाहिये। इन शब्दों से मैं मांगों का समर्थन करती हूं।

डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी (जोधपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने रेलवे बजट पर चर्चा के दौरान एक बात विशेषतः उठाई थी कि रेलवे में प्रथम श्रेणी के अधिकारियों की पदोन्नति के मामले में पूर्णतः गतिरोध पैदा हो गया है और उन्हें पदोन्नति नहीं दी जाती ; पदोन्नति के कोई अवसर भी नहीं हैं और उन्हें कोई प्रोत्साहन भी नहीं दिये जाते। अच्छे जन प्रशासन के रूप में किसी सरकारी संगठन के मनोबल तथा कार्यकुशलता के लिए यह मौलिक महत्व का विषय है। आपातकाल के दौरान रेलवे ने देश की सराहनीय सेवा की है जिसका श्रेय रेलवे मंत्रालय को है किन्तु रेलवे के कार्य तथा उसके प्रशासन में इन अधिकारियों का भारी अंशदान होता है। उनके काम के आधार पर ही मंत्रालय को श्रेय प्राप्त करता है। रेलवे के उक्त श्रेणी के पदाधिकारियों के दिमाग में यह गलत धारणा घर कर गई है कि पदोन्नति के मामले में उनका

भविष्य अन्धकारमय है। मैं रेलवे मंत्री से यह अनुरोध करूंगा कि वह विशेषतः इस विषय पर गंभीर रूप से विचार करें और व्यापक दृष्टिकोण अपनाएं जिससे कि इन पदाधिकारियों के दिमाग से यह गलत धारणा दूर हो जाये।

इसी प्रकार रेलवे में गार्डों, स्टेशन मास्टरों, सहायक स्टेशन मास्टरों तथा रेलगाड़ियों के साथ चलने वाले टिकट परीक्षकों के वर्गों की सेवा की शर्तें समान नहीं हैं। उन्हें महंगाई भत्ता किसी संगत आधार पर नहीं दिया जाता। रेलवे में गार्डों को अन्य संगचल चल कर्मचारियों की अपेक्षा कम दर पर भत्ता दिया जाता है। रेल गाड़ियों के साथ चलने वाले टिकट परीक्षकों को महंगाई भत्ता न देने में क्या औचित्य है जबकि वे भी संगचल कर्मचारी (रनिंग स्टाफ) ही है। उन्हें संगचल वर्ग में न रखने का औचित्य क्या है? उनके प्रति न्यायसंगत व्यवहार बरतने के लिए, रेलवे मंत्रालय को अपने निर्धारित आधार में परिवर्तन करना चाहिए और उसे एक नया रूप देना चाहिए और उनकी उचित मांग पूरी करनी चाहिए।

सभी स्तर के रेलवे कर्मचारियों की आवास सम्बन्धी स्थिति सोचनीय है। उन्हें, विशेषतः छोटे वर्ग के कर्मचारियों के क्वार्टर के लिए कई वर्ष तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। अतः मंत्रालय को स्थिति में सुधार करने के लिए आवश्यक पग उठाने चाहिए।

आपातकाल के दौरान कई रेलवे कर्मचारियों ने अति सराहनीय कार्य किया जिस पर देश को गौरव है किन्तु ऐसे मामले हैं जहां लोगों की विशिष्ट, साहसपूर्ण तथा अनुपम सेवाओं की या तो जानकारी न होने के कारण अथवा प्रशासन द्वारा पहले न किये जाने के कारण, उपेक्षा की गई है। यह सच है कि उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया है, कुछ अन्य लोगों को जब बड़े-बड़े उपहारों तथा पुरस्कारों से विभूषित किया गया है, तो उनके प्रति केवल मौखिक सहानुभति ही प्रदर्शित करना पर्याप्त नहीं हैं और यह एक उचित शिकायत का विषय बन जाता है। मुझे यकीन है कि रेलवे कर्मचारियों को उनकी विशिष्ट तथा अनुपम सेवाओं के लिए मंत्री महोदय यथोचित पुरस्करों से विभूषित करेंगे।

जहां तक नई रेलवे लाइनें बिछाने का सम्बन्ध है सरकार इसे किसी न किसी बहाने यथा सड़क परिवहन के विकास अथवा राज्य सरकारों द्वारा सम्बन्धित प्रस्तावों का पर्याप्त रूप से जोरदार समर्थन न किये जाने के कारण टाल-बराई करते रहती है। जोधपुर डिवीजन में नई लाइनें बिछाने के सम्बन्ध में अनेक प्रस्ताव कई वर्षों से खटाई में पड़े हैं जब कि इस सम्बन्ध में सर्वेक्षण तक किया जा चुका है। मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि वह इस सम्बन्ध में यथोचित प्रकाश डालें।

जोधपुर राजस्थान की बौद्धिक तथा सांस्कृतिक राजधानी है। वहां एक रिहायकी विश्व-विद्यालय है और राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्यालय है। दिल्ली और जोधपुर के बीच एक नई रेलगाड़ी चलाई जानी चाहिए। इस नई रेलगाड़ी के लिए एक वैकल्पिक मार्ग निकाल कर इनके बीच की दूरी को 30-35 मील कम किया जा सकता है। मुझे मालूम हुआ है कि इस सम्बन्ध में एक प्रस्ताव को अन्तिम रूप देते समय पश्चिम रेलवे उससे सहमत नहीं हुई, किन्तु इस बात को मान लेना जरूरी है कि राजस्थान के एक प्रमुख शहर के लिए यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है और दिल्ली तथा जोधपुर के बीच और अच्छे सम्पर्क स्थापित करना वांछनीय है अतः इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए।

पदोन्नति उसी डिवीजन में करने की नीति का पालन नहीं किया जा रहा है। रेलवे में या तो सभी डिवीजनों पर वरिष्ठता सूची पदोन्नति योजना की एक जैसी नीति अपनाई जानी चाहिए या एक डिवीजन के अन्दर स्थानान्तरण तथा पदोन्नति सम्बन्धी उचित योजना होनी चाहिए।

[डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी]

रेलवे सेवा आयोगों की स्थापना के बारे में अधिक अच्छा तरीका अपनाया जाना चाहिये। उत्तर रेलवे सेवा आयोग इलाहाबाद में है जो कि इस डिवीजन के एक कोने में है और जैसलमेर, बाड़मेर अथवा जोधपुर से कई मील दूर है। यह कठिनाई दूर की जानी चाहिये। सेवा की सुविधा का कोई तरीका खुद इस डिवीजन में कायम किया जाना चाहिये।

आशा है राजस्थान डिवीजन बनाने की संभावना पर मंत्री महोदय विचार करेंगे। उत्तर रेलवे का प्रशासनिक ढांचा बहुत बड़ा है जिस में परिवर्तन करने की आवश्यकता है।

Shri N. N. Patil (Bulsar): Mr. Deputy Speaker, Sir, at the very outset, I would like to congratulate the State Minister on the decision to utilise the land along the railway lines for cultivation. It is a salutory decision which will help to ease the present food situation in the country.

The introduction of many new trains on various Railways is welcome. A representation was submitted to the Railway ministry demanding the construction of a new railway line between Surat and Makdalla and the hon. Railway Minister had given an assurance on the occasion at opening ceremony of Makdalla port that he would take up the matter with the ministry. It is the duty of the Railway ministry to immediately implement the decision to lay a railway line between Surat and Makdalla port.

The narrow gauze line from Billimora to Bagai should be converted into a broad gauze line and should be extended to Nasik. This will help in utilising the timber in the Dang forest. The work of electrification of the line between Virar and Sabarmati should be taken up and completed as early as possible.

There is a traffic jam on the highway at the Railway crossing level near Bulsar Railway. In order to ease this traffic congestion there, a bridge should be provided on this highway.

The Bombay Veerangam Janta Express will start running from lst April. I have a submission to make in this behalf that the new train should halt at stations other than those where Ahmedabad Express or Gujrat Mail halt.

The Frontier Mail which runs between Delhi and Bombay should stop at Bulsar with a view to giving traffic facility to the local people.

So far as coaches are concerned, they contain manufacturing defects which cause much inconvenience to the passengers. I would, therefore request that the new coaches should be examined carefully before they are accepted by the Railways.

The provisions in regard to the recruitment of scheduled caste and Adivasi should be implemented properly.

Shri J. P. Jyotishi (Sagar): Mr. Deputy Speaker, Sir, before I participate in the discussion, I would like to congratulate the Railway employees who gave an excellent performance during the recent conflicts. Efforts should be made to give them more facilities. The manner in which the railway operations are carried out is a matter of great pride and glory.

Madhya Pradesh does not have adequate facilities of rail communication. It stands as an obstacle in the way of quick movement to the border areas. This problem invites immediate and more attention of Government. From the point of view of integration, it is essential to provide more traffic facilities

and also to improve the rail communication in the State. The Bastar area is very rich in natural wealth and this part abounds in forest wealth also. There are many deposits in this area. The Nagraj Committee have suggested the nature of industries which can be established their. A number of factories can be set up in this area. Adeguate facilities of transport and rail communication should be provided there in order to achieve an all round progress. Vindhya Pradesh, which abounds in forest wealth also lacks adequate facilities of rail communication. This Pradesh also requires some link lines and new railway lines for its development.

Sagar, which is a university town and a military centre has its Railway station on the other side of the town which causes much inconvenience to the local people. It is, therefore, essential to provide an overbridge at Sagar and if that is not feasible an underbridge must be provided.

The condition of a number of employees at lower level is deplorable. They are kept temporary even after putting in 8-10 years of service. Their services are terminated after the work they are engaged in is completed. They are also ignored at the time of recruitment from the fresh market. They should be given preference whenever such recruitment is made.

At Katni and Vina stations, there was no housing accommodation for the employees at lower levels. Government should take steps to provide adequate housing accommodation to these employees. I may suggest that cheap foodgrain shops should be opened for the employees, and necessary assistance should also be given to cooperatives wherever they exist.

The Railways suffer a heavy loss on account of the practice of ticketless travelling by the people who get down when the train stops at outer signals. Efforts should be made to check this practice. Overcrowding in the third class compartments should also be reduced.

In order to reduce overcrowding and to cater the need of the local people a new train should be introduced in Katni-Vina area. I would also emphasize the need of a fast train to connect the southern part of Madhya Pradesh to Northern India.

In the last, I would like to suggest that more attention should be paid towards cleanliness of third class compartments and as also towards providing adequate lighting arrangements.

Shri Kishan Pattnayak (Sambalpur) : Mr. Deputy Speaker, Sir, I would like to invite the attention of the Railway Minister to cut motions Nos. 179 to 206, 2212 to 22 and 281-282 for Shri Kashi Ram Gupta has suggested that the people of Sanyukta Socialist Party should travel in the III class compartment. I want to make it clear that what we want is there should be only one class on the railways.

The Railways should adopt some principle and the Railways can be made an ideal organisation in the public sector which should set an example for others.

So far as cleanliness of the trains is concerned, proper attention is not paid towards cleanliness of Janta trains and as also third class compartments in the trains.

The Railway Ministry should formulate long-term schemes for the development of railways. Priority should also be given to small schemes and projects.

[Shri Kishan Pattanayak]

The Railway Ministry should set-up thermal plants near coal mines which will help in utilising coal as also in running electric trains.

It is necessary to lay a few lines in the State from the point of view of development of Orissa. A railway line should be immediately laid from Barswan to Telcher and Sambalpur should also be connected with Telcher.

The bureaucratic machinery in the Railway Administration is acting in a very high handed manner in the matter of transfers and selections. At times I wrote letters to the Railway Ministry in this connection.

There are disparities in the pay scales for various categories of employees. We have on several occasions brought these disparities to the notice of the Ministry. I would like once again to request that these disparities should be removed.

As regards coach attendents, they are not provided residential accommodation. Last year also, I had invited the attention of the hon. Minister to this fact and he was very much pleased to assure that he would look into the matter but, so far nothing has been done in this regard.

Gang-coolies on the Railways are exploited by the Inspectors and this exploitation should be put an end to. They are kept temporary. Similarly the condition of the Station-coolies is also deplorable.

The contractors on the railways are in the league with Commercial Managers and charge high rates of the food stuffs which they supply. This matter should be inquired into.

श्री बसुमतारी (ग्वालपाड़ा) : मैं रेलवे की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं।

रेलवे मंत्री महोदय द्वारा 'पूर्वी क्षेत्र' अर्थात् आसाम, नागालैंड, मणिपुर तथा त्रिपुरा जो सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षत्र है, की ओर दिय गये ध्यान के लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं। रेलवे मंत्रालय ने विगत चीनी तथा पाकिस्तानी आक्रमणों के दौरान देश की सराहनीय सेवा की है।

इस क्षत्र में सिलीगुड़ी से जोगीधोपा तक बिछाई गई बड़ी लाइन सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है।

मैं माननीय रेलवे मंत्री से अनुरोध करूंगा कि इस लाइन को ग्वालपाड़ा द्वारा अपर आसाम तक बढ़ाया जाय।

मैं रेलवे मंत्री को यह भी बताना चाहता हूं कि बगाई गांव से जोगीधोपा तक बड़ी लाइन बिछाने के बाद बघाई गांव से गौहाटी तक लाइन बिछाने का काम बाकी छोड़ दिया गया है। यह काम इस लिये छोड़ दिया गया था क्योंकि 'इनोदी' तथा 'बकी' जैसी नदियां बहुत आतंक मचाती थी। अब इन नदियों का आतंक कम हो गया है। इस लिये मेरा अनुरोध है कि बगाई गांव से गौहाटी तक बड़ी लाइन बिछाई जानी चाहिये।

[**श्री श्यामलाल सर्राफ पीठासीन हुये**
SHRI SHAM LAL SARAF *in the Chair*]

मैं एक अन्य बात कहना चाहता हूं वह यह है कि आसाम के यात्रियों को दिल्ली आने के लिये सिलीगुड़ी के रास्ते छोटी लाइन के जरिये आसाम मेल पकड़ने के लिय बरोनी आना पड़ता है, और यदि वह गाड़ी देर से पहुचती है तो वे इस गाड़ी को नहीं पकड़ सकते तथा

इस से उन्हें बड़ी कठिनाई होती है। इस बारे में कुछ कार्यवाही की जानी चाहिये ताकि यात्रियों को असुविधा न हो। रेलवे को बरौनी से सिलीगुड़ी तक बड़ी लाइन बिछानी चाहिये। मैं यह नहीं कह सकता कि वे कटिहार को न्यू जालपाइगुड़ी से किस प्रकार मिलायगे, परन्तु कटिहार और न्यू जालपाइगुड़ी के बीच रेलवे सम्पक होना चाहिये।

यह सही है कि रेलवे अन्य विभागों की तुलना में अपने कर्मचारियों को मकान आदि देने आगे है। परन्तु यदि इस का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाये तो ज्ञात होगा की कुछ वर्गों के कर्मचारियों को मकान नहीं दिये जाते, जबकि नये नियुक्त किये गये अधिकारियों को शीघ्र ही मकान दे दिये जाते है। स्वतंत्रता के बाद रेलवे ने अनुसुचित जातियों तथा अनुसुचित आदम जातियों के कर्मचारियों को मकान देने के लिये विशेष ध्यान दिया है, फिर भी कुछ ऐसे मामले है जिन में 10 अथवा 15 वर्ष की नौकरी के बाद भी मकान नहीं दिये गये है। अत: मैं रेलवे मंत्री से प्रार्थना करता हूं कि अनुसुचित जातियों तथा अनुसुचित आम जातियों के कमचारियों को मकानों की सुविधा देने के लिये विशेष ध्यान दिया जाय। नौकरियों के मामले में भी रेलवे को अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदम जातियों की ओर विशेष ध्यान देना चाहिये।

आसाम राज्य में जो गाड़ियां चलती है, वे अधिकतर रात के समय चलती है। इसका परिणाम यह होता है कि आसाम के बहुत कम लोग उन का उपयोग करते है, क्योंकि आसाम के लोक प्राय: रात की गाड़ियों से यात्रा नहीं करते। रेलवे प्रशासन को इन गाड़ियों के समय में इस प्रकार परिवर्तन करना चाहिये ताकि ये गाड़ियां आसाम राज्य में प्रात: काल होकर गुजरें। यात्रियों की सुविधा के लिये प्रात:काल चलने वाली गाड़ियों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिये।

नागालैंड, मणिपुर तथा त्रिपुरा ऐसे क्षेत्र है जहां लूसी, गारो तथा खासी आदि पहाड़ियों के आंचन में कोयला-चुना आदि खनिज पदार्थ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। परन्तु परिवहन की व्यवस्था न होने के कारण न तो भारत सरकार ही वहां उद्योग लगाना चाहती है और न ही गर-सरकारी उद्योगपति वहां उद्योग स्थापित करने को तैयार है। अत: यह आवश्यक है कि वहां रेलवे तथा परिवहन की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध की जाये, ताकि उन खनिज पदार्थों का उपयोग किया जा सके। इस संदर्भ में मैं यह भी कहना चाहता हूं कि गैर-सरकारी कम्पनियों द्वारा चलाई जाने वाली रेलगाड़ियों को रेलवे प्रशासन के अधीन लिया जाना चाहिये।

भोजन की व्यवस्था के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि दिल्ली से कलकत्ते तक भोजन का उचित प्रबन्ध है तथा यात्रियों को बढ़िया भोजन दिया जाता है। परन्तु आसाम में रेलवे द्वारा जो भोजन दिया जाता है वह घटिया किस्म का होता है। बरौनी से आसाम तक भोजन व्यवस्था का प्रबन्ध एक गैर-सरकारी कम्पनी करती है। यह कार्य रेलवे प्रशासन को अपने हाथ में लेना चाहिये और वहां बढ़िया भोजन की व्यवस्था की जानी चाहिये।

बरौनी स्टेशन पर टिकट खरीदना और गाड़ियों में स्थान प्राप्त करना बहुत कठिन हैं। वहां टिकट खरीदने के लिये यात्रियों को रिश्वत देनी पड़ती है। इसे बन्द किया जाना चाहिये।

Shri Daljit Singh (Una) : Mr. Chairman, no doubt the Railway Ministry and the Railway employees have been congratulated by the hon. Members belonging to various parties for their efficient performance during the last emergency and for the hard work put by them to increase production. The agreement signed yesterday between India and Hungary to supply two thousand wagons to them is a clear testimony that our production has increased. Work is in progress

[Shri Dalgit Singh]

for laying railway lines, electrifying the trains and for construction of bridges. But even then our achievements have not been upto our expectations. Progress has been made no doubt, but proper attention has not been given to backward areas. The Railways are undertaking the job of doubling the railway lines and providing other facilities. But all their activities are concentrated to cities only. The Railway Administration should pay greater attention to the undeveloped areas in the country. While formulating its production plans the administration should keep in view the needs of undeveloped areas and also the requirements of the fast growing population in the country.

In the backward hilly areas there has been no proper maintenance of either the railway track or the rolling stock. On the Pathankot-Jogindernagar metre gauge line the same old and worn out rolling stock is being used, neither any replacements nor any repairs have been done.

Now I want to draw your attention to the present state of affairs at Nangal Dam-Rupar railway line. An agreement had been signed in regard to this railway line with Punjab Government which is valid upto 1968. Formerly loss was being incurred on this railway line, but since the Nangal Fertilizer Factory has started working, this line is earning profit. I am giving you only one instance and that is the monthly income of Nangal Dam Railway Station alone is from 10 to 12 lakhs of rupees. So the Nangal Dam-Rupar railway line is now giving profit. But there are no amenites for the passengers nor any facilities to the Railway employees. No doubt there is an agreement with the Punjab Government about that line but that should not come in the way since the line is now yielding revenue. The Railway Administration should give proper attention to this line and spent some money if Punjab Government is not spending any amount for providing facilities to the passengers.

Nangal Dam is an important tourist centre. Nearly 28 to 30 thousand tourists are going there every month. But there are no facilities for their accommodation. There is no third class waiting hall. The tourists have to remain in open irrespective of the weather and sometimes they got drailched during rains. The Government shuold, therefore, do something about it.

There is too much overcrowding in the direct bogie from Nangal to Delhi and the passengers are put to great difficulties. The fact that there is accommodation only for 40 passengers in the special bogie and nearly 150 tickets are issued will illustrate the state of affairs in which the passengers have to travel. So I request the Railway Administration that special attention should be given to this and a direct train should be provided between Nangal Dam and Delhi or the train coming up to Ambala should be extented up to Delhi. If that is done the Railways will have an extra income.

Apart from that I would like to say a few words about Amritsar flying mail. Those passengers travelling by this train, who have to reach their destination by travelling by branch lines, are often unable to catch the trains, as there are no connecting trains. So I request that the timings of the branch line trains should be so revised that the passengers travelling by Amritsar mail may catch them.

I would also like to propose that the passenger train leaving Delhi at 6·10 and reaching Ambala at eleven may be extended up to Nangal.

I would like to say one more thing that two big fairs are held there one at Anandpur Sahib and the other at Naina Devi. Though people gather there in lakhs, even then no special trains are provided. Even if any special train is provided, it serves no purpose, because no publicity is given that a particular train is being provided. So if and when special trains are provided for the fairs at Anandpur Sahib and Naina Devi, proper publicity should be given, so that the passengers can make use of them.

Fertilizer is being supplied from there to all States and this fertilizer is transported by goods trains. Some times it is found that nearly half of the wagons sent there for carrying fertilizer require repairs and so they are sent to Ambala work shop for repairs. This involves great loss as empty wagons have to be sent for repairs. So a small work shop should be set up at Nagal so that empty wagons are not sent to other workshops for rep air. If that is done, it will save much expenditure of the Railways.

The next point that I would like to touch upon is that though land is available there sufficient number of quarters have not been constructed for the employees. Out of 44 class three employees' quarters have been allotted only to 15 persons and out of 17 train clerks quarters have been allotted only to six train clerks and like that. It is necessary in the interest of efficient working of those employees that quarters should be allotted to them. So I would request that necessary provision should be made in the next plan for constructing residential quarters for them.

Lastly I would like to suggest that a railway line from Ludhiana to Chandigarh *via* Rupar or *via* Samrala should be included in the next plan.

Shri Onkar Lal Berwa (Kotah): Mr. Chairman, I would like to say a few words on Demand No. 11 to 20 of the Demands for Grants of Railways. First of all I congratulate the Railway employees for the excellent work done by them day and night with full determination, boldness and extra caution during our conflict with Pakistan. I pay my tribute to those, who sacrificed their lives for the sake of the country.

The Railway Administration is not paying due attention to the workers belonging to the scheduled castes and scheduled tribes. I would like to remind that nearly 80 per cent of the railway men belong to scheduled castes and scheduled tribes and a majority of them are casual labour and low workers. A number of them have been working in the Railways since last 10 to 15 years, but no attention is being paid to them. They are being medically examined after every six months and if they fail in the medical examination they are discharged from service, while there is no medical examination for the permanent employees of the railways. So it is highly undesirable that the workers belonging to scheduled castes and scheduled Tribes are being harrassed on the name of medical examinations and no promotions are given to them. To make the matter worse the officers demand illegal gratification, if they want promotion. They are transferred only in name and when they give illegal gratification to the officers, their transfers are cancelled. This whole matter requires investigation. The welfare officers also never care to look into their difficulties, though according to the existing orders they are supposed to go to the workers and ask them about their difficulties and try to remove them. But these welfare officers never care to establish any contact with the workers. The administration should, therefore, do something in the matter.

[Shri Onkar Lal Berwa]

Next thing that I would like to submit is that the term of office of the vigilance officer is only three years and during this small period he is unable to take any effective action against anybody, because after the expiry of three years he has to go to his original post. I therefore, suggest that either he should be made permanent or his term of office should be made longer so that he may take any effective action.

In spite of the fact that the Railways have a large safety organisation, for which a provision of Rs. 2,40,000 has been made, consisting of highly paid officers getting pay upto Rs. 3,000 per month, the number of accidents has not come down. An institute is being run by this organisation at Udipur for imparting refresher courses. The refresher courses are being given to those old and experienced persons who have rendered thirty years of service. A driver who has already rendered thirty years service is required to go through a refresher course and in case he fails in English paper, he is demoted. His pay becomes less and in turn this effects his pension also adversely. That should not be done. That is quite unfair. Old and experienced staff should not be treated like this.

Now I would say something about the trains. The timing of the parcel train starting for Kotah is such that it does not cross the train going for Jaipur at Sawaimadhopur station and the result is that there remains a great rush at that station. My suggestion is that either this train should be started before Dehra Dun Express or its time should be so arranged that it may cross the train going for Jaipur. If that is done, overcrowding in the train going for Jaipur will be very much reduced.

There are three to four stations between Kotah and Beena which are ready in all respects and there is signalling system also, but these stations have not yet been opened for public, though there is great rush on these stations. These stations should be opened for public. It will save a great inconvenience being faced by the people there. There are also complaints about corruption on this section of the Railways. Tickets are being sold by the railway clerks in the railway compartments themselves and then these tickets are taken back. This should be eliminated.

There are also a number of complaints at Kotah and other stations regarding the non-supply of water in the Railway compartments. The administration should look into them.

An airconditioned coach is being attached from Kotah and loss is being incurred on this account every year. I do not know for whom this air conditioned coach is being attached. As this airconditioned coach is resulting in loss to railway this should be discontinued and on the other hand the quota of first class seats for Kotah should be increased as the present quota of ten seats only is much less, keeping in view the requirements of Kotah.

Bundi is now an important Station and there remains a great rush of passengers. It is, therefore, necessary that a passenger shed and also other amenities should be provided at Bundi Road Station.

The Government should state the position in regard to the Kotah Chittor line as to whether the survey has been completed and the report has been received. Necessary provision was made for this purpose in the last year's budget.

A railway line connecting Jhalawar Road with Jhalawar City and Agra is very necessary. If Jhalawar is connected with Agra by rail, a railway connection will be established with Madhya Pradesh, thus, saving an unnecessary round of 200 miles. Another line from Bundi road to Bundi city and Nashirabad should also be provided.

There is a pligrimage place of Shiva at five miles from Rampur Station, where fairs are held after every fifteen days but the trains do not halt at that station and the passengers have to go upto Indergah. This causes unnecessary inconvenience to the people. The trains should be stopped at Rampur also.

I also want to suggest that passenger sheds should be provided at Atro, Salpur and Rata Stations.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Devas) : Mr. Chairman, there is no quorum in the House.

सभापति महोदय : घंटी बजाई जा रही है।

घंटी बजाई गई लेकिन इस के बावजूद भी सभा में गणपूर्ति नहीं हुई। इसलिये सभा की बैठक आधे घंटे के लिये स्थगित की जाती है। सभा की बैठक 16.40 बजे पुनः होगी।

इसके बाद लोक-सभा 4 बज कर 40 मिनट म० प० तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then Adjourned till 40 *Minutes past* 16 *Hours.*

लोक-सभा 4 बजकर 40 मिनट म० प० पुनः समवेत हुई।

The Lok Sabha Reassembled at 40 *Minutes past four of the Clock.*

[**श्री श्यामलाल सर्राफ पीठासीन हुए**
SHRI SHAM LAL SARAF *in the Chair*]

Shri Yamuna Prasad Mandal (Jairagar) : We have the second largest railway network in the world. It is natural that some minor defects might be there in its working, but it has shown its efficiency during the Indo-Pak. conflict. It has withstood the ordeal in a very efficient manner. This has been praised by all sections of the House.

The people of North Bihar are very much handicapped due to non-availability of railway facilities. A deputation from that area met the Minister of State in Railways and urged him to help in the matter.

We are going to celebrate Gandhi Centenary in 1969. I want that we should celebrate it by providing railway facilities to the backward areas of our country. It will be an apt manner of paying tribute to the Father of nation. I say that Railways have done very good work but still there is scope for improvement. We want that broad gauge line should be extended upto Darbhanga, and the Samastipur line should either be doubled or converted into broad gauge.

The Railway employees who work with honesty and integrity should be given extension in service. Their good work should be recognized by Railway Administration. Their retiring age should be 62 years and not 58 years.

I want that the number of Janta trains should be increased. If we want to establish socialism we should take necessary steps in that direction. More steps should be taken to popularise Hindi in Railways. A Railway Police Department

[Shri Yamuna Prasad Mandal]

should be established to look after security of railway property etc. The Vigilance Department should work more vigorously. There seems to be some sort of complacency in its working. As the Estimates Committee has pointed out the provision for accommodation on North Eastern Railway for employees is very inadequate. The hon. Minister of Railways should pay special attention to this.

The North Bihar area is very important, because it is a border area. It should be provided with transport facilities. I support the demand made by Shri Bibhuti Mishra that Wheelar monopoly should be ended and the work of book-stalls should be given to small people. It would be in keeping with the principles of socialism.

Shri Ganapati Ram (Machhlighahr): Mr. Speaker, the work done by railways at the time of last war with Pakistan as also at the time of Kumbh Mela or at Allahabad is praiseworthy. But the officials of Railways are not as broad minded as they should be. The Scheduled Castes are not given employment according to the quota reserved for them. The Scheduled Castes are still discriminated upon as I myself found at Mughalsarai. I want proper enquiry to be made in this regard and justice should prevail.

Speaking about my constituency I would request that a shed should be constructed at Jaunpur. I have been requesting for it for the last 15 years. Apart from the down express one more train should be run serving Jaunpur section. The Delhi-Lucknow train should be extended upto Banaras so that there may be a direct train between Delhi and Jaunpur or it may be extended to Zaffarabad or the Howrah-Jaunpur express be extended upto Lucknow. An overbridge should be built at Lahartava. This is a just demand of the public.

I am surprised to find that students between Jaunpur and Allahabad and, between Allahabad and Meja Road occupy the seats in first class compartments. The *bona fide* passengers of first class find it difficult to get seats and even get heating also at this.

The catering system in the railways used to be praiseworthy. Has Government ever considered the question of giving catering contract to Harijans who are very backward socially and economically? In order to bring socialism Government should consider giving catering contracts to these people also.

I would request that they should construct a bridge on Sai river so that passengers from Gorakhpur to Allahabad may have to travel fifty miles less.

I would request for construction of railway bridge at Kalpi between Jhansi and Lucknow and not railway bridge only.

Shri Sarjoo Pandey (Rasra) : I think that the Railway administration has not done what it should have done during the last eighteen years. In railways all those bad practices exist which are found in other departments of the Government *e.g.* corruption, nepotism, non-fulfilment of promises, bribery. No employee of the railways is free from these defects.

Lately certain traders of Calcutta came here and they disclosed that after acceptance of bribery the contracts for fish plates were given to some big contractors and the real persons were ignored. In this way the employees got much money. I telephoned to the hon. Minister and as required by him I gave it in writing also and wrote to the speaker also. But no action has so far been taken on that.

All the employees from higher ups down to the guards are engrossed in bribery. Somebody told me that Congress Government is 8th wonder of the world. Really it is astonishing that inspite of so much corruption it is still in power. The corruption in railways frightens one.

A new railway station has been built at Govindpur on Allahabad Bhatni line but no train halts there. I wrote a letter to the hon. Minister which has not been replied to so far.

A few days back the milkmen stopped the Assam Mail on the plea that milk train will leave the station first. Their plea was that if their train is late by two hours, their milk will get sour. Anyhow the Assam Mail could not move from 10 O' clock to 4 O clock. Yet the railway authorities did not ask the employees as to why the train was late. These people are shameproof.

I want a committee to be formed to give suggestions in this regard. But on the committees too they take only Congressmen and not from the opposition.

There is no water arrangement and other facilities on the metre gauge and passengers have to suffer. Even tickets are not issued.

I want special consideration should be given to Jallaun. The inconveniences which the passengers face there should be removed.

Shri Braj Bihari Mehrotra (Bilhaur) : Mr. Chairman, I rise to support the demands of the Railways. I also endorse the congratulations offered by members for the performance of railways at the time of last Pakistani aggresssion. I also appreciate the work of the railways at the time of Kumbh Mela. But I must say that the manner in which the third class passengers travelled at that time was not keeping with the dignity of the railways.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

We should raise the number of trains and coaches.

Only the Toofan Express comes upto New Delhi railway station. I want other trains also whether it is 11 Up or 13 Up should all go upto New Delhi railway station. It will remove the congestion at the Old Delhi junction. The reason that there is paucity of platforms at New Delhi railway station is also not sound as the same applies to Old Delhi Station too.

I had requested for the opening of Parjani Station between Theenjak and Kanchausi. I suggest that it will bring income to the railways if you do so.

I also request for an overbridge on Mandhra station between Farrukhabad and Kanpur station as its absence is a source of danger to the lines of students who study in an intermediate college near there.

There is a demand for an overbridge on Ambiapur station also. This station is situated between Kanpur-Tondla. There is no shed on the platform also. People have to suffer much inconvenience during summer session.

There is need for an overbridge in Kanpur where the train passes. The municipal authorities there are prepared to construct side roads there.

Shri Ganapati Ram has pointed out to the renovation of a bridge at Kalpa. I want that quarters should also be built for those who are doing renovation.

[Shri Braj Bihari Mehrotra]

From Urrai both the old shuttle trains should be re-started one of which may be going to Kanpur side and the other to Jhansi. The feeder roads at Urrai are also very bad and require repair.

श्री कृष्णपाल सिंह (जलेसर) : डा० सिंघवी ने ठीक ही कहा है कि रेल की नई लाईन को एक नियमिक स्तर पर बनाना चाहिये। उन्हें कुछ लोगों के प्रभाव के कारण नहीं बनाना चाहिये। कुछ सदस्यों ने मध्यप्रदेश तथा उड़ीसा में नई रेल लाईनों की आवश्यकता पर बल दिया है। मैं उन से सहमत हूं। बुंदेलखंड में मेरी सलाह है कि एक लाइन हरपालपुर से सतना के लिये बहुत लाभदायक होगी।

मुझ से पूछें तो नई रेलवे लाईन बनाने की तीन कसौटी होनी चाहिये। पहली सुरक्षा, दूसरी विकास और तीसरी यात्रियों की सुविधा उसमें तीर्थयात्री भी शामिल हैं।

बरहन-एटा लाईन कुछ वर्ष पूर्व कुछ प्रभाव के कारण बनाई गई थी। वैसे बरहन उसके लिये उचित स्थान नहीं था। उसके लिये तो टुंडला या जालेसर रोड छांटनी चाहिये थी। नतीजा यह होता है कि यात्रियों को टुंडला से एटा पहुंचने में चार पांचे घंटे लगते हैं। यदि सीधी लाईन होती तो एक डेढ़ घंटे से अधिक नहीं लगता। इस लिये इस लाईन को कासगंज का कायमगंज तक बढ़ाया जावे अन्यथा कोई लाभ नहीं होगा। वैसे सारे अधिकारी तथा गैर-सरकारी इस के हक में हैं। मैंने सुना है कि कलक्टर ने भी इस बारे में कई पत्र लिखे हैं। सारे व्यापारी भी लाइन को बढ़वाना चाहते हैं कि इस कासगंज अथवा कयामगंज तक बढ़ाया जावे। यह सामरिक दृष्टि से भी लाभदायक होगा क्योंकि फिर आगरे से कासगंज तथा बरैती और फिर सीमा तक सीधी लाइन हो जावगी। इसका सामरिक लाभ यह होगा कि आगरे में एक कन्टोनमैंट है तथा वहां से सामान सीमा पर भेजा भी जाता है। इसके बिना न ही तो एटा जिले के विकास हो सकता है और न ही सुरक्षा सामान को छोटे रास्ते से भेजा जा सकता है। इस लिये मैं आशा करता हूं कि मंत्रालय इस पर संजीदगी से विचार करेगी और इस लाइन को एटा से कासगंज अथवा कयामगंज तक बढ़ाया जावे।

मेरा दूसरा प्रश्न है रेलों को छोटे स्टेशनों पर रोकने का। यह उन स्टेशनों में से है जो भरती के दफ़तर के निकट हो। आपको पता है कि फौजियों को सदा तो छुट्टी मिलती नहीं है और जब छुट्टी मिल जाव तो उसे रास्ते में वह नष्ट नहीं कर सकते। रेलवे विभाग कहता है कि ऐसा करने से आय नहीं होगी। मैं कहता हूं कि सुरक्षा के ध्यान रखते हुए इन को कुछ सुविधा मिलनी चाहिये। रेलवे मंत्रालय को इस बारे में रक्षा मंत्रालय से भी बात कर लेनी चाहिये और उन से ऐसे स्टेशनों के पते ले लेवें जहां भरती के दफ़तर हैं।

रेलों में खाने की व्यवस्था की कमी मैं प्रशंसा किया करता था परन्तु अब देखकर मैं इस परिणाम पर पहुंचा हूं कि सरकार को वाणिज्य के किसी क्षेत्र में भाग लेना ही नहीं चाहिये। जब ठेकेदारों के हाथ में यह था तो ऐसा नहीं होता था। इस कार्य को पुनः ठेकेदारों को दे देना चाहिये।

अब मैं कुछ शब्द रेलों में भीड़ के बारे में कहूंगा। अब तो पहले दर्जे के डिब्बों में भी भीड़ होने लगी है। एक बार मैं दिल्ली से अलीगढ़ जा रहा था तो रास्ते में बिना स्टेशन के रेल रुक गई। मैंने कारण पूछा तो पता चला कि विद्यार्थी ऐसा रोजाना करते हैं। जहां वे चाहें उतर जाते हैं। मेरा कहना यह है कि विद्यार्थियों के लिये अलग डिब्बे लगाये जावें और वह डिब्बा तीसरे दर्जे के डिब्बों से अच्छे होने चाहियें।

रेल के साथ साथ जो जमीन है उस पर खेती होनी चाहिये। रेल विभाग या तो स्वयं खेती करे अथवा किसी मुजारों से खेती करवावें। इसकी आजकल आवश्यकता भी है। साथ ही हजारों एकड़ भूमि जो अब बेकार पड़ी है काम में आ जावेगी।

रेल ड्राइवरों की भरती अधिक होनी चाहिये क्योंकि उन्हें बहुत अधिक काम करना पड़ता है और बाद में बीमार पड़ते हैं। जो व्यक्ति काम नहीं करना चाहते उन से आप जबर्दस्ती काम नहीं ले सकते।

मेरा अन्तिम प्रश्न रफ्तार के बारे में है। कुछ कहते हैं कि समय बचाने के लिये रफ्तार अधिक होनी चाहिये। परन्तु मैं कहता हूं कि रफ्तार अधिक होने से दुर्घटना भी अधिक होती है। इसलिये यात्रियों की सुरक्षा अधिक महत्वपूर्ण है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मोहन नायक।

Shri Mohan Nayak : Mr. Deputy Speaker, Sir........

Shri Hukam Chand Kachhavai : There is no quorum in the House.

इसके पश्चात लोक-सभा बुधवार, 23 मार्च, 1966/2 चैत्र, 1888 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Wednesday, March, 23, 1966 Chaitra 2, 1888 (Saka).

भा. स. म. ना.—वि ५ —४१ लोक सभा/६६—१८-७-६७—६००.